


# राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

## 33 वीं वार्षिक रिपोर्ट 2007-08



**National Film Development Corporation Limited**

(A Government Of India Enterprise)

## 33rd Annual Report 2007-08

## विषय सूची

## CONTENTS

### Page No

निदेशक मंडल	3	Board of Directors
सूचना	4	Notice
निदेशकों की रिपोर्ट	6	Director's Report
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	22	Auditor's Report
तुलन पत्र	36	Balance Sheet
लाभ व हानि लेखा	37	Profit & Loss Account
अनुसूचियाँ	43	Schedules
लेखों पर टिप्पणियाँ	54	Notes of Accounts
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी	84	Comments of the Comptroller and Auditor General of India

**पंजीकृत कार्यालय :** डिस्कवरी ऑफ इंडिया (6 वी मंजिल),  
नेहरू सेंटर, डॉ. अंणी बेसंट रोड,  
वरली, मुंबई - 400 018.

**Registered Office :** Discovery of India Building (6th Floor),  
Nehru Center, Dr. Annie Besant Road,  
Worli, Mumbai - 400 018.

**क्षेत्रीय कार्यालय :** **चेन्नई**  
नं. 3, भवानी मंशन, चौथी गली,  
नुंगमबक्कम हाई रोड, चेन्नई - 600 034.

**Regional Offices :** **CHENNAI**  
No. 3, Bhavani Mansion, 4th Street,  
Nugambakkam High Road, Chennai- 600 034.

**कोलकाता**  
शान्ति निकेतन, तीसरा तल,  
8 कामॉक स्ट्रीट, पो. बो. नं. 16043,  
कोलकाता - 700 017.

**KOLKATA**  
Shanti Niketan, 3rd Floor,  
8 Camac Street P. B. No. 16043  
Kolkata - 700 017

**नई दिल्ली**  
चौथा मजला, सूचना भवन,  
फेज 1, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोढी रोड,  
नई दिल्ली - 110 003.

**NEW DELHI**  
4th Floor, Soochana Bhavan,  
Phase 1, C. G. O. Complex, Lodhi Road,  
New Delhi - 110 003.

**शाखा कार्यालय :** **तिरुवनन्तपुरम्**  
द्वारा - के. एस. एफ. डी. सी. लिमिटेड,  
चलचित्र कलाभवन,  
तिरुवनन्तपुरम् - 695 014.

**Branch Office :** **THIRUVANANTHAPURAM**  
C/o. KSFDC Limited  
Chalachitera Kalabhavan,  
Thiruvananthapuram - 695 014.


**बैंक :**  
एच. डी. एफ. सी. बैंक  
भारतीय स्टेट बैंक  
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर  
इंडियन बैंक  
पंजाब नेशनल बैंक

**Bankers**  
H.D.F.C. BANK  
STATE BANK OF INDIA  
STATE BANK OF TRAVANCORE  
INDIAN BANK  
PUNJAB NATIONAL BANK

**लेखा परीक्षक :** मेसर्स मुकुन्द एम्. चितले एन्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार  
204 / 205 अग्रवाल श्याम कमल - ए  
विलेपार्ले (पू) मुम्बई - 400 057

**Auditors** **M/s. Mukund M. Chitle & Co.**  
Chartered Accountants  
204 / 205 Agrawal Shyam Kamal - A  
Vile Parle (E) Mumbai - 400 057

निदेशक मंडल  
BOARD OF DIRECTORS



श्री ओम पुरी  
अध्यक्ष  
(3 अप्रैल 2008 से)  
Shri Om Puri  
Chairman  
(from 3rd April 2008)



नीना लाठ गुप्ता  
प्रबंध निदेशक  
Nina Lath Gupta  
Managing Director



श्री. पी सत्यनारायणन  
निदेशक (वित्त)  
Shri P Sathyanarayanan  
Director (Finance)



श्री आर. सी. मिश्रा  
अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार  
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय  
Shri R. C. Misra  
Additional Secretary & Financial Advisor  
Information & Broadcasting Ministry



श्री वी. बी. प्यारेलाल  
संयुक्त सचिव (फिल्मस)  
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय  
Shri V. B. Pyarelal  
Joint Secretary (Films)  
Information & Broadcasting Ministry



श्री केतन मेहता  
निदेशक  
(25 जून 2008 से)  
Shri Ketan Mehta  
Director  
(from 25th June 2008)



श्री जानु बरुआ  
निदेशक  
(25 जून 2008 से)  
Shri Jahnu Barua  
Director  
(from 25th June 2008)

# राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

## सूचना

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड की 33 वीं सर्वसाधारण सभा बुधवार दि. 3 दिसम्बर, 2008 सुबह 11.00 बजे एनएफडीसी के निदेशक मंडल कक्ष, 7 वीं मंजिल डिस्कवरी ऑफ इंडिया बिल्डिंग, नेहरू सेंटर, डॉ. ए.बी. रोड, वरली, मुंबई 400018 में निम्नलिखित विषयों के सम्पादनार्थ होगी।

## सामान्य विषय

- 31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष की निदेशकों की रिपोर्ट तथा निगम के लेखा परीक्षित वार्षिक लेखों एवं उन पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा संशोधन सहित या संशोधन रहित निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना।  
"संकल्पित है कि दिनांक 31 मार्च, 2008 के लेखा परीक्षित तुलन पत्र और दिनांक 31 मार्च, 2008 समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों सहित प्राप्त किये उनपर विचार किया गया तथा पारित की गई।"
- संशोधन सहित या संशोधन रहित निम्नलिखित संकल्प को एक सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना  
"संकल्पित है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की वर्ष 2007-2008 से राशि निर्धारित की जाती है जो प्रतिवर्ष रु.6 लाख अधिक न हो।"  
आगे संकल्पित है कि उपर्युक्त मर्यादा के रहते हुए प्रबन्ध निदेशक तथा निदेशक (वित्त) लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार  
कृते राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

(इ.जे.पॉल)

कम्पनी सचिव/प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

दिनांक : 19-11-2008

स्थान : मुंबई

टिप्पणी :

सभा में उपस्थित रह कर मत देने का अधिकार प्राप्त सदस्य अपने स्थान पर मत देने के लिए परोक्षी की नियुक्ति कर सकते हैं। परोक्षी कंपनी का सदस्य हो यह आवश्यक नहीं।

सेवा में,

अंशधारीगण, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

# National Film Development Corporation Limited

## NOTICE

Notice is hereby given that the 33<sup>rd</sup> Annual General Meeting of the National Film Development Corporation Limited will be held on Wednesday, the 3<sup>rd</sup> December, 2008 at 11.00 a.m. in the Board Room of NFDC, at 7<sup>th</sup> Floor, Discovery of India Building, Nehru Centre, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai-400 018 to transact the business mentioned herein below:

### ORDINARY BUSINESS:

1. To read, consider and adopt the Director's Report and Audited Annual Accounts of the Corporation for the year ended 31<sup>st</sup> March 2008 and Auditors' Report and the comments of Comptroller and Auditor General of India thereon and to pass with or without modification the following Resolution as an Ordinary Resolution.  
“**RESOLVED** that the Audited Balance Sheet as on 31<sup>st</sup> March, 2008 and the Profit and Loss Account for the year ended 31<sup>st</sup> March, 2008 together with the Director's Report and the Auditors' Report and the comments of the Comptroller and Auditor General of India are hereby read, considered and adopted.”
2. To pass with or without modification the following Resolution as an Ordinary Resolution:  
“**RESOLVED** that the remuneration of the Auditors of the Company appointed by the Comptroller and Auditor General of India be fixed at an amount of not exceeding Rs.6 lakhs per annum with effect from the Financial Year 2007-08.  
**RESOVLED** further that subject to the above limitation the Managing Director and Director (Finance) is hereby authorized to fix the remuneration of the Auditors.”

By Order of the Board  
For National Film Development Corporation Limited

(E. J. PAUL)  
COMPANY SECRETARY/M(F&A)

Date:19-11-2008  
Place: Mumbai

---

### Note:

1. A Member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint Proxy to attend and vote instead of himself and the Proxy need not be a member.

To,  
All Share Holders of NFDC

## निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,  
अंशधारीगण  
राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

निगम का प्रमुख लक्ष्य विविध भारतीय भाषाओं के फिल्म निर्माण के माध्यम भारतीय सिनेमा में सौन्दर्य मूल्यों एवं नई प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। हाल ही के पिछले वर्षों में, निगम व्यावसायिक गतिविधियों में वित्तीय एवं प्रचालन में हुई हानियों की वजह से फिल्म निर्माण एवं वितरण के माध्यम भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के अपने प्रमुख लक्ष्य को अच्छी तरह पूरा नहीं कर सका है। वर्ष 1996-97 से निगम की प्राधिकृत एवं दत्त अंश पूँजी में कोई बदलाव नहीं आया है। फिल्म निर्माण की बढ़ती हुई लागतों के साथ पूँजी वृद्धि करण कदम ताल न कर सका। जहाँ निगम ने आन्तरिक स्रोतों से अपने प्रशासनिक एवं कार्मिक व्ययों को पूरा किया है वहीं व्यावसायिक प्रचालनों के खर्चों को पूरा करने तथा रणनीतिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रबन्धन पर एक पूर्ण संकेन्द्रित करने हेतु पूँजी में वृद्धि करण की आवश्यकता है। निगम ने आगामी पाँच वर्षों में स्वयं की पुनर्स्थापित करने की एक रणनीतिगत रूपरेखा तैयार करके प्रशासनिक मंत्रालय को सम्मिलित की है और उसमें दर्शाया गया है कि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार से स्रोतों (पूँजी वृद्धि एवं वित्तीय सहायता) की आवश्यकता है।

नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने तथा भारतीय सिनेमा की बहुभाषी विविधताओं को बढ़ावा देने के लिए निगम एक निर्देशक की किसी भी भारतीय भाषा में बनने वाली पहली फीचर फिल्म को बज की निर्धारित मर्यादा तक सम्पूर्ण वित्तीय सहायता देगा उसी तरह निगम द्वारा भारत तथा विदेश से साझेदारों के साथ पब्लिक प्राइवेट साझेदारी के आधार पर आय अर्जन के उद्देश्य से छोटे बजट की बेहतर गुणवत्ता वाली व्यावसायिक व्यवहार्य फिल्मों के सहनिर्माण को बढ़ावा दिया जायेगा।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का यह भी उद्देश्य है कि अन्य गतिविधियों द्वारा भारतीय सिनेमा के विकास को बढ़ावा मिले जैसे पटकथा विकास, स्वतंत्र फिल्मकारों द्वारा बनाई गई फिल्मों को विदेशी फिल्म बाजारों में बढ़ावा देना तथा भारतीय फिल्मकारों तथा विदेशी फिल्मकारों के बीच अच्छे पारस्परिक संवाद के लिए एक मंच के सृजन के रूप में फिल्म बाजार का आयोजन जो कि हर वर्ष नवम्बर में गोवा में आंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान निगम द्वारा आयोजित किया जाता है

निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लेखे और 33 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही हूँ।

### वित्तीय परिणाम

निगम ने रु. 1.60 करोड़ का प्रचालन लाभ गत वर्ष के दौरान रु. 1.38 करोड़ रुपयों की हानि के सामने दर्ज किया है। गत वर्ष की रु. 5.27 करोड़ रुपयों की शुद्ध हानि के सामने इस वर्ष की रु. 2.76 करोड़ रुपयों की शुद्ध हानि हुई है। इस शुद्ध हानि का प्रमुख कारण भारत सरकार से प्राप्त रु. 19.77 करोड़ के कार्य पूँजी ऋण के लिए @ 14.5 % के ब्याज का प्रावधान करना है। यह एक बड़े भार कासृजन एसे समय पर है जब निगम अपनी पिछली हानियों से ऊपर उठ रहा है। चूँकि इस ऋण को अंश पूँजी में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है, इस लिए निगम ने उस पर देय ब्याज की माफी चाही है। निगम की प्राधिकृत पूँजी रु. 14 करोड़ से रु. 50 करोड़ तक की बढ़ाने का अनुमोदन सैध्दान्तिक रूप से पहले ही प्राप्त हो चुका है। निगम की वित्तीय वर्ष 2006-2007 की सकल प्राप्तियाँ रु. 24.56 करोड़ रुपयों के सामने, वित्तीय वर्ष 2007-2008 में 35% प्रतिशत की बढ़ौत्तरी परिलक्षित करने हुए 33.19 करोड़ रुपयों की सकल प्राप्तियाँ दर्ज की है।

### लाभांश

निगम की पिछले वर्षों की संयित हानि और इस वर्ष के रिपोर्ट के अंतर्गत हुई हानि को ध्यान में रखते हुए निगम 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लिए किसी लाभांश की संस्तुति करने में असमर्थ है।

इस वर्ष के विनियोग का विवरण पिछले वर्ष के मुकाबले इस प्रकार है :-

	2007-08	रुपये लाख में 2006-2007
कर पूर्व (हानि)/ लाभ	(228)	(505)
कर प्रावधान	10	10
जोड/(घटाना) पूर्व वर्ष समंजन	(38)	(31)
जोड/(घटाना) अधिक प्रावधान वापस	-	-
संदिग्ध ऋण/ऋण और अग्रिमों	-	16
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	-	41
आस्थगित कर देयताएं	-	(38)
शुद्ध लाभ/ (हानि)	(276)	(527)
घटाना लाभ/ (हानि) आगे लाया गया	(1374)	(847)
तुलन पत्र को ले जाया गया शेष	(1650)	(1374)

निगम के पाँच वर्षों के कार्य निष्पादन को वित्तीय विशेषताओं की एक झलक अनुलग्नक 'क' में दर्शायी गयी है।

## निदेशकों की रिपोर्ट

### विशिष्टताएँ

#### व्यापार गतिविधियाँ :-

निगम की मुख्य आय अर्जित करने वाली गतिविधि दूरदर्शन के विविध चैनलों को फिल्मों की आपूर्ति जारी रही। इस गतिविधि से प्राप्त लाभ राशि से कार्मिक एवं प्रशासनिक लागत आंशिक रूप से पूरे हो जाते हैं। तथापि, दूरदर्शन प्राधिकारियों ने निगम को सूचित किया है कि फिल्मों का अधिगृहण सीधे राइट धारकों से ही करने का उनका विचार है जिसका असर निगम के लाभ राशियों के अर्जन पर तथा सकल प्राप्तियों में हुए हानि पर हुआ है। निगम का मंत्रालय/विभागों और राज्य सरकार निर्माण तथा प्रचार कार्य लेकर इस हानि की पूर्ति करने का निगम का प्रस्ताव है।

वर्ष के दौरान दो फिल्म परियोजनाएँ, 'लकी रेड सीड्स' (मनजाडी कुरु) और 'बाइस्कोप' (मलयालम) निर्माणाधीन है। वर्ष के दौरान निगम ने हिन्दी फीचर फिल्म 'वाया दार्जिलिंग' के निर्माणोत्तर निधि व्यवस्था की तथा फिल्म 'व्हाइट एलिफेंट' फिल्म का सहनिर्माण आरंभ हुआ है।

इस योजना के अंतर्गत अन्य चार परियोजनाएँ निर्माण के लिए चुनी गईं। चूँकि सारी फिल्में निर्माणाधीन हैं, निगम कोई भी नई फिल्म सिनेमा गृह में रिलीज नहीं कर सका। निगम द्वारा निर्माण हुई फिल्मों को रिलीज करने के लिए बड़े शहरों में मल्टी प्लेक्स की श्रृंखला वाले पी.वी.आर सिनेमा के साथ व्यवस्था की है। इस पहल के अंतर्गत निगम को पुरानी अंतरराष्ट्रीय सहनिर्मित 'काली सलवार' और 'डान्स ऑफ द विंड' नामक फिल्में मेट्रोज में थिएटरों से प्रदर्शित की गईं।

निगम ने वितरण के लिए फिल्म 'जयगंगा' और 'गांधी' (तेलगु में डब) की डीवीडी भी तैयार की।

निगम ने केन्द्रशासित चंडीगढ़ के साथ जुड़ कर "नैशनल फिल्म सर्कल" की सदस्य संख्या बढ़ा ली है। एनएफसी के गतिविधि की मजबूत बनाने के लिए नेहरू सेन्टर परिसर में पूर्वदर्शन प्रेक्षागृह को उच्चस्तरीय बनाने का प्रस्ताव है तथा राज्य सरकार के तथा स्वायत्त संस्थाएं/ विदेशी मिशनर्स / एम्बेसीज के नियंत्रण के अंतर्गत अन्य थिएटरों से गठबंधन करने का भी प्रस्ताव है।

निगम ने अपनी फिल्मों की मार्केटिंग के लिए मुख्य समारोह/विदेशी मार्केटों में प्रयास जारी रखा है मार्केट प्रमोशन के एक भाग के रूप में इस वर्ष के दौरान निगम ने मिप टीवी, कान्स समारोह, मिपकोम, और सिनेमार्ट (जहाँ सम्भाव्य सहनिर्माण के लिए मार्केट में एनएफसी की छत्र छाया में पाँच नए भारतीय फिल्मकारों का परिचय करवाया गया) कान्स फिल्म समारोह के एक भाग के रूप में निर्माताओं के क्लब में निगम ने भाग लिया और भारतीय फिल्मकारों को मार्केट में भाग लेने के लिए सहायता की। निगम ने भारत के और विदेश में विविध समारोह में अर्जित / निर्मित फिल्में भी भेजी है ताकि उससे संभाव्य व्यापार के लिए मार्ग सृजित हो सके।

निगम को अपने सभी प्रयासों से निर्यात अर्जन में भारी वृद्धि की अपेक्षा है।

स्वतंत्र फिल्मकारों के लिए प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के एक भाग के रूप में निगम ने फिल्म बाजार का आयोजन किया जहाँ विविध देशों के प्रसिद्ध फिल्म निर्माताओं तथा सेल्स एजेंट्स को आमंत्रित किया गया तथा यह बाजार गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान तीन दिनों तक संचालित किया गया। फिल्म जगत से मिली हुई प्रतिक्रियाओं ने प्रोत्साहित किया। भारतीय सिनेमा को संभाव्य मार्केट के विकास के लिए भविष्य में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान फिल्म बाजार का संचालन करने का प्रस्तावित है।

भारतीय तथा विदेशों के प्रसिद्ध फिल्मकारों की मार्गदर्शक के रूप में सहायता से गोवा के अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह, से पहले छह दिन की पटकथा विकास कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। उभरते हुए फिल्मकारों की आठ चुनी गई पटकथाएं सफलता पूर्वक आयोजित कार्यशाला में प्रतिभागिता हेतु शामिल की गईं।

निगम ने हाल ही में फीचर फिल्मों टेलिविजन मूवी चैनलों के लिए शुरू से अन्त तक निर्माण के लागत-परिणाम की उपशीर्षक प्रोग्रामिंग सेवाएं शुरू की हैं। मुंबई में नॉन लाइनर एडिटिंग के उद्देश्य से विद्यमान वीडियो एडिटिंग, एवीड एच डी प्रो के साथ उनकी सुविधाओं का दर्जा बढ़ाया गया है ऐसी ही समान सुविधाएं नई दिल्ली, चैन्नई और कोलकाता में पहले से उपलब्ध है।

#### राजभाषा कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत समय-समय पर बनाये गये नियमों तथा राजभाषा विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा सरकारी विभाग द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित जारी आदेशों को कार्यान्वित किया गया।



## DIRECTOR'S REPORT

### HIGHLIGHTS

#### BUSINESS ACTIVITIES

The main revenue earning activity of the Corporation continued to be supply of films to Doordarshan for its various channels. The margin from this activity could meet the personnel and administrative costs partially. However, the Doordarshan authorities had informed the Corporation of their intention of sourcing films directly from the right holders which will result in loss of Turn over and margin earned by the Corporation. The Corporation proposes to make up for this loss through taking up Production and publicity work of Ministry/Departments and State Governments.

During the year two film projects, namely **LUCKY RED SEEDS (MANJAADIKURU) (Malayalam)** and **BIOSCOPE (Malayalam) were under production**. The Corporation also funded the post production of Hindi feature film **VIA DARJEELING** during the year. The Co-production of the film **WHITE ELEPHANT** was commenced. Another four projects have been identified for production under the scheme.

Since all the films were under production, the Corporation could not release any new film in the Theatrical Circuit. The Corporation tie up with PVR Cinemas having a chain of multiplexes in Metros to release the films produced by the Corporation. Under this initiative NFDC's yesteryears international co-productions namely **Kali Salwar** and **DANCE OF THE WIND** were released in the theatres in metros.

The Corporation has also brought out DVDs of the films **JAYA GANGA** and **GANDHI (dubbed in Telegu)** for distribution.

The Corporation increased its membership in the National Film Circle by tying up with Union Territory of Chandigarh. In order to strengthen the activity of NFC it is proposed to upgrade the preview theatre in the Nehru Centre Premises and also tie up with other theatres under the control of State Governments and autonomous bodies/foreign missions/embassies.

The Corporation continued its effort to market its films in important festivals/markets abroad. As a part of market promotion, NFDC participated in MIPTV, Cannes Festival, MIPCOM and Cinemart (where the Corporation introduced five new Indian filmmakers under NFDC's umbrella in the market for possible co-production) during the year. The Corporation also took part in the Producers Club as part of the Cannes Film Market and facilitated Indian filmmakers to participate in the market. The Corporation also sent the films acquired/produced to various film festivals in India and abroad, thereby creating an avenue for potential business.

The Corporation expects substantial growth in export earnings through all its efforts.

As a part of providing a platform for independent film makers, the Corporation organized the Film Bazaar where noted film makers and sales agents from various countries were invited. The Bazaar was conducted for 3 days during the International Film Festival at Goa. The response from the film fraternity was encouraging. It is proposed to conduct Film Bazaar in future during the International Film Festival to develop the same as a potential market for Indian films.

A six-day Script development workshop was also held prior to the International Film Festival at Goa with the help of noted film makers from India and abroad acting as mentors. Eight selected scripts of budding film makers were included for participation in the work shop which was successfully conducted.

The Corporation has recently begun services for the production of cost effective open-ended subtitles programming for feature films particularly for the television movie channels. Existing video editing facilities with AVID HD Pro for the purpose of Non linear editing at Mumbai have been upgraded. Similar facilities are already available in New Delhi, Chennai and Kolkata.

#### OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

The Official Language Act, along with the Rules thereof and orders issued from time to time by the Department of Official Language, Ministry of Information and Broadcasting, and the Department of Public Enterprises regarding use of Hindi, were implemented in the Corporation during the year. Meetings of the Official Language Implementation Committee

## निदेशकों की रिपोर्ट

निगम में हिन्दी के प्रयोग की प्रगति की समीक्षा के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं और राजभाषा विभाग, गृहमंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2007-2008 के वार्षिक कार्यक्रम को भलीभांति कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाये गये।

### अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण।

सरकार की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण / भरती सम्बंधी निदेशों का पालन किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य अनुसूचित संवर्गों के सम्बंध में सरकारी निर्देशों के अनुसार रोस्टर रखा जाता है।

### कर्मचारियों से सम्बन्धित मामले।

निगम के कर्मचारियों तथा प्रबन्धन के बीच औद्योगिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण रहे। निगम की यूनित कौन्सिल की बैठकें समय समय पर हुईं। इनमें लागत कम करने, उत्पादकता बढ़ाने तथा कर्मचारी कल्याण से सम्बन्धित मामलों पर विचार किया गया प्रबन्धन भी यूनियन के प्रतिनिधियों तथा अधिकारी संघों से उनके उठाये गये मुद्दों पर विचार विमर्श हेतु समय-समय पर मिलता रहा।

### सतर्कता मामले

इस वर्ष के दौरान कोई भी सतर्कता का मामला विचाराधीन नहीं है।

### भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन

रिपोर्टाधीन वर्ष में एनएफडीसी ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ वित्तीय वर्ष 2008-2009 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जिसमें निगम के उद्देश्यों के आधार पर अपने अपेक्षित निष्पादन के मापदण्डों को परिभाषित किया गया है।

निगम द्वारा निम्नानुसार विविध वित्तीय मापदण्डों को प्राप्त किया जाना है :-

1)	सकल प्राप्तियाँ	रुपये 3950 लाख
2)	सकल मार्जिन	रुपये 346 लाख
3)	सकल मार्जिन / टर्नओवर	8.75%
4)	सकल मार्जिन / पूँजी नियोजन	13.61%
5)	कार्मिक एवं प्रशासनिक लागत/ सकल प्राप्तियाँ	17.72 %

सरकार द्वारा वर्ष 2008-2009 के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निम्नांकित वचन वृद्धताएं की गईं।

- (1) यदि सरकार की ओर से किसी गतिविधि को लेने के लिए कोई मांग निगम से की गई तो सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे कार्य को पूरा करने के लिए समय से समुचित रूप से वित्तीय पूर्ति की जाएगी बशर्ते सरकार के साथ उसकी शर्तें अग्रिम रूप से तय कर दी गईं हों।
- (2) वर्ष 1996 से कम्पनी की अंश पूँजी आधार रु. 14 करोड़ रहा है। फिल्म निर्माण की बढ़ी हुई लागतों को देखते हुए निगम के लिए मौजूदा दत्त पूँजी के साथ फिल्मों का निर्माण सम्भव नहीं है। इस गतिविधि के क्षेत्र में विस्तार निगम में अतिरिक्त पूँजी वृद्धि करण पर आधारित होगा। आगे सरकार को प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार, 100% निर्माण योजना का कार्यान्वयन निगम को 11 वी योजना के अन्तर्गत इस उद्देश्य से एक अनुदान के रूप स्वीकृत निधि पर निर्भर होगा।
- (3) सार्वजनिक उद्यम कार्यालय के दिशा निर्देशों के अनुसार हस्ताक्षर कर्ता सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को उपलब्ध पूर्ण कार्यकारी स्वायत्तता एनएफडीसी को भी पूरी तरह स्वीकार्य होगी।

### निदेशक मंडल की बैठकें

वर्ष 2007-2008 में निदेशक मंडल की पाँच बैठकें हुईं वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान निदेशक मंडलों में कोई भी बदलाव नहीं हुआ।

### लेखा परीक्षण समिति

निदेशक मंडल की लेखा परीक्षण समिति की वर्ष के दौरान वित्त तथा लेखा से सम्बन्धित विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए बैठकें हुईं।

## **DIRECTOR'S REPORT**

were held regularly to review the use of Hindi in the Corporation and steps taken to implement the Annual Program for the year 2007-2008 issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India.

### **RESERVATION FOR SCHEDULED CASTES / SCHEDULED TRIBES**

Government directives relating to SC/ST reservation/recruitment were followed. The roster is maintained as per the Government's directives in the matter of reservation for Scheduled Castes/Scheduled Tribes and other notified categories in the service.

### **STAFF MATTERS**

Relations between Management and Staff continued to be cordial. The Unit Council of the Corporation met periodically, to discuss measures relating to cost reduction, increase in productivity, and staff welfare matters. The Management also periodically met the representatives of the Union and the Officers' Associations, to discuss issues raised by them.

### **VIGILANCE MATTERS**

There are no vigilance cases pending during the year.

### **MOU WITH THE GOVERNMENT OF INDIA**

NFDC signed a Memorandum of Understanding for FY 2008-09 with the Ministry of Information & Broadcasting during the year under report, in which the various parameters of expected performance, based on the objectives of the Corporation, have been defined.

The various financial parameters to be attained by NFDC are as follows:

1.	Turnover	Rs.3950 lakhs
2.	Gross margin	Rs.346 lakhs
3.	Gross margin/Turnover	8.75%
4.	Gross margin/capital employed	13.61%
5.	Personnel & Administrative costs/ Turnover	17.72%

The following commitments have been made by the Government in the MoU signed for FY 2008-09:

1. In case any demands are placed on the Corporation to undertake any activities on behalf of the Government, the Government would ensure fair and timely financial compensation for executing such work, provided the terms for the same are settled with the Government in advance.
2. The equity base of the Company has stood at Rs.14.00 crores since 1996. Given the huge escalation in costs of film production, it is difficult for the Corporation to undertake production of films with the existing paid up capital. Expansion in this area of activity would be dependent on infusion of additional equity in the Corporation. Further, as per the proposal submitted to the Government, the implementation of the 100% production scheme is dependent upon sanction of funds to NFDC under the 11<sup>th</sup> Plan as a grant for this purpose.
3. Full functional autonomy available to MOU signing PSUs as per the guidelines of the DPE will be admissible to NFDC in its entirety.

### **BOARD MEETINGS**

Five Board Meetings were held in 2007-08. During the year, there was no change in the Board of Directors during the Financial Year 2007-08.

### **AUDIT COMMITTEE**

The Audit Committee of the Board met during the year to discuss various issues related to Finance and Accounts.

## निदेशकों की रिपोर्ट

### उर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेशन आदि पर रिपोर्ट ।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (1) (ह) के प्रावधानों के अनुसार जिन्हे कम्पनी नियम (निदेशक मंडल की रिपोर्ट में विवरणों का प्रकट करना ) 1988 के साथ पढ़ा जाए, उर्जा संरक्षण तथा तकनीकी समावेशन आदि निगम पर लागू नहीं होते ।

### उन कर्मचारियों का विवरण जो धारा 217 (2ए) के अनुरूप वेतन पाते हो ।

कम्पनी में ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं था जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2ए) जिसे कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के साथ पढ़ा जाए , द्वारा नियत सीमा से अधिक वेतन पा रहा हो ।

### निदेशकों का दायित्व सम्बन्धी व्यक्तव्य

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2एए) के अन्तर्गत यह पुष्ट किया जाता है कि :-

- i) हिसाब-किताब का वार्षिक लेखा तैयार करने में हिसाब-किताब के वही मापदण्ड अपनाए गये हैं, जो आम तौर पर अपनाए जाते हैं और साथ में वित्तीय विवरणों से सम्बन्धित आवश्यक स्पष्टीकरण भी दे दिए गये हैं ।
- ii) निदेशकों ने हिसाब-किताब के सम्बन्ध में उन्ही नीतियों का चुनाव किया तथा सुसंगत रूप में लागू किया और अनुमान एवं निर्णय लिये जो सही एवं तथ्य परक हैं । जो कम्पनी के मामलों को सही और सच्चा विवरण देने में समर्थ है । कम्पनी के वित्तीय वर्ष के अंत में और लाभ अथवा हानि का सही और सच्चा विवरण देते हैं ।
- iii) निदेशकों ने कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसी भी तरह की अनियमितताओं तथा जालसाजी आदि को रोकने के लिए लेखे-जोखे का रिकार्ड इस अधिनियम की धाराओं के अनुरूप पर्याप्त रूपसे रखा है और उसकी देखभाल के लिए पर्याप्त इन्तजाम किए हैं ।
- iv) निदेशकों ने वार्षिक लेख-जोखे का विवरण संचलित संस्थान के आधार पर तैयार किया है ।

### लेखा परीक्षक

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अधीन मेसर्स मुकुंद एम. चितले एन्ड कम्पनी, सनदी लेखाकार , 204/205 अगरवाल श्यामकमल ए, विलेपार्ले ( इस्ट ) मुम्बई-400 057 को वर्ष 2007-2008 के लिए निगम के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया ।

### आभार

निदेशक मंडल कम्पनी के व्यावसायिक भागीदारों को उनके सहयोग और संस्था में उनके विश्वास के प्रति आभारी है और पूरी आशा करता है कि भविष्य में उनका ऐसाही निरन्तर पारस्परिक सहयोग जारी रहेगा । निदेशक मंडल अपने रिकार्ड में निगम के निदेशक मंडल से बाहर जानेवाले निदेशकों के प्रति अपनी गहरी सराहना उनके उल्लेखनीय बहुमूल्य योगदान के लिए दर्ज करता है ' भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से जो समर्थन और मार्गदर्शन मिलता रहा है , उसके प्रति भी निदेशक मंडल आभार प्रकट करता है विशेषकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय , कम्पनी के संचालन और विकासात्मक योजनाओं के लिए आभारी है । नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, भारत सरकार लेखा मंडल के अध्यक्ष एवं सदस्यों , वैधानिक लेखा परीक्षकों , आंतरिक लेखा परीक्षकों तथा बैंको , संरक्षकों और कम्पनी ग्राहकों के प्रति निदेशक मंडल आभार प्रकट करता है । निदेशक मंडल राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम परिवार के सभी सदस्यों के प्रति उनके उत्साहपूर्ण समर्पित कार्यों के लिए गहरी कृतज्ञता भी दर्ज करता है । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी की सुचारु क्रियाशीलता के लिए उनके द्वारा दिया गया सहयोग बहुमूल्य था ।

निदेशक मंडल की ओर से

स्थान - मुंबई  
दिनांक : 19-09-2008

(ओमपुरी)  
अध्यक्ष

## **DIRECTOR'S REPORT**

### **REPORT ON CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION, ETC.**

Information in accordance with the provisions of Section 217 (1) (e) of the Companies Act, 1956 read with the Companies (Disclosure of Particulars in the Report of Board of Director) Rules, 1988 regarding Conservation of Energy, Technology Absorption is not applicable to the Corporation.

### **PARTICULARS OF EMPLOYEES RECEIVING SALARY AS PER SECTION 217 (2A)**

There was no employee of the Company who received remuneration in excess of the limits prescribed under Section 217 (2A) of the Companies Act, 1956, read with the Companies (Particulars of Employees) Rules, 1975.

### **DIRECTORS' RESPONSIBILITY STATEMENT**

Pursuant to Section 217 (2AA) of the Companies Act, 1956, it is hereby confirmed that

- (I) In the preparation of the Annual Accounts, the applicable accounting standards have been followed, along with proper explanation relating to material departures;
- (ii) The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently, and made judgments and estimates that are reasonable and prudent, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year, and of the profit or loss of the company for that period.
- (iii) The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company, and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (iv) That the Directors have prepared the Annual Accounts on a going concern basis.

### **AUDITORS**

The Comptroller and Auditor General of India, appointed M/s. Mukund M. Chitale & Co., Chartered Accountants, 204/205 Agrawal Shyamkamal-A, Vile Parle (E), Mumbai-400 057 as Auditors of the Corporation for the year 2007-2008 under Section 619(2) of the Companies Act, 1956.

### **ACKNOWLEDGEMENTS**

The Board thanks the Company's business partners for their support and confidence in the organization and look forward to sustaining this mutually supportive relationship in the future as well. The Board also gratefully acknowledges the support and guidance received from various Ministries of the Government of India, particularly the Ministry of Information and Broadcasting, in the Company's operations and developmental plans. The Directors also express their grateful thanks to the Comptroller and Auditor General of India, Chairman and members of the Audit Board, Statutory Auditors, Internal Auditors, Bankers, patrons and customers of the Company.

The Board also records its deep gratitude to all members of the NFDC family for their enthusiastic and dedicated work. The co-operation extended by them to the Management was invaluable for the smooth functioning of the Company during the year under report.

For and on behalf of the Board of Directors,

**(OM PURI)**  
CHAIRMAN

PLACE: MUMBAI  
DATE: 19/09/2008

**पिछले पाँच वर्षों के दौरान निगम के कार्य निष्पादन की विशिष्टताएँ**

**अनुलग्नक (क)**

रुपये लाख में

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
<b>पूँजी संरचना</b>					
प्राधिकृत पूँजी	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
दत्त पूँजी	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
<b>वित्तीय विशिष्टताएँ</b>					
सकल प्राप्तियाँ	3,690.65	2,209.28	*3,786.71	2,455.76	3,318.99
खर्च	4,616.14	2,596.02	3,538.56	2,961.36	3,552.22
कर पूर्व लाभ/(हानि)	(925.49)	(386.74)	248.15	(505.6)	(233.23)
कर पश्चात (हानि)/ लाभ	(925.49)	(386.74)	238.15	(515.6)	(243.23)
विदेशी मुद्रा में आय	69.00	100.03	62.88	68.24	111.05
<b>संचालनगत विशिष्टताएँ</b>					
फिल्म निर्माण और फिल्म उपकरणों की खरीद के लिए संवितरित ऋण	11.86	-	-	-	-
स्वनिर्मित/सहनिर्माण फिल्मों में निवेश	186.73	13.87	9.59	84.11	150.35
प्रेक्षागृह निर्माण के लिए संवितरित ऋण	-	-	-	-	-
<b>आय</b>					
टीवी के माध्यम फिल्मों का वितरण	2,578.19	1,408.56	658.57	1,564.93	2,077.34
फिल्म सॉफ्टवेयर का निर्यात	141.51	133.21	67.92	121.57	119.15
विदेशी फिल्म वितरण	19.49	35.00	128.99	222.21	91.83
विशेष परियोजनाएँ	518.02	297.49	296.86	308.51	602.93

\* इसमें पुनरावर्तित प्रावधान के रु. 2499.80 लाख शामिल हैं !

## HIGHLIGHTS OF THE PERFORMANCE OF THE CORPORATION DURING THE LAST FIVE YEARS

### ANNEXURE “A”

(Rs. in Lakhs)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
<b>CAPITAL STRUCTURE</b>					
Authorised Capital	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
Paid -Up capital	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
<b>FINANCIAL HIGHLIGHTS</b>					
Turnover	3,690.65	2,209.28	*3,786.71	2,455.76	3,318.99
Expenditure	4,616.14	2,596.02	3,538.56	2,961.36	3,552.22
Profit / ( Loss ) Before Tax	(925.49)	(386.74)	248.15	(505.6)	(233.23)
Profit / ( Loss ) After Tax	(925.49)	(386.74)	238.15	(515.6)	(243.23)
Earnings in Foreign Exchange	69.00	100.03	62.88	68.24	111.05
<b>OPERATIONAL HIGHLIGHTS</b>					
Loan disbursed for production of film and purchase of film equipments	11.86	-	-	-	-
Investment in Own Production/co-production	186.73	13.87	9.59	84.11	150.35
Loan disbursed for Theatre Construction	-	-	-		
<b>Earnings</b>					
Distribution of Films Through TV	2,578.19	1,408.56	658.57	1,564.93	2,077.34
Export of Film Software	141.51	133.21	67.92	121.57	119.15
Foreign Film Distribution	19.49	35.00	128.99	222.21	91.83
Special Projects	518.02	297.49	296.86	308.51	602.93

\*This Includes Provision Written Back of Rs. 2499.80 Lakhs.

## सिनेमागृह ऋणों का वर्ष-वार संवितरण तथा वसूलियों की स्थिति

**अनुलग्नक (ख)**

(रुपये लाख में)

वर्ष	संवितरित राशि एनएफडीसी का अंश रुपये	वसूल राशि		कुल रुपये
		मूल रुपये	ब्याज रुपये	
1980-1981	9.90	0.00	0.04	0.04
1981-1982	50.21	0.54	0.23	0.77
1982-1983	80.13	4.25	5.26	9.51
1983-1984	70.86	15.11	19.61	34.72
1984-1985	79.23	20.76	24.29	45.05
1985-1986	72.30	40.33	30.42	70.75
1986-1987	52.12	42.57	26.26	68.83
1987-1988	44.57	64.97	35.12	100.09
1988-1989	61.73	68.50	37.67	106.17
1989-1990	9.89	30.21	21.27	51.48
1990-1991	29.08	62.44	25.43	87.87
1991-1992	25.07	16.97	32.47	49.44
1992-1993	20.50	22.40	16.97	39.37
1993-1994	8.50	30.29	23.57	53.86
1994-1995	30.00	21.22	18.08	39.30
1995-1996	19.00	36.74	22.89	59.63
1996-1997	50.00	20.19	29.33	49.52
1997-1998	29.50	39.98	27.41	67.39
1998-1999	11.00	37.90	12.74	50.64
1999-2000	7.00	25.53	13.10	38.63
2000-2001	0.00	11.75	10.01	21.76
2001-2002	0.00	19.16	3.30	22.46
2002-2003	0.00	13.43	5.92	19.35
2003-2004	0.00	20.39	4.45	24.84
2004-2005	0.00	12.29	0.09	12.38
2005-2006	0.00	26.55	0.97	27.52
2006-2007	-	8.40	-	8.40
2007-2008	-	8.40	-	8.40
कुल	760.59	721.27	446.90	1168.17



**POSITION REGARDING YEARWISE DISBURSEMENT AND  
RECOVERY OF THEATRE LOANS**

**ANNEXURE “B”**

(Rs. in Lakhs)

Year	Amount Disbursed NFDC Share	Amount Recovered		Total
		Principal	Interest	
1980-1981	9.90	0.00	0.04	0.04
1981-1982	50.21	0.54	0.23	0.77
1982-1983	80.13	4.25	5.26	9.51
1983-1984	70.86	15.11	19.61	34.72
1984-1985	79.23	20.76	24.29	45.05
1985-1986	72.30	40.33	30.42	70.75
1986-1987	52.12	42.57	26.26	68.83
1987-1988	44.57	64.97	35.12	100.09
1988-1989	61.73	68.50	37.67	106.17
1989-1990	9.89	30.21	21.27	51.48
1990-1991	29.08	62.44	25.43	87.87
1991-1992	25.07	16.97	32.47	49.44
1992-1993	20.50	22.40	16.97	39.37
1993-1994	8.50	30.29	23.57	53.86
1994-1995	30.00	21.22	18.08	39.30
1995-1996	19.00	36.74	22.89	59.63
1996-1997	50.00	20.19	29.33	49.52
1997-1998	29.50	39.98	27.41	67.39
1998-1999	11.00	37.90	12.74	50.64
1999-2000	7.00	25.53	13.10	38.63
2000-2001	0.00	11.75	10.01	21.76
2001-2002	0.00	19.16	3.30	22.46
2002-2003	0.00	13.43	5.92	19.35
2003-2004	0.00	20.39	4.45	24.84
2004-2005	0.00	12.29	0.09	12.38
2005-2006	0.00	26.55	0.97	27.52
2006-2007	-	8.40	-	8.40
2007-2008	-	8.40	-	8.40
TOTAL	760.59	721.27	446.90	1168.17

## बकाया फिल्म ऋणों का विवरण

**अनुलग्नक (ग)**  
(रुपये लाख में)

वर्ष	स्वीकृत ऋण	संवितरित ऋण	वसूल राशि			अशोध्य ऋण बट्टे खात में डाले गये मूल और ब्याज (फिल्म अधिगृहित)	मूल बकाया रक्कम
			मूल	ब्याज	कुल		
1960-61 से 1979-80	381.45	319.03	132.65	34.83	167.43	76.23	-
तत्कालीन फिल्म वित्त निगम काल							
1980-81	35.83	23.84	7.46	7.26	14.72	49.14	89.61
1981-82	28.85	33.72	15.66	4.68	20.34	-	107.67
1982-83	29.72	29.30	15.91	11.46	27.37	-	121.06
1983-84	17.99	16.26	8.08	9.37	17.45	-	129.24
1984-85	53.04	21.29	16.93	10.28	27.21	5.29	130.65
1985-86	58.55	46.87	20.60	8.81	29.41	20.83	144.24
1986-87	91.95	53.33	30.60	11.80	42.40	2.75	165.73
1987-88	74.60	52.99	39.79	17.03	56.82	3.67	175.25
1988-89	76.15	28.06	27.00	11.68	38.68	-	176.31
1989-90	35.30	23.24	26.02	6.86	32.88	10.17	163.36
1990-91	110.24	71.49	36.01	8.37	44.38	0.56	198.28
1991-92	58.02	65.32	20.42	7.55	27.97	0.49	242.69
1992-93	41.75	46.93	9.43	15.22	24.65	1.34	278.85
1993-94	72.00	51.04	32.58	17.28	49.86	10.18	290.13
1994-95	28.12	26.88	50.18	17.12	67.28	67.80	224.57
1995-96	15.00	15.79	20.57	14.08	34.65	0.10	219.79
1996-97	27.80	23.70	5.57	9.70	15.27	130.44	160.40
1997-98	152.00	12.35	5.88	2.53	8.41	27.04	154.78
1998-99	40.00	46.00	12.24	6.50	18.74	-	188.53
1999-2000	20.00	22.89	12.76	1.56	14.32	-	198.66
2000-2001	-	-	-	2.69	2.69	121.91	126.06
2001-2002	10.00	7.39	22.06	4.80	26.86	3.45	111.39
2002-2003	45.00	15.75	-	16.00	16.00	-	127.14
2003-2004	-	11.86	-	-	-	-	139.00
2004-2005	-	-	-	13.35	13.35	-	139.00
2005-2006	-	-	-	10.97	10.97	-	139.00
2006-2007	-	-	5.07	7.45	12.52	82.82	82.09
2007-2008	-	-	-	0.25	-	3.26	82.09
राफिविनि का योग	1,121.91	746.29	440.80	254.65	695.20	541.24	
कुल योग	1,503.36	1,065.32	573.45	289.48	862.68	617.47	

# STATEMENT OF FILM LOAN OUTSTANDING

## ANNEXURE “C”

(Rs.in Lakhs)

Year	Loan Sanctioned	Loan Disbursed	Amount Recovered			Bad debts Written off Principal & Interest (Film Taken Over)	Principal Amount Out-standing
			Principal	Interest	Total		
1960-61 TO 1979-80	381.45	319.03	132.65	34.83	167.43	76.23	-
Erstwhile FFC period							
1980-81	35.83	23.84	7.46	7.26	14.72	49.14	89.61
1981-82	28.85	33.72	15.66	4.68	20.34	-	107.67
1982-83	29.72	29.30	15.91	11.46	27.37	-	121.06
1983-84	17.99	16.26	8.08	9.37	17.45	-	129.24
1984-85	53.04	21.29	16.93	10.28	27.21	5.29	130.65
1985-86	58.55	46.87	20.60	8.81	29.41	20.83	144.24
1986-87	91.95	53.33	30.60	11.80	42.40	2.75	165.73
1987-88	74.60	52.99	39.79	17.03	56.82	3.67	175.25
1988-89	76.15	28.06	27.00	11.68	38.68	-	176.31
1989-90	35.30	23.24	26.02	6.86	32.88	10.17	163.36
1990-91	110.24	71.49	36.01	8.37	44.38	0.56	198.28
1991-92	58.02	65.32	20.42	7.55	27.97	0.49	242.69
1992-93	41.75	46.93	9.43	15.22	24.65	1.34	278.85
1993-94	72.00	51.04	32.58	17.28	49.86	10.18	290.13
1994-95	28.12	26.88	50.18	17.12	67.28	67.80	224.57
1995-96	15.00	15.79	20.57	14.08	34.65	0.10	219.79
1996-97	27.80	23.70	5.57	9.70	15.27	130.44	160.40
1997-98	152.00	12.35	5.88	2.53	8.41	27.04	154.78
1998-99	40.00	46.00	12.24	6.50	18.74	-	188.53
1999-2000	20.00	22.89	12.76	1.56	14.32	-	198.66
2000-2001	-	-	-	2.69	2.69	121.91	126.06
2001-2002	10.00	7.39	22.06	4.80	26.86	3.45	111.39
2002-2003	45.00	15.75	-	16.00	16.00	-	127.14
2003-2004	-	11.86	-	-	-	-	139.00
2004-2005	-	-	-	13.35	13.35	-	139.00
2005-2006	-	-	-	10.97	10.97	-	139.00
2006-2007	-	-	5.07	7.45	12.52	82.82	82.09
2007-2008	-	-	-	0.25	-	3.26	82.09
TOTAL OF NFDC	1,121.91	746.29	440.80	254.65	695.20	541.24	
GRAND TOTAL	1,503.36	1,065.32	573.45	289.48	862.68	617.47	

# राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड

## कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 217 (2ए) (i) के अधीन कर्मचारियों का अपेक्षित विवरण

पूरे वित्तीय वर्ष 2007-2008 में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण जिनका पारिश्रमिक वर्ष के दौरान रुपये 12,00,000/- से कम नहीं था.

अनुलग्नक (घ)

कर्मचारी का नाम	आयु	पदनाम	कुल प्राप्ति	अर्हताएं	सेवारंभ की तारीख	अनुभव	गत सेवा संस्था.
-----------------	-----	-------	--------------	----------	------------------	-------	-----------------

————— कुछ नहीं —————

## कंपनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 217 (2ए) (ii) के अधीन कर्मचारियों का अपेक्षित विवरण

वित्तीय वर्ष के दौरान एवं वर्ष 2007-2008 के भाग में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण जिनका पारिश्रमिक वर्ष के दौरान 12,00,000/- से कम नहीं था

अनुलग्नक (च)

कर्मचारी का नाम	आयु	पदनाम	कुल प्राप्ति	अर्हताएं	सेवारंभ की तारीख	अनुभव	गत सेवा संस्था.
-----------------	-----	-------	--------------	----------	------------------	-------	-----------------

————— कुछ नहीं —————

पारिश्रमिक में वेतन, मकान भत्ता, भविष्य निधि में कम्पनी का हिस्सा, चिकित्सा व्यय की प्रति पूर्ति, भुनाई गई छुट्टियों की रकम, तथा रियायत अनुदान और एक्स ग्रेंशिया भुगतान, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को अदा किया गया मुआवजा पर व्यय सम्मिलित है.

उपर्युक्त में से कोई भी कर्मचारी निगम के किसी भी निदेशक से संबंधित नहीं है .

रोजगार का तरीका नियमित है.

उपर्युक्त कर्मचारी निगम के नियमों के अधीन शासित हैं.

# **National Film Development Corporation Limited**

## **PARTICULARS OF EMPLOYEES REQUIRED UNDER SECTION 217 (2A) (i) OF THE COMPANIES ACT, 1956**

**PARTICULARS OF EMPLOYEE EMPLOYED THROUGHOUT THE FINANCIAL YEAR 2007-2008  
WHO WERE IN RECEIPT OF REMUNERATION NOT LESS THAN RS. 12,00,000/- P.A.**

### **ANNEXURE “D”**

Employees Name	Age	Designation	Total Earnings	Qualification	Dt. Of Joining	Experience	Previous Employment
----------------	-----	-------------	----------------	---------------	----------------	------------	---------------------

————— NIL —————

## **PARTICULARS OF EMPLOYEES REQUIRED UNDER SECTION 217 (2A)(ii) OF THE COMPANIES ACT, 1956**

**PARTICULARS OF EMPLOYEE EMPLOYED FOR PART OF FINANCIAL YEAR 2007-2008  
WHO WERE IN RECEIPT OF REMUNERATION NOT LESS THAN RS. 12,00,000/- P.A.**

### **ANNEXURE “E”**

Employees Name	Age	Designation	Total Earnings	Qualification	Dt. Of Joining	Experience	Previous Employment
----------------	-----	-------------	----------------	---------------	----------------	------------	---------------------

————— NIL —————

Remuneration includes Salary, HRA, Company's contribution to Provident Fund, Reimbursement of Medical Expenses, Leave encashment, Leave Travel concession, Gratuity payments and ex-gratia payments/compensation.

None of the above employees are related to any Director of the Company.

Nature of employments is regular.

All the above employees are governed by the rules of the company.

## लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

### राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के सदस्यों के लिए

हमने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के 31 मार्च, 2008 के संलग्न तुलन पत्र को तथा लाभ एवं हानि लेखे को तथा उसी चक्र को समाप्त होने वाले वर्ष के रोकड़ प्रवाह चक्र को भी परीक्षित किया है। यह वित्तीय चक्र कंपनी के प्रबन्धन के दायित्व है। हमारा दायित्व इन चक्रों पर हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षण के आधार पर अपनी राय जाहिर करना है।

हमने यह लेखा परीक्षण भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षण मानदंडों के अनुरूप किया है, इन मानदंडों के अनुसार यह आवश्यक है कि हम लेखा परीक्षण की योजना इस प्रकार बनाकर काम करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि इन वित्तीय विवरणों में किस प्रकार का गलत आर्थिक विवरण नहीं दिया गया है। लेखा परीक्षण में एक टेस्ट आधार पर जाँच, राशियों के समर्थक साक्ष्य तथा वित्तीय विवरणों में खुलासा करने वाले तथ्य शामिल हैं। लेखा परीक्षण में हिसाब-किताब रखने के लिए अपनाये गये सिद्धांतों की जाँच, प्रबन्धन द्वारा लगाये गये महत्वपूर्ण अनुमानों और कुल मिलाकर दिये गये आर्थिक विवरण प्रस्तुतिकरण के मूल्यांकन का समावेश भी होता है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा किये गये लेखा परीक्षण में हमारे द्वारा व्यक्त राय का पर्याप्त आधार मौजूद है हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

जैसा कि केन्द्रीय भारत सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4क) के सम्बन्ध में जारी कंपनी (लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2003 (यथासंशोधित) द्वारा अपेक्षित है, और पुस्तको तथा निगम के रिकार्ड्स की जाँच, के आधार पर जैसे हमें उचित लगा तथा हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण पर आधारित है। हमें उक्त आदेश के पैराग्राफ 4 एवं 5 में उल्लिखित विषयों पर एक विवरण अनुलग्नक में संलग्न कर रहे हैं।

उपर्युक्त के संदर्भ में अनुलग्नक में अपनी टिप्पणियों के आगे, हम रिपोर्ट करते हैं कि :-

- i) हमने वे सारी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किये जो हमारी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के लिए आवश्यक थे।
- ii) हमारी राय में कंपनी द्वारा रखे गये वे सब खाते तथा बहियां जो कानून के अनुसार आवश्यक हैं, उचित ढंग से तैयार करके रखे गये हैं। उन खातों की जाँच से हमें यही दिखाई दिया।
- iii) इस रिपोर्ट के साथ जिस तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि के विवरण तथा रोकड़ प्रवाह विवरण से वास्ता रहा, उसकी वही खातों से सामंजस्य था।
- iv) हमारी राय के अनुसार इस रिपोर्ट से सम्बन्धित तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि खाते तथा रोकड़ प्रवाह मानक लेखाओं के स्तर के हैं जिनका उल्लेख कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उप धारा (3ग) में है सिवाय अनर्जक परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित लेखा मानक 28 के अपालन के।
- v) भारत सरकार के कानून, न्याय तथा कंपनी मामलों के मंत्रालय के नियमित मामलों के विभाग द्वारा अधिसूचना सं. जीएस आर 829 (इ) दिनांक 21:10:2003 के संदर्भ में कंपनी अधिनियम 1956 के धारा 274 (1) (जी) कि निदेशकों की अपात्रता संबंधी प्रावधान निगम पर लागू नहीं होते।

## **AUDITOR'S REPORT**

To the Members of National Film Development Corporation Limited

We have audited the attached Balance Sheet of National Film Development Corporation Limited as at 31<sup>st</sup> March, 2008 and the Profit and Loss Account and Cash Flow Statement for the year ended on that date annexed thereto. These financial statements are the responsibility of the Corporation's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material mis-statement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

As required by the Companies (Auditor's Report) Order 2003 (as mentioned) issued by the Central Government of India in terms of section 227 (4A) of the Companies Act 1956, on the basis of such checks of the books and records of the Corporation as we considered appropriate and according to the information and explanations given to us, we enclose in the Annexure a statement on the matters specified in paragraphs 4 and 5 of the said order.

Further to our comments in the Annexure referred to above, we report that:

- (i) We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- (ii) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Corporation so far as it appears from our examination of those books;
- (iii) The Balance Sheet and Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;
- (iv) In our opinion, the Balance Sheet and Profit and Loss Account and Cash Flow Statement dealt with by this report comply with the accounting standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956 to the extent applicable except non-compliance with AS-28 regarding impairment of assets.
- (v) In terms of Notification No.GSR 829 (E) dated 21-10-2003 issued by the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, Government of India, Department of Corporate Affairs, the provisions of Section 274 (1) (g) of the Companies Act, 1956 regarding disqualification of directors do not apply to this Corporation.

vi) निम्नांकितकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है :-

- क) जैसा कि निदेशकों की संख्या न्यूनतम संख्या पाँच से कम हो गई है । जैसा कि अनुसूची 30 के नोट सं. 17 में उल्लिखित संस्था के नियमावली में विनिर्दिष्ट है ।
- ख) विविध देनदारों के कुछ शेषों की वसूली, ऋण एवं अग्रिमों, अमानतों (चाहे प्रावधान किया हो या नहीं और चालू देयताएं निश्चित नहीं है चूँकि यह राशि की पुष्टि होने पर और यह पंचनिर्णय के अधीन है अथवा लम्बे समय से वसूल नहीं की गई हैं । इसका वित्तीय विवरणों पर तत्परिणाम स्वरूप समंजन जैसा कि अनुसूची 30 की धारा सं 18 में स्पष्ट किया गया है कि वह अभिनिश्चयन योग्य नहीं है ।
- ग) वर्ष के अंत में अनुसूची 30 नोट सं 22 में उल्लिखित रु.202.69 लाख को उपदान देयताओं का फंड नहीं दिया गया है ।
- घ) जैसा कि अनुसूची 30 के नोट सं.26 में उल्लेखित किया गया है कि लेखा मानक 28 अनर्जक परिसम्पत्तियों का अपालन :
- ड) जैसा कि अनुसूची 30 के नोट सं 28 में उल्लिखित किया गया है कि पुराने फर्नीचर और उपस्कर की बिक्री से प्राप्त रु.2.02 लाख इन परिसम्पत्तियों के पुस्तक मूल्यों के सही विवरण उपलब्ध न होने की वजह से अन्य आय के रूप में दर्ज किया गया ।
- च) कार्यालय उपस्कर के कम्प्यूटर्स के गलत वर्गीकरण से लेखों पर पिछले वर्षों में उत्पन्न मूल्य-हास की राशि को चालू वर्ष में सुधार किया गया जिसे माना नहीं गया है । जैसा कि अनुसूची 30 की नोट सं. 29 में स्पष्ट किया गया है कि इसका वित्तीय विवरणों का वित्तीय प्रभाव अभिनिश्चयन योग्य नहीं है ।
- छ) वर्ष 2003-2004 में कुछ परिसम्पत्तियों की बिक्री की रु.0.60 लाख प्राप्त राशि अन्य आय में दर्शायी गई है । इन परिसम्पत्तियों की बिक्री पर हुई रु.5.66 लाख की हानि को चालू वर्ष में दर्ज किया गया है और अनुसूची 30 की नोट सं.30 में उल्लेखित पूर्व वर्ष समंजन दर्शाया गया ।
- ज) लाभ का लेखा और फिल्म् गांधी की आय को वित्तीय वर्ष आधार के बजाय कैलेंडर वर्ष पर दर्ज किया । जैसा कि अनुसूची 30 के नोट सं.34 में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष में उत्पन्न हुई आय की आवश्यक जानकारी उपलब्ध नहीं हुई ।
- इ) निगम ने टीवी विपणन विभाग के देनदारों की वसूली योग्यता जिनके सामने कानूनी अदालत में मुकदमा दर्ज किया था वह निश्चित नहीं है । जैसा कि अनुसूची 30 के नोट सं.35 में स्पष्ट किया गया है वित्तीय विवरणों के कानूनी मामलों से उत्पन्न हुए परिणाम का प्रभाव अभिनिश्चयन योग्य नहीं है ।



- (vi) Attention is invited to the following:
- a) The number of Directors fell below the minimum number of five as specified in the Articles of Association as mentioned in Note no.17 of Schedule 30.
  - b) The recoverability of some of the balances in Sundry Debtors, Loans and Advances, Deposits (whether provided or not) and Current Liabilities is not certain since these amounts are subject to confirmation and are either under arbitration or have not been collected for long period, the consequential adjustments of the same on the financial statements is not ascertainable as specified in Note no.18 of Schedule 30.
  - c) Gratuity Liability for Rs.202.69 lakh is unfunded as at the year end as specified in Note no.22 of Schedule 30.
  - d) Non compliance with the Accounting Standard 28- Impairment of Assets as specified in Note no.26 of Schedule 30.
  - e) Sale proceeds of old furniture and fixtures amounting to Rs.2.02 lakh being recorded as Other Income on account of non-availability of exact details of book value of such assets as specified in Note no.28 of Schedule 30.
  - f) The amount of depreciation arising on account of incorrect classification of computers as office equipment in the earlier year which have been rectified in the current year has not been determined. The financial impact of the same on the financial statements not ascertainable as specified in Note no.29 of Schedule 30.
  - g) Amount received Rs.0.60 lakh on sale of certain assets in the year 2003-04 was shown as Other Income. The entry for recording the loss of Rs.5.66 lakh on sale of such assets has been recorded in the current year and shown as Prior Year Adjustment as specified in Note no.30 of Schedule 30.
  - h) The accounting of profits and income of Film 'Gandhi' has been done on calendar year basis instead of financial year basis, in absence of necessary information being available in respect of income arising on financial year basis as specified in Note no.34 of Schedule 30.
  - i) The recoverability of the TV Marketing Division debtors against which the Corporation has filed cases in the Court of Law is not certain. The impact of the outcome arising out of the legal cases on the financial statements is not ascertainable as specified in Note no.35 of Schedule 30.

हमारी टिप्पणियों को बशर्ते ऊपर (6) दिये गये तथा जिसे अनुसूची 30 के नो सं.16 के साथ पढ़ा जाय तदनुसार निगम के निवल मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट के बावजूद सरकारी समर्थन की दृष्टि से निगम लगातार एक गतिशील प्रतिष्ठान है ।

हमारी राय में अधिकतम जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार उक्त लेख टिप्पणियां के साथ टिप्पणियाँ पढ़ जाय उनमें उसी अनुरूप दी गई जैसी कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत । भारत में आमतौर पर मान्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार आवश्यक होती है ।

- क) निगम के कारोबार की स्थिति का 31 मार्च, 2008 का तुलनपत्र और
- ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष की हानि के लाभ एवं हानि खाते और.
- ग) उसी तारीख के समाप्त वर्ष के रोकड़ प्रवाह का रोकड़ प्रवाह विवरण

मुकुन्द एम. चितले एण्ड कं.  
की ओर से

सनदी लेखाकार  
(एम एम चितले)

स्थान - मुंबई  
दिनांक : 19-09-2008

Subject to our comments in (vi) above and read with Note no.16 of Schedule 30 regarding the Corporation's contention that it continues to be Going Concern in view of the Government support in spite of the significant fall in the net worth of the Corporation,

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read with the notes thereon give the information required by the Companies Act, 1956, in the manner so required and give true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

- (a) in the case of Balance Sheet, of the state of Affairs of the Corporation as at 31<sup>st</sup> March,2008; and
- (b) in the case of the Profit and Loss Account, of the loss for the year ended on that date and
- (c) in the case of Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

For Mukund M. Chitale & Co.  
Chartered Accountants

(M.M.Chitale)  
Partner  
M.No.14054

Place: Mumbai  
Date: 19.09.2008

## लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक

( हमारी तद्दिनांकरिपोर्ट के सन्दर्भ में )

1. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार स्थाई सम्पत्ति रजिस्ट्रों में परिसम्पत्ति का परिमाणात्मक विवरण तथा उसकी स्थान व स्थितिके उल्लेख सहित पूरा विवरण दिया जाता है। जिसे निगम द्वारा रजिस्टर को अद्यतन रखा जाता है।  
(ख) लेखा परीक्षा अधीन वर्ष के दौरान प्रबन्धन द्वारा स्थाई सम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन किया है। चूँकि प्रबन्धन पुस्तकीय रिकार्डों और प्रत्यक्ष सम्पत्ति सूचियों के मिलान की प्रक्रिया में है इसलिए हम पुस्तकीय रिकार्डों और प्रत्यक्ष सम्पत्ति सूची में आयी विसंगतियों पर टिप्पणी नहीं दे सकते। सम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन में ज्ञात विसंगतियों यदि कोई हों, तो उन्हें सम्पूर्ण प्रक्रिया के खत्म होने पर लेखा पुस्तकों में समायोजित कर लिया जायेगा।  
(ग) वर्ष के दौरान निगम ने किसी भी स्थाई परिसम्पत्ति का निपटान नहीं किया है इसलिए कि यह प्रभाव गतिशील संस्थान का है।
2. (क) जैसा कि हमें बताया गया है कि, प्रबन्धन ने निगम में रखी सम्पत्ति सूची का प्रत्यक्ष सत्यापन कर लिया है।  
(ख) हमारी राय में निगम की कार्य प्रकृति और आकार की दृष्टि से सत्यापन की आवृत्तियों को और सशक्त करने की आवश्यकता है।  
(ग) चूँकि प्रबन्धन पुस्तकीय रिकार्ड और प्रत्यक्ष सम्पत्ति सूची के मिलान की प्रक्रिया में है इस लिये हम पुस्तकीय रिकार्ड और प्रत्यक्ष सम्पत्ति सूची में आयी विसंगतियों को यदि कोई हों तो हम टिप्पणी देने में असमर्थ है। सम्पत्तियों के प्रत्यक्ष सत्यापन में ज्ञात विसंगतियों आदि कोई हों तो उन्हें सम्पूर्ण प्रक्रिया के पूरे होने पर लेखा पुस्तकों में समायोजित कर लिया जाएगा।
3. (क) हमें दी गई जानकारीयों और स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर में उन कम्पनियों, फर्मों अथवा अन्य पार्टियों को कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण नहीं दिए हैं। इसलिये इस बात का निगम द्वारा प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण देने के सम्बन्ध में ब्याज दरों एवं अन्य शर्तें प्रथम दृष्टया निगम के हित में हैं तथा मूल राशि की प्राप्ति नियमित है और निगम द्वारा मूल राशि एवं ब्याज की वसूली के लिए उचित कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।  
(ख) हमें दी गई जानकारीयों एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर में उन कम्पनियों, फर्मों, अथवा अन्य पार्टियों से कोई प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण नहीं लिया है इसलिए इस बात का निगम द्वारा प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण लेने के सम्बन्ध में ब्याज दरें एवं अन्य शर्तें प्रथम दृष्टया निगम के हित में हैं तथा मूल राशि का भुगतान नियमित है और निगम द्वारा मूल राशि एवं ब्याज के भुगतान के लिए उचित कदम उठाने का प्रश्न ही नहीं उठता।
4. हमारी राय में हमें दी गई जानकारीयों तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम के आकार एवं व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप सम्पत्ति सूची एवं स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद एवं माल और सेवाओं की बिक्री के सम्बन्ध में पर्याप्त आन्तरिक नियंत्रण प्रणालियाँ अपनायी जा रही हैं। कुछ कमजोरियों की भी पहचान की गई है जो कि निगम के भवनों को किराये पर देने के सम्बन्ध में है और जो निदेशक मंडल के पुनरीक्षा के अन्तर्गत है।
5. (क) अधिनियम की धारा 301 से संदर्भित सौदा एवं करारों का विवरण इस धारा के अन्तर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज कराना आवश्यक है। चूँकि निगम ने ऐसा कोई करार या सौदा नहीं किया है इसलिए रजिस्टर में किसी विवरण की प्रवृष्टि नहीं है।  
(ख) चूँकि निगम ने अधिनियम की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर में वर्णित पार्टियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया है इसलिए करार या सौदे से सम्बन्धित उपर्युक्त धारा लागू नहीं होती।

## **Annexure to the Auditor's Report**

(Referred to in our report of even date)

1.
  - a) As per the information and explanations given to us, the Fixed Assets register showing full particulars including quantitative details and situation of Fixed Assets compiled is being updated by the Corporation.
  - b) The Fixed Assets have been physically verified by the management during the year under audit. Since the management is in the process of reconciling the book records and the physical inventory, we are unable to comment whether the discrepancies between the book records and the physical inventory are material. The discrepancies noticed on physical verification of assets, if any, will be adjusted in the books of account after completion of the entire exercise.
  - c) During the year, the Corporation has not disposed off any of the fixed assets so as to affect the going concern.
2.
  - (a) As explained to us, the management has physically verified the inventory lying with the Corporation.
  - (b) In our opinion, the frequency of verification needs to be strengthened in regard to the size of the Corporation and nature of its business.
  - (c) Since the management is in the process of reconciling the book records and the physical inventory, we are unable to comment whether the discrepancies between the book records and physical inventory are material. The discrepancies noticed on physical verification of inventory, if any will be adjusted in the books of accounts after completion of entire exercise.
3.
  - (a) According to the information and explanations given to us, the Corporation has not granted any loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Act. Therefore the question of rate of interest and other terms and conditions of loans given by the Corporation, secured or unsecured, being prima facie prejudicial to the interest of the Corporation and the regularity of receipt of the principal amount and reasonable steps to be taken by the Corporation for the recovery of the principal and interest does not arise.
  - b) According to the information and explanations given to us, the Corporation has not taken any loans, secured or unsecured to companies, firms or other parties covered in the register maintained under section 301 of the Act. Therefore the question of rate of interest and other terms and conditions of loans given by the Corporation, secured or unsecured, being prima facie prejudicial to the interest of the Corporation and the regularity of receipt of the principal amount and reasonable steps to be taken by the Corporation for the recovery of the principal and interest does not arise.
4. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the Corporation and the nature of its business with regard to purchase of inventory and fixed assets and for the sale of goods and services. Certain weakness has been identified in respect of letting out of premises of the Corporation and the same is under review by the Board of Directors.
5.
  - (a) The particulars of the contracts or arrangements referred to in section 301 that needed to be entered into the register, maintained under the said section have been so entered. Since the Corporation has not entered into any such contracts no details are entered into the register.
  - (b) Since the Corporation has not entered into any transaction with the parties as mentioned in the Register maintained under Section 301 of the Act, in respect of any contract or arrangement the said clause is not applicable.

6. हमारी बेहतर जानकारी एवं हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम ने वर्ष के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देशों तथा अधिनियम के 58 ए एवं 58 ए ए अथवा अन्य सम्बन्धित प्रावधानों और उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन जनता से कोई अमानतें स्वीकार नहीं की है।
7. हमारी राय में कम्पनी में अन्तर्गत लेखा परीक्षा को सशक्त बनाने की आवश्यकता है ताकि यह कम्पनी के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप बन सके।
8. हमें दी गई जानकारीयों और स्पष्टीकरणों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने अधिनियम की धारा 201 की उपधारा 1) के उपवाक्य (द) के अन्तर्गत लागत रिकार्ड का शरण जाना निर्धारित नहीं किया है।
  - (क) हमें दी गई जानकारीयों और स्पष्टीकरणों के अनुसार निगम सामान्यतः उपयुक्त प्राधिकारियों को समुचित रूप से अविवादित वैधानिक देय नियमित जमा कराता है जिसमें प्रावीडेन्ट फंड इन्वेस्टर एजुकेशन, प्रोटेक्शन फंड, एम्प्लोइज स्टेट इन्शूरेन्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज/शैस शामिल है।
  - ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, शैस/पैसे का कोई देय नहीं है जो कि किसी विवाद के कारण जमा न कराया गया हो सिवाय निम्नांकित मामलों के

संवधिकानाम	देयका स्वरूप	मैंच जहाँ पर मुद्दा विचाराधीन है।	राशि
पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम	फिल्म वितरण व्यवसाय के लिए 10.9.1994 से 31.3.2007 की अवधि तक बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा किए गये दावे जिनकी अपील फाइनल की जा चुकी है।	व्यवसाय कर अधिकारी बिक्री कर कार्यालय कोलकाता	18,04,058/-
आयकर अधिनियम 1961	अधिनियम की धारा 271 (ख) के अन्तर्गत जुर्माना (क.व.2002 -2003 )	सहायक आयुक्त आयकर 11(1) का कार्यालय	10,0,000/-

9. वर्ष के अन्त में निगम की संचित हानियाँ अपने शुद्ध मूल्य का पचास प्रतिशत से भी ज्यादा हैं और निगम को चालू वर्ष में तथा इस के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में रोकड़ हानि हुई।
10. निगम के रिकार्ड के अनुसार, निगम ने वर्ष के अन्त तक किसी वित्तीय संस्थान या बैंक से उधार नहीं लिया तथा कोई ऋण पत्र जारी नहीं किया है इस लिए उपर्युक्त उपवाक्य का प्रावधान लागू नहीं होता है। निगम ने बैंक में रखी स्थाई जमा के सामने एक बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया। वर्ष के दौरान इसने बैंक द्वारा मंजूर मर्यादा को पार नहीं किया है।
11. निगम ने शेयर, ऋण पत्रों और अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं दिया है।
12. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने शेयरों, प्रतिभूतियों और अन्य निवेशों में व्यापार या लेन देन नहीं किया।

6. To the best of our knowledge and according to the information and explanation given to us the Corporation has not accepted any deposits during the year from the public within the meaning of the directives issued by the Reserve Bank of India and the provisions of sections 1. 58A and 58AA or any other relevant provisions of the Act and the rules framed there under.
7. In our opinion, the internal audit system needs to be strengthened further so as to make it commensurate with the size and the nature of its business.
8. According to information and explanations given to us the Central Government has not prescribed maintenance of cost records under clause (d) or sub-section (1) of section 209 of the Act.
  - (a) According to the information and explanations given to us, the Corporation is generally regular in depositing with appropriate regulatory authorities undisputed statutory dues including, Provident Fund, Investor Education and Protection Fund, Employees State Insurance, Income-tax, Sales-tax, Wealth Tax, Custom Duty, Excise Duty/cess.
  - (b) According to the information and explanations given to us, there are no dues of Sales Tax/Income Tax/Custom Duty/Wealth Tax/service Tax/Excise Duty/Cess that have not been deposited on account of any dispute except the following:

<b>Nature of the Statute</b>	<b>Name of dues</b>	<b>Forum where the matter is pending</b>	<b>Amount</b>
The West Bengal Sales Tax Act	Claim from the sales tax authorities for film distribution business payable for the period from 10.09.1994 to 31.03.2007 for which appeal has been filed.	The Commercial Tax Officer, Sales Tax office, Kolkata	18,04,058/-
Income Tax Act, 1961	Penalty u/s 271B of the Act, (A.Y.2002-2003)	Office of the Assistant Commissioner Income Tax Act- 11(1)	1,00,000/-

9. The accumulated losses of the Corporation is more than fifty percent of its net worth as on the year end and the Corporation has incurred cash loss during the current year and also the preceding financial year.
10. According to the records of the Corporation, the Corporation has not borrowed from any financial institution or Bank or has not issued any debentures till the end of the year. Thus the provision of the said clause does not apply. The Corporation has obtained overdraft from a Bank against the security of fixed deposit placed with the Bank. It has not overdrawn the limit sanctioned by the Bank during the year.
11. The Corporation has not granted any loans or advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures, and other securities.
12. The Corporation has not dealt or traded in shares, securities, debentures and other investments. Hence the question of maintenance of proper records of the transactions and contracts and making timely entries in the same does not arise.

13. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार निगम ने दूसरों द्वारा बैंकों या वित्तीय संस्थानों से लिए गये ऋणों के लिए कोई गारन्टी नहीं दी है अतः निगम के हित में शर्तों के होने का प्रश्न ही नहीं उठता ।
14. निगम ने बैंकों से सावीध ऋण लिया है । हमारी राय में इन ऋणों का उपयोग वही किया गया जिस उद्देश्य से ये लिए गये ।
15. निगम ने वर्ष के दौरान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से रु.19.77 करोड़ का अप्रतिभूत ऋण कार्यशील पूँजी के लिए लिया है और इसका तदनुसार उपयोग किया जा रहा है । उपर्युक्त ऋण पर देय ब्याज का लेखा पुस्तकों में प्रावधान किया गया है लेकिन मंत्रालय से ब्याज राशि को छूट प्राप्त करने के सम्बन्ध में जारी पत्राचार को दृष्टिगत रखते हुए ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है ।
16. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अन्तर्गत रखे गये रजिस्टर में आनेवाली पार्टियों और कम्पनियों को निगम ने शेयरों का प्राथमिकता वाला आबन्तन नहीं किया है ।
17. निगम ने चालू वर्ष में कोई ऋण पत्र जारी नहीं किये है अतः चार्ज सृजन करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।
18. निगम ने पब्लिक इश्यू के द्वारा धन अर्जित नहीं किया है अतः पब्लिक इश्यू के द्वारा अर्जित धन राशि का प्रबन्धन द्वारा अंतिम उपयोग के प्रकटीकरण और उसके सत्यापन का प्रश्न ही नहीं उठता ।
19. हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार वर्ष के दौरान निगम पर या इसके द्वारा कोई जालसाजी नहीं देखी गयी और न रिपोर्ट की गई ।
20. उपर्युक्त आदेश के निम्नांकित उपवाक्य निगम को इसकी व्यावसायिक गतिविधियों की प्रकृति की दृष्टि से लागू नहीं होते हैं ।

उपवाक्य सं.	चिटफंड/निधि/म्युच्युअल बेनिफिट
(क) xiii (क) (ख)	फंड/सोसाइटीज को लागू किसी
(ग) एवं (घ)	विशिष्ट संविधिके प्रावधानों
	के सम्बन्ध में

मुकुन्द एम चितले एण्ड कं के लिए  
सनदी लेखाकार  
(एमएम चितले)  
साक्षीदार  
स. सं. 14054

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 19.9.2008



13. According to information and explanation given to us, the Corporation has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions and hence the question of terms and conditions being prejudicial to the interests of the Corporation does not arise.
14. The Corporation had availed Term Loans from Banks. In our opinion these loans have been applied for the purpose for which they were taken.
15. The Corporation has received an unsecured loan amounting to Rs.19.77 crores during the year from Ministry of Information and Broadcasting for working capital purposes and the same is being utilized accordingly. The interest payable on the abovementioned loan is provided for in the books of accounts but is unpaid by the Corporation in view of the correspondence with the Ministry of Information and Broadcasting for waiver of the interest amount.
16. According to information and explanations given to us, the Corporation has not made any preferential allotment of shares to parties and companies covered in the register maintained under section 301 of the Companies Act, 1956.
17. The Corporation has not issued any debentures in the current year. Hence the issue of creation of charge does not arise.
18. The Corporation has not raised money by public issue and hence the question of disclosure by management on the end use of money raised by public issue and its verification does not arise.
19. In our opinion and according to the information and explanation given to us, no fraud on or by the Corporation has been noticed or reported during the year.
20. The following clauses of the said order are not applicable to this Corporation in view of the nature of its business activities.

Clause No.	In respect of Provisions of any	For Mukund M. Chitale & Co.
a) Xiii (a),(b),	special statute applicable	Chartered Accountants
(c) and (d)	to Chit Fund/Nidhi/ Mutual Benefit Fund/Societies.	
		(M.M.Chitale) Partner M.No.14054

Place: Mumbai  
Date: 19.09.2008

## वर्ष 2007-08 के लेखों पर लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों पर प्रबन्धन के उत्तर

पैरा सं. चार एवं छह (घ)

प्रबन्धन ने परिसम्पत्तियों के क्षरण से सम्बन्धित लेखा मानक -28 के प्रावधानों के अनुसार क्षरण हानि, यदि कोई हो तो उसका निर्धारण करने के लिए बाहर से एक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म / मूल्यांकन कर्ता की सेवाएं ली हैं।

प्रबन्धन को प्रारूप रिपोर्ट मिल गई है और उसमें कोई बड़ा क्षरण का प्रावधान लेखाओं में अपेक्षित नहीं है सिवाय निगम के दिल्ली कार्यालय को रु. 4.77 लाख की परिसम्पत्तियों की रिपोर्ट के वित्तृत जाँच पड़ताल और प्रबन्धन द्वारा इसकी स्वीकृति विचाराधीन होने की वजह से लेखा पुस्तकों में प्रावधान नहीं किया गया है। आवश्यक कार्रवाई यदि जरूरी हुई तो अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2008-09 में प्रावधान किया जाएगा।

पैरा - छह (क)

निदेशक मंडल में अध्यक्ष तथा गैर सरकारी निदेशकों के दो पद क्रमशः 3 अप्रैल 2008 तथा 25 जुलाई 2008 को क्रमशः भरे जा चुके हैं।

पैरा - छह (ख)

लेखा नीति के अनुसार (अनुसूची 30 का पैरा 9 सन्दर्भित करें) 3 वर्षों से ज्यादा बकाया विविध देनदारों, ऋणों एवं अग्रिमों को जो मुख्यतः पिछले वर्षों से आगे ले जाए जाते रहें हैं उनका पर्याप्त प्रावधान किया गया है। आगे, बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। चालू देयताएं मुख्यतः अधिकारधारकों को देय रॉयल्टी के भुगतान से सम्बन्धित हैं जिन्हें दूरदर्शन से भुगतान मिलने पर निपटा दिया जाएगा।

पैरा - छह (ग)

निगम ग्रुप ग्रेच्युटी ट्रस्ट बनाया है और ग्रेच्युटी फंड के लिए अंशदान इस ट्रस्ट के माध्यम एक एल आई सी एन्युटी पॉलिसी को किया जाता है। विगत सेवा की भुगतान न की गई देयताएं निगम के अपने स्रोतों से उचित समय में पूरी की जाएगी।

पैरा - छह (ङ)

निपटान किए गये पुराने फर्नीचर एवं फिक्स्चर 1995-96 से भी पूर्व वर्षों से सम्बन्धित हैं जिनके किताबी मूल्य का सही सही विवरण आदि उपलब्ध नहीं है अतः बिक्री से प्राप्त रु. 2.02 लाख को अन्य आय के रूप में जमा किया गया।

पैरा - छह (च)

परिसम्पत्ति रजिस्टर के अनुसार स्थाई परिसम्पत्तियों के विवरणों की पहचान एवं वर्गीकरण तथा प्रत्यक्ष सत्यापन रिपोर्ट से उनका मिलान प्रबन्धन द्वारा किया जा रहा है। कम्प्यूटरों के पुनर्वर्गीकरण से वित्तीय प्रभाव और पिछले वर्षों पर उनके उत्तरावर्ती प्रभाव यदि कोई होंगे तो उनका अगले वित्तीय वर्ष 2008-09 में प्रावधान किया जाएगा।

पैरा - छह (छ)

कोई टिप्पणी नहीं

पैरा - छह (ज)

फिल्म गान्धी के विदेशों में वितरण की आय जो कि विदेशी एजेंट द्वारा कलैन्डर वर्ष के आधार पर प्रतिवर्ष भेजे गये वित्तीय विवरण के अनुसार लेखा पुस्तकों में ली जाती है। चूँकि यह क्रम निरन्तर जारी है अतः कलैन्डर आधार पर लेखा करने में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।

पैरा - छह (झ)

निगम ने टीवी मार्केटिंग के ज्यादा अवधि से बकाया देयों के लिए देनदारों के खिलाफ मुकदमें दायर किये हैं। निगम को रिकार्ड में उपलब्ध साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अनुकूल निर्णय की आशा है।

## **Reply of Management to the auditors comments on the accounts for the year 2007-08.**

### **Para No.IV &VI(d)**

The Management had engaged an outside firm of Chartered Accountants/ Valuers to make an assessment of the impairment loss if any to be provided as per the provisions of Accounting Standard-28 concerning impairment of assets.

Draft report was received by the Management and as per their recommendation there is no major impairment provision required in accounts except Rs.4.77 lakhs to be provided in respect of assets held at Delhi Office of the Corporation. Pending detailed examination of the report and acceptance of report by the Management no provision has been made in the books. Necessary action will be taken to make provision if any required in the next Financial Year i.e. 2008-09.

### **Para VI(a)**

The vacancies in the Board of the post of Chairman and two post of Non-Executive Directors has since been filled up with effect from 3<sup>rd</sup> April 2008 and 25<sup>th</sup> June 2008 respectively.

### **Para VI(b)**

As per the accounting policy(refer para 9 of schedule 30) adequate provision has been made for sundry debtors, loans and advances outstanding for more than three years which are mainly carried forward from previous years. Further legal cases for recovery of long outstanding dues have been instituted. Current liabilities are mainly on account of royalty payment dues to rightholders which will be cleared on receipt of payment from Doordarshan.

### **Para VI(c)**

The Corporation has formed a Group Gratuity Trust and the contribution to the Gratuity Fund is paid through the trust to an LIC annuity policy. The unfunded liability of past service will be met out of Corporation's own resources/funded in due course.

### **Para VI(e)**

The old furnitures and fixtures disposed are pertaining to period prior to 1995-96 for which exact details of book value etc. are not readily available hence the amount of Rs.2.02 lakhs realised on sale was credited to Miscellaneous Income.

### **Para VI(f)**

The identification and classification of fixed asset details as per the asset register and reconciliation with physical verification report is being taken up by the management. Financial impact of the reclassification of computers and consequent impact for previous years if any will be provided during the next Financial Year (2008-09).

### **Para VI(g)**

No comments.

### **Para VI(h)**

The accounting of overseas distribution income for the film GANDHI, which is distributed on calendar year basis by the foreign agent, is accounted on cash basis in the books as per the statement received every year. Since the practice is being followed consistently there will not be any major impact on accounting income on Calendar Year basis.

### **Para VI(i)**

The Corporation has filed suit for recovery of dues from TV Marketing debtors which was long outstanding. The Corporation is hopeful of getting favourable judgement considering the evidences available on record.

**दिनांक 31 मार्च 2008 का तुलन पत्र**  
**BALANCE SHEET - AS AT 31ST MARCH 2008**

	अनुसूची Schedule	31.3.2008 को रुपये As At 31.3.2008 Rupees	31.3.2007 को रुपये As At 31.3.2007 Rupees
<b>निधि स्रोत</b> <b>अंशधारकों की निधि</b> शेयर पूंजी संचय और अधिशेष	<b>SOURCES OF FUNDS</b> <b>SHARE HOLDER'S FUNDS</b>		
	1	139,998,500	139,998,500
	2	232,736	232,736
		<b>140,231,236</b>	
<b>ऋण निधि</b> प्रतिभूत ऋण अप्रतिभूत ऋण आस्थगित कर देयताएं <b>कुल</b>	<b>Loan Funds</b> Secured Loans Unsecured Loans Deferred Tax Liabilities <b>TOTAL</b>		
	3	-	41,477,191
	4	204,616,500	54,616,500
		<b>344,847,736</b>	<b>236,324,927</b>
<b>निधि विनियोग</b> <b>स्थायी परिसम्पत्ति</b> सकल परिसम्पत्ति घटाइए : संचित मूल्य हास निवल परिसम्पत्ति आस्थगित कर परिसम्पत्ति <b>चालू परिसम्पत्ति,</b> <b>ऋण और अग्रिम</b> सम्पत्ति सूची विविध देनदार नगद और बैंक का बाकी ऋण और अग्रिम अन्य चालू परिसम्पत्ति	<b>APPLICATION OF FUNDS</b> <b>Fixed Assets</b> Gross Block Less : Accumulated Depreciation <b>Net Block</b> Deferred Tax Assets <b>Current Assets,</b> <b>Loans &amp; Advances</b>		
	5	255,122,421	265,829,344
		211,180,850	213,212,731
		<b>43,941,571</b>	<b>52,616,613</b>
	6	22,028,008	5,666,353
	7	111,637,130	115,896,314
	8	177,573,007	54,958,236
	9	103,833,770	83,323,013
	10	9,531,800	3,355,931
		424,603,715	267,310,737
	11	291,365,380	222,032,447
<b>घटाइए : चालू देयताएं और प्रावधान</b> <b>चालू देयताएं</b> <b>प्रावधान</b> शुद्ध चालू परिसम्पत्ति लाभ एवं हानि लेखा विविध व्यय (बट्टे खाते में न डाले गये अथवा समर्पित न किये गये सीमा तक) आस्थगित राजस्व व्यय स्वे.से.नि.यो.व्यय का अशोधन <b>कुल</b>	<b>Less: Current Liabilities &amp; Provisions</b> <b>Current Liabilities</b> <b>Provisions</b> Net current Assets Profit & Loss A/c. Miscellaneous Expenditure (to the extent not written or adjusted)  Deferred Revenue Expenditure (VRS Expense unamortised) <b>TOTAL</b>		
		<b>133,238,335</b>	45,278,291
		<b>164,963,019</b>	137,356,346
		<b>2,704,811</b>	4,848,028
		<b>344,847,736</b>	<b>240,099,277</b>
<b>लेखों पर टिप्पणियाँ</b> <b>अनुसूची 1 से 29,</b> <b>महत्वपूर्ण नीतियाँ और</b> <b>लेखों के अंगस्वरूप हैं।</b>	<b>Notes on Accounts</b> <b>Schedule 1 to 29, significant</b> <b>Accounting policies and Notes on</b> <b>Accounts form part of accounts</b>		
	30		

दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार है।

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

For AND ON BEHALF OF  
**BOARD OF DIRECTORS**

कृते मुकुन्द एम्. चितले एन्ड कं.  
सनदी लेखाकार

**For MUKUND M. CHITALE & CO.**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**

नीना लाठ गुप्ता

प्रबन्ध निदेशक

**MS.NINA LATH GUPTA**

Managing Director

पी. सत्यनारायणन

Director (Finance)

**P.SATHYANARAYANAN**

Director (Finance)

एम्. एम्. चितले

**M.M CHITALE**

साझेदार

Partner

सदस्य क्र. 14054

**Memership .No.14054**

स्थान : मुंबई,

**PLACE: MUMBAI**

दिनांक : 19/09/2008

**DATED: 19/09/2008**

इ. जे. पॉल

कम्पनी सचिव / प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

**E.J Paul**

Company Secretary / M(F&A)

**दिनांक 31, मार्च, 2008 की समाप्त हुए वर्ष का लाभ व हानि लेखा**  
**PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2008**

		अनुसूची Schedule	चालू वर्ष रुपये Current Year Rupees	गत वर्ष रुपये Previous Year Rupees
<b>आय</b>	<b>INCOME</b>			
वित्तपोषण गतिविधि	Financing Activity	12	455,897	1,195,638
एजेन्सी व्यवसाय का निर्माण सेवा प्रभार	Production Service charges of Agency Business		9,182,570	22,221,490
स्वकीय निर्माण (फिल्मस्)	Own Production (Films)	13	1,698,213	2,262,378
भारतीय फिल्म वितरण	Indian Film Distribution		1,591,145	1,027,902
विदेशी फिल्म वितरण	Foreign Film Distribution	14	2,950	324,418
निर्यात गतिविधि	Export Activity	15	6,308,241	9,884,940
फिल्म बाजार	Film Bazaar		4,443,332	682,475
सहनिर्माण (फिल्मस्)	Co-production (Films)	16	9,845,409	4,983,628
सेवा परियोजनाएं	Service Projects	17	60,292,559	30,851,466
टीवी के माध्यम फिल्मों का वितरण	Distribution of films through TV	18	207,733,702	156,492,627
अन्य आय	Other Income	19	301,554,018	229,926,962
			30,344,683	15,649,374
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>		<b>331,898,701</b>	<b>245,576,336</b>
<b>व्यय</b>	<b>EXPENDITURE</b>			
वित्तपोषण गतिविधि	Financing Activity		153,577	46,865
एजेन्सी व्यवसाय के निर्माण व्यय	Production Expenses of Agency Business		10,988,419	17,743,775
स्वकीय निर्माण (फिल्मस्)	Own Production (Films)		310,530	538,959
भारतीय फिल्म वितरण	Indian Film Distribution		3,433,636	1,104,945
विदेशी फिल्म वितरण	Foreign Film Distribution	20	13,846	31,696
निर्यात गतिविधि	Export Activity		5,114,014	7,900,741
फिल्म बाजार	Film Bazaar		4,321,418	629,977
सेवा परियोजनाएं	Service Projects	21	32,279,711	19,091,267
टीवी के माध्यम से फिल्मों का वितरण	Distribution of Films through TV	22	169,032,474	118,642,543
विदेशी फिल्म समारोह	Foreign Film Festivals	23	1,174,813	1,139,116
कार्मिक व्यय	Personnel Expenses	24	63,270,965	61,916,211
प्रशासनिक व्यय	Administrative Expenses	25	25,230,795	30,529,910
			315,324,198	259,316,005
फीचर फिल्मों के मूल्य का परिशोधन	Amortisation of Cost of Feature films	26	-	12,380,423
ब्याज	Interest	27	28,656,164	8,210,880
मूल्य ह्रास	Depreciation		10,044,444	15,070,329
बट्टे खाते में डाला गया संदेहात्मक ऋणों/ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	Bad Debts Written off / Provision for doubtful debts/ loans/ advances	28	630,513	1,158,618
<b>कुल</b>	<b>TOTAL</b>		<b>354,655,319</b>	<b>296,136,255</b>

**दिनांक 31, मार्च, 2008 की समाप्त हुए वर्ष का लाभ व हानि लेखा (क्रमशः)**  
**PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2008 (Contd.)**

	अनुसूची Schedule	चालू वर्ष रुपये Current Year Rupees	गत वर्ष रुपये Previous Year Rupees
कर पूर्व शुद्ध लाभ (हानि)	<b>Net Profit /(Loss) before tax</b>	<b>(22,756,618)</b>	(50,559,919)
घटाइए: कर ले लिए प्रावधान	Less: Provision for Taxation	-	
घटाइए: फ्रिंज बेनिफिट कर के लिए प्रावधान	Less: Provision for Fringe benefit Tax	<b>1,000,000</b>	1,000,000
कर पश्चात शुद्ध लाभ/ हानि	<b>Net Profit /(Loss)/ after tax</b>	<b>(23,756,618)</b>	(51,559,919)
जोड़िए / (घटाइए): गत वर्ष का समंजन	Add/(Less): <b>Prior Year Adjustment</b>	<b>(3,850,055)</b>	(3,061,595)
जोड़िए (घटाइए) आस्थगित कर परिसम्पत्तियों	Add/(Less):Deferred Tax Assets	-	4,110,890
जोड़िए (घटाइए) आस्थगित कर देयताएं	Add/(Less):Deferred Tax liability	-	(3,774,350)
जोड़िए (घटाइए) अधिक प्रावधान से वापस	Add/(Less): Excess provision written back		
संदेहात्मक ऋणों / ऋणों और अग्रिमों	Doubtful debts/ Loans and advances	-	1,607,555
आय कर	Income Tax	-	-
		<b>(27,606,673)</b>	(52,677,419)
जोड़िए : अग्रेनीत लाभ/हानि	Add : <b>Profit/Loss brought forward</b>	<b>(137,356,346)</b>	(84,678,927)
तुलन पत्र में लाया गया शेष	Balance Carried to Balance Sheet	<b>(164,963,019)</b>	(137,356,346)
प्रति शेयर आय - मूल	Earning Per Share - Basic	<b>(19.72)</b>	(37.63)
- डायल्यूटेड	- Diluted	<b>(19.72)</b>	(37.63)
<b>अनुसूची 1 से 29, महत्वपूर्ण नीतियां और लेखों पर टिप्पणियाँ लेखा के अंगस्वरूप हैं।</b>	<b>Schedule 1 to 29, significant Accounting policies and Notes on Accounts form part of accounts.</b>		

दिनांक की रिपोर्ट के अनुसार है।

As per our report of even date

निदेशक मंडल की ओर से

For AND ON BEHALF OF  
BOARD OF DIRECTORS

कृते मुकुन्द एम्. चितले एन्ड कं.  
सनदी लेखाकार

**For MUKUND M. CHITALE & CO.**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**

**MS.NINA LATH GUPTA**

Managing Director

नीना लाठ गुप्ता

प्रबन्ध निदेशक

**E.J Paul**

Company Secretary / M(F&A)

**P.SATHYANARAYANAN**

Director (Finance)

पी. सत्यनारायणन

निदेशक (वित्त)

एम्. एम्. चितले  
साझेदार  
सदस्य क्र. 14054

**M.M CHITALE**  
Partner  
**Memership .No.14054**

स्थान : मुंबई,  
दिनांक : 19/09/2008

**PLACE: MUMBAI**  
**DATED: 19/09/2008**

इ. जे. पॉल  
कम्पनी सचिव / प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)

**तुलन पत्र से संलग्न रोकड प्रवाह विवरण 31 मार्च, 2008 की समाप्त अवधि के लिए**

विवरण	2007-08		2006-07	
<b>I प्रचालन गतिविधियों से रोकड प्रवाह</b>				
कराधान तथा असाधारण मदों के पहले शुद्ध लाभ				
समंजन हेतु		<b>(227.57)</b>		(505.60)
मूल्य ह्रास	<b>100.45</b>		150.70	
उपदान के लिए प्रावधान	<b>39.52</b>		39.86	
छुट्टियाँ भुनाने का प्रावधान	<b>15.15</b>		16.00	
आस्थगित कर देयताए के लिए प्रावधान	-		37.74	
विविध देनदारों को प्रावधान	<b>0.55</b>		3.82	
ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान	<b>5.76</b>		7.77	
अशोध्य ऋण बट्टे खाते बट्टे खाते डाले गये (विविध देनदारों)	-		-	
ब्याज आय	<b>(180.37)</b>		(41.46)	
ब्याज व्यय	<b>286.56</b>		92.24	
		<b>267.62</b>		306.67
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन के पहले प्रचलन रोकड लाभ समंजन हेतु		<b>40.05</b>		(198.93)
सम्पत्ति सूची में वृद्धि	<b>(163.62)</b>		39.31	
विविध देनदारों में कमी	<b>104.33</b>		(879.85)	
ऋणों और अग्रिमों में वृद्धि	<b>(273.16)</b>		331.64	
अन्य चालू सम्पत्तियों में वृद्धि	<b>(61.76)</b>		446.48	
आस्थगित कर परिसम्पत्तियों में कमी	<b>(41.11)</b>		(41.11)	
आस्थगित कर देयताए में कमी	<b>(37.74)</b>		-	
विविध लेनदारों तथा अन्य देयों में वृद्धि	<b>628.65</b>		340.37	
		<b>237.81</b>		236.84

**CASH FLOW STATEMENT ANNEXED TO THE BALANCE SHEET FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2008**

Particulars	2007-08		2006-07	
<b>I. CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>				
NET PROFIT BEFORE TAXATION AND				
EXTRAORDINARY ITEM		(227.57)		(505.60)
Adjustments for				
Depreciation	100.45		150.70	
Provision for Gratuity	39.52		39.86	
Provision for leave encashment	15.15		16.00	
Provision for deferred tax liability	-		37.74	
Provision for Sundry Debtors	0.55		3.82	
Provision for Loans and Advances	5.76		7.77	
Bad debts written off (Sundry Debtors)	-		-	
Interest Income	(180.37)		(41.46)	
Interest Expenses	286.56		92.24	
		267.62		306.67
<b>OPERATING CASH PROFIT BEFORE</b>				
WORKING CAPITAL CHANGES Adjustments For		40.05		(198.93)
Decrease in Inventories	(163.62)		39.31	
Increase in Sundry Debtors	104.33		(879.85)	
Decrease in Loans and Advances	(273.16)		331.64	
Decrease in other current assets	(61.76)		446.48	
Increase in Deferred Tax Assets	(41.11)		(41.11)	
Decrease in Deferred Tax Liability	(37.74)		-	
Increase in sundry creditors and other payables	628.65		340.37	
		237.81		236.84



(क्रमशः)

विवरण	2007-08		2006-07	
<b>I प्रचालन गतिविधियों से उत्पन्न रोकड</b>		<b>277.86</b>		37.91
आयकर भुगतान		--		--
असाधारण मदों के पहले रोकड प्रवाह		<b>277.86</b>		37.91
पूर्व वर्ष समंजन हेतु		<b>(32.84)</b>		(11.91)
आस्थगित राजस्व व्यय		<b>21.44</b>		21.43
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध रोकड (क)		<b>266.46</b>		48.17
<b>II. निवेश-गतिविधियों से रोकड प्रवाह</b>				
स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद	<b>(20.13)</b>		(50.01)	
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री (शुद्ध)	<b>0.78</b>		1.28	
अतिरिक्त मूल्य हास	-		-	
ब्याज प्राप्त	<b>180.37</b>		41.46	
निवेश गतिविधियों से प्रयुक्त शुद्ध रोकड (ख)		<b>161.02</b>		(7.27)
<b>III. वित्तीय गतिविधियों से रोकड प्रवाह</b>				
भारत सरकार द्वारा ऋण	<b>1500</b>		69.17	
ओवर ड्राफ्ट शेषों में वृद्धि	<b>(414.77)</b>		413.61	
ब्याज भुगतान	<b>(286.56)</b>		(92.24)	
लाभांश भुगतान	-		-	
लाभांश पर दिया गया कारपोरेट टैक्स	-		-	
वित्तीय गतिविधियों में शुद्ध रोकड (ग)		<b>798.67</b>		390.54
रोकड तथा रोकड समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि (क + ख + ग)		<b>1226.15</b>		431.44
रोकड तथा रोकड समतुल्यों का प्रारम्भिक शेष		<b>549.58</b>		118.14
रोकड तथा रोकड समतुल्यों का अंतिम शेष		<b>1775.73</b>		549.58

कृते मुकुन्द एम्. च्यतले एन्ड कंपनी  
सनदी लेखाकार

निदेशक मंडल की ओर से

एम्. एम्. च्यतले  
साझेदार  
सदस्य क्र. 14054

नीना लाठ गुप्ता  
(प्रबन्ध निदेशक)

पी. सत्यनारायणन  
(निदेशक वित्त)

इ.जे. पॉल  
(कम्पनी सचिव / प्रबन्धक वित्त एवं लेखा)

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 19.09.2008

Contd.

Particulars	2006-07		2005-06	
<b>I CASH GENERATED FROM OPERATIONS</b>		<b>277.86</b>		37.91
Income Tax Paid		--		--
CASH FLOWS BEFORE EXTRAORDINARY ITEM		277.86		37.91
Prior year adjustment		(32.84)		(11.91)
Deferred Revenue Expenditure		21.44		21.43
NET CASH FROM OPERATING ACTIVITIES (A)		266.46		48.17
<b>II. CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>				
Purchase of fixed assets	(20.13)		(50.01)	
Sale of fixed assets (net)	0.78		1.28	
Excess Depreciation	-		-	
Interest received	180.37		41.46	
NET CASH USED IN INVESTING ACTIVITIES (B)		161.02		(7.27)
<b>III. CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>				
Loan From Government of India	1500		69.17	
Increase in Overdraft balances	(414.77)		413.61	
Interest paid	(286.56)		(92.24)	
Dividend paid	-		-	
Corporate tax on dividend paid	-		-	
NET CASH FROM FINANCING ACTIVITIES (C)		798.67		390.54
NET INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS (A+B+C)		1226.15		431.44
OPENING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS		549.58		118.14
CLOSING BALANCE OF CASH AND CASH EQUIVALENTS		1775.73		549.58

For and on behalf of  
**MUKUND M. CHITALE & CO.**  
 CHARTERED ACCOUNTANTS

BOARD OF DIRECTORS

**M.M CHITALE**  
 Partner  
 Membership No. 1405

**MS. NINA LATH GUPTA**  
 (MANAGING DIRECTOR)

**P. SATHYANARAYANAN**  
 (DIRECTOR – FINANCE)

**E. J. PAUL**  
 (COMPANY SECRETARY  
 / MANAGER F&A)

Place: Mumbai  
 Dated: 19.09.2008

**लेखाओं के अंगस्वरूप अनुसूचियाँ**  
**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS**

		31.3.2008 को रुपये As At 31.3.2008 Rupees	31.3.2007 को रुपये As At 31.3.2007 Rupees
<b>अनुसूची - 1</b> <b>शेयर पूँजी</b> <b>प्राधिकृत</b> प्रत्येक 100 रुपये के 14,00,000 इक्विटी शेयर <b>निर्गमित और प्रदत्त</b> 13,99,985 ( गत वर्ष 13,99,985 ) इक्विटी शेयर प्रत्येक 100 रुपयेवाले उपर्युक्त शेयरों में से (क) तत्कालीन भारतीय चलचित्र निर्यात निगम और फिल्म वित्त नियम के इस कंपनी से समामेलन के फलस्वरूप विधि, न्याय, और कंपनी कार्य मंत्रालय के आदेशानुसार 1,25,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए जिनका भुगतान नकद रूप में प्राप्त नहीं हुआ। (ख) सरकारी ऋण तथा उस पर उपार्जित ब्याज को शेयर में परिवर्तन करने पर 1,00,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए गए।	<b>SCHEDULE 1</b> <b>SHARE CAPITAL</b> <b>Authorised:</b> 14,00,000 Equity Shares of Rs.100 each  <b>Issued and Subscribed &amp; Paid Up:</b> 13,99,985 (Previous Year 13,99,985) Equity Shares of Rs.100 each fully paid.  Of the above: a) 1,25,000 Shares are allotted consequent upon the amalgamation of Indian Motion Picture Export Corporation Limited and Film Finance Corporation Limited with the company persuant to the order of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs, without payments received in cash  b) 1,00,000 shares are allotted in conversion of Government loan and interest accrued thereon into share capital.	<b>140,000,000</b>  <b>139,998,500</b>  <b>139,998,500</b>	140,000,000  139,998,500  139,998,500
<b>अनुसूची - 2</b> <b>संचय और अधिशेष</b> <b>पूँजीगत संचय</b> <b>विशेष संचय (निर्यात)</b>	<b>SCHEDULE 2</b> <b>RESERVES AND SURPLUS</b> <b>Capital Reserve:</b> <b>Special reserve (Export):</b>	<b>21,875</b> <b>210,861</b>  <b>232,736</b>	21,875 210,861  232,736
<b>अनुसूची - 3</b> <b>प्रतिभूत ऋण</b> बैंक अधिविकर्ष (स्थायी जमा रसीदों को गिरवी रखकर बैंक ऋण)	<b>SCHEDULE 3</b> <b>SECURED LOANS</b> Overdraft (Secured against Pledge of Fixed Deposit Receipts)	-  -	41,477,191  41,477,191
<b>अनुसूची - 4</b> <b>अप्रतिभूत ऋण (दीर्घ कालीन)</b> भारत सरकार की ओर से (एक वर्ष के अन्दर प्रतिदेय रु. 59,62,500/- गतवर्ष--- रुपये शून्य) भारत सरकार से प्राप्त ऋणों पर उपार्जित व्याज व देय	<b>SCHEDULE 4</b> <b>UNSECURED LOANS (Long term)</b> From Government of India (repayable within one year Rs.59,62,500/- Previous Year Rs.NIL  Int. Accrued & due on Loan From Govt. of India	<b>197,700,000</b>   <b>6,916,500</b>  <b>204,616,500</b>	47,700,000   6,916,500  54,616,500

# स्थायी परिसम्पत्तियाँ FIXED ASSETS

अनुसूची - 5  
SCHEDULE 5

मूल्य ह्रास  
DEPRECIATION

		सकल सम्पत्ति लागत मूल्य पर Gross Block [at Cost]				मूल्य ह्रास Depreciation			शुद्ध परिसम्पत्ति Net Block				
क्र. सं.		01.04.2007	वृद्धियाँ	कटौतियाँ	समंजन /	31.03.2008	तक रुपये	कटौतियाँ	समंजन /	इस वर्ष	कुल ह्रास	31.03.2008	31.03.2007
Sl. No.	विवरण	को रुपये As At 01.04.2007 Rupees	रुपये Additions Rupees	रुपये Deductions Rupees	कटौतियाँ Adjust- ments Rupees	को रुपये As At 31.03.2008 Rupees	01.04.2007 Rupees	रुपये Deductions Rupees	कटौतियाँ Adjust- ments Rupees	For The Year Rupees	Total Depr. Upto Rupees	As At 31.03.2008 Rupees	As At 31.03.2007 Rupees
1	पट्टे पर भूमि	138,000	0	0	0	138,000	36,308	0	0	1,453	37,761	100,239	101,692
2	इमारत (16 मि.मि.)	572,487	0	0	0	572,487	412,960	0	0	7,976	420,936	151,551	159,527
3	इमारत (उपशीर्षक एकक)	566,286	0	0	0	566,286	391,806	0	0	8,724	400,530	165,756	174,480
4	कार्यालय स्थान	9,277,323	0	0	0	9,277,323	4,479,080	0	0	239,912	4,718,992	4,558,331	4,798,243
5	ओनरशीप फ्लैट	408,885	0	0	0	408,885	285,940	0	0	6,147	292,087	116,798	122,945
6	वीडियो कैसेट रिकार्डिंग	11,552,894	64,900	0	0	11,617,794	9,470,421	0	0	361,227	9,831,648	1,786,146	2,082,473
7	उपशीर्षक एकक	13,394,057	0	12,528,837	-865,220	0	12,724,354	11,902,395	-821,959	0	0	0	669,703
8	16 मि.मि. अवस्थापन	13,001,665	35,438	183,084	0	12,854,019	11,617,517	173,930	0	223,516	11,667,103	1,186,916	1,384,148
9	वीडियो स्टूडियो	90,213,775	464,992	0	0	90,678,767	66,891,203	0	0	4,369,863	71,261,066	19,417,701	23,322,572
10	लेजर स्टूडियो	57,136,293	553,217	0	865,220	58,554,730	49,355,464	0	821,959	1,770,839	51,948,262	6,606,468	7,780,829
11	विशेष प्रभाव	9,997,961	0	0	0	9,997,961	9,498,063	0	0	0	9,498,063	499,898	499,898
12	सिनेमा उपकरण (वितरण के लिये)	65,953	0	0	0	65,953	65,526	0	0	85	65,611	342	427
13	सिनेमा उपकरण (प्रदर्शन के लिये)	392,151	0	0	0	392,151	390,840	0	0	262	391,102	1,049	1,311
14	कार्यालय उपकरण	18,253,996	235,648	8,040	-2,622,321	15,859,283	14,807,797	0	-2,148,609	450,002	13,109,190	2,750,093	3,446,199
15	कम्प्यूटर	5,090,399	491,330	0	2,622,321	8,204,050	3,647,250	0	2,148,609	875,398	6,671,257	1,532,793	1,443,149
16	सजा सामग्री और उपस्कर	20,975,536	167,513	0	0	21,143,049	15,725,721	0	0	1,055,271	16,780,992	4,362,057	5,249,815
17	वाहन	4,000,882	0	0	0	4,000,882	3,389,044	0	0	158,405	3,547,449	453,433	611,838
	योग	255,038,543	2,013,038	12,719,961	0	244,331,620	203,189,294	12,076,325	0	9,529,080	200,642,049	43,689,571	51,849,249
18	विक्री के लिए संयंत्र												
	टेलिसिने उपकरण	10,790,801	0	0	0	10,790,801	10,023,437	0	0	515,364	10,538,801	252,000	767,364
	कुल	265,829,344	2,013,038	12,719,961	0	255,122,421	213,212,731	12,076,325	0	10,044,444	211,180,850	43,941,571	52,616,613
	गत वर्ष का योग	260,985,478	500,735		-156,869	265,829,344	198,171,010		-28,608	150,703,29	213,212,731	52,616,613	

["\*"] The written down value of Plants for Sale has been arrived at based on the Valuation Report of External Valuers.

विक्री के लिए संयंत्र का घटा हुआ मूल्य बाहरी मूल्यांकन कर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट पर आधारित है।

**लेखाओं के अंगस्वरूप अनुसूचियाँ (क्रमशः)**  
**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)**

		<b>31.3.2008 को रुपये</b> <b>As At 31.3.2008</b> <b>Rupees</b>		<b>31.3.2007 को रुपये</b> <b>As At 31.3.2007</b> <b>Rupees</b>
<b>अनुसूची - 6</b> <b>संपत्ति सूची</b> <b>फ़ीचर फ़िल्में</b>	<b>SCHEDULE 6</b> <b>INVENTORIES</b>			
निर्माणाधीन फ़िल्में (लागत मूल्य पर)	Films under production (at cost)		<b>19,179,527</b>	5,553,017
पटकथा (लागत मूल्य पर)	Script (at cost)		<b>2,757,859</b>	-
खाली वीडियो कैसेटों की संख्या	Stock of Blank Video Cassettes (at cost)		<b>88,684</b>	111,398
सोना (लागत मूल्य पर)	Gold (at cost)		<b>1,938</b>	1,938
			<b>22,028,008</b>	5,666,353
<b>अनुसूची - 7</b> <b>विविध देनदार</b>	<b>SCHEDULE 7</b> <b>SUNDRY DEBTORS</b>			
प्रतिभूति रहित छह: महीनों से अधिक अवधि के बकाया देनदार	Unsecured Debts outstanding over six months			
असंदिग्ध	Considered Good	<b>14,079,688</b>		16,105,238
संदिग्ध	Considered doubtful	<b>200,533,871</b>		217,671,711
अन्य देय: असंदिग्ध	Other Debts: Considered good	<b>97,557,442</b>		106,020,284
		<b>312,171,001</b>		339,797,233
घटाइए : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	Less: Provision for doubtful debts	<b>200,533,871</b>		217,671,711
			<b>111,637,130</b>	122,125,522
<b>अनुसूची - 8</b> <b>रोकड और बैंको में शेष</b>	<b>SCHEDULE 8</b> <b>CASH AND BANK BALANCES</b>			
रोकड बाकी	Cash on hand		<b>40,891</b>	13,359
फ्रैंकींग मशीन में शेष	Balance in Franking Machine		<b>3,545</b>	10,568
प्रेषण का पारगमन	Remittance in Transit		<b>115,000</b>	-
अनुसूचित - बैंको में शेष	Balance with Scheduled Banks :			
चालू खातों में	On Current Accounts		<b>21,322,375</b>	6,475,799
जमा खातों में	On Deposit Accounts		<b>156,091,196</b>	48,458,510
			<b>177,573,007</b>	54,958,236

**लेखाओं के अंगस्वरूप अनुसूचियाँ (क्रमशः)**  
**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)**

		31.3.2008 को रुपये As At 31.3.2008 Rupees	31.3.2007 को रुपये As At 31.3.2007 Rupees
<b>अनुसूची - 9</b> <b>ऋण और अग्रिम</b>	<b>SCHEDULE 9</b> <b>LOANS AND ADVANCES</b>		
फिल्म निर्माण के लिए ऋण	Considered doubtful:		
संदिग्ध	Unsecured	13,404,704	13,349,404
असंदिग्ध		13,404,704	13,349,404
प्रतिभूत (फिल्म नेगेटिव्स से)		13,404,704	13,349,404
संदिग्ध	Less: Provision for doubtful loans		
अप्रतिभूत		-	-
घटाइए : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	<b>Loans for construction of theatres:</b>		
	Considered good:		
	Secured		
सिनेमागृह के निर्माण के लिए ऋण	Unsecured	420,000	1,260,000
असंदिग्ध	(Guaranteed by State Govt./Bank)		
प्रतिभूत	Considered Doubtful:	298,703	298,703
अप्रतिभूत		718,703	1,558,703
(राज्य सरकार / बैंको द्वारा गारंटी	Less: Provision for doubtful loans	298,703	298,703
कृत संदिग्ध)		420,000	1,260,000
घटाइए: संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	<b>Loans for TV Serial</b>		
	Considered good	-	400,127
टीवी धारावाहिकों के लिए ऋण असंदिग्ध	<b>Loans and advances to staff:</b>		
	Secured, Considered good	3,306,709	4,065,114
कर्मचारियों के लिए ऋण एवं अग्रिम	Unsecured, Considered good	438,924	617,933
प्रतिभूत असंदिग्ध		3,745,633	4,683,047
अप्रतिभूत असंदिग्ध	<b>Advances recoverable in cash</b>		
	<b>or kind for value to be received</b>		
	(Unsecured):		
नकद या वस्तु रूप में या प्राप्य	Considered good	89,782,991	65,009,267
मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम	Considered doubtful	4,755,417	4,560,651
अप्रतिभूत		94,538,408	69,569,918
असंदिग्ध	Less: Provision for doubtful advances	4,755,417	4,560,651
संदिग्ध		89,782,991	65,009,267
घटाइए: संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	<b>Advances for Production of films</b>		
	(Unsecured):		
फिल्म निर्माण के लिए अग्रिम	Own Production	3,260,263	110,263
अप्रतिभूत	Less: Provision for Doubtful		
स्वकीय निर्माण	Production Advances	44,973	44,973
घटाइए: संदिग्ध निर्माण अग्रिमों के			65,290
लिए प्रावधान	<b>Co- Production</b>	1,255,250	53,250
	Less: Provision for Doubtful		
<b>सहनिर्माण</b>	Production Advances	44,501	44,501
घटाइए: संदिग्ध निर्माण अग्रिमों के			8,749
लिए प्रावधान	<b>Deposits</b>		
	Secured, considered good	3,000,000	3,000,000
<b>अमानतें</b>	Unsecured, considered good	2,459,107	2,667,325
प्रतिभूत, असंदिग्ध		5,459,107	5,667,325
अप्रतिभूत, असंदिग्ध		103,833,770	77,093,805

**लेखाओं के अंगस्वरूप अनुसूचियाँ (क्रमशः)**  
**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)**

		31.3.2008 को रुपये As At 31.3.2008 Rupees	31.3.2007 को रुपये As At 31.3.2007 Rupees
<b>अनुसूची - 10</b> <b>अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ</b>	<b>SCHEDULE 10</b> <b>OTHER CURRENT ASSETS</b>		
उपार्जित ब्याज	Interest accrued on:		
सावधि / निश्चित समयावधी जमापर	Fixed/Term Deposit	9,531,800	3,355,931
		<u>9,531,800</u>	<u>3,355,931</u>
<b>अनुसूची - 11</b> <b>चालू देयताएँ और प्रावधान</b>	<b>SCHEDULE 11</b> <b>CURRENT LIABILITIES</b> <b>AND PROVISIONS</b>		
चालू देयताएँ	<b>CURRENT LIABILITIES:</b>		
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	Advances from Customers	15,576,617	5,583,285
निर्माण के लिए अग्रिम	Advances for Productions	53,189,588	7,359,419
फिल्मों के वितरण के लिए अग्रिम	Advance for Distribution of films	-	2,311,068
विविध लेनदार	Sundry Creditors	122,350,143	135,343,125
मंत्रालयों की परियोजनाओं के लिए अग्रिम	Advances for Projects from Ministries	649,428	649,428
कंपनी के पास के लिए रखी अमानते	Deposits placed with the Company	5,133,517	6,713,830
अन्य देयताएँ	Other Liabilities	11,435,303	9,021,436
उपार्जित ब्याज	Interest Accrued	21,512,295	-
		<u>229,846,891</u>	<u>166,981,591</u>
प्रावधान	<b>PROVISIONS:</b>		
उपदान के लिए	For Gratuity	20,269,452	16,316,929
कराधान के लिए	For Taxation	20,971,000	19,971,000
छुट्टी भुनाने के लिए	For Encashment Of Leave	20,278,037	18,762,927
		<u>61,518,489</u>	<u>55,050,856</u>
		<u>291,365,380</u>	<u>222,032,447</u>
<b>अनुसूची - 12</b> <b>वित्तीय गतिविधि</b>	<b>SCHEDULE 12</b> <b>FINANCING ACTIVITY</b>		
ब्याज	Interest on:		
फिल्म ऋणों पर	Film Loans	406,436	581,255
टीवी धारावाहिक / कार्यक्रम	Tv Serials/Programme	-	-
		<u>406,436</u>	<u>581,255</u>
ऋण आवेदनपत्रों की बिक्री / प्रकिया शुल्क	Sale of loan application forms/ Processing Fees	20,000	60
अन्य आय	Other Income	-	347,447
संदिग्ध ऋणों की वसूली	Bad debts recovery	29,461	266,876
		<u>49,461</u>	<u>614,383</u>
		<u>455,897</u>	<u>1,195,638</u>
<b>अनुसूची - 13</b> <b>स्वयं निर्माण (फिल्म)</b>	<b>SCHEDULE 13</b> <b>OWN PRODUCTION (FILMS)</b>		
अधिकारों की बिक्री / वितरण से आय	Sale of rights/distribution Income	1,698,213	2,262,378
		<u>1,698,213</u>	<u>2,262,378</u>

**लेखाओं के अंगस्वरूप अनुसूचियाँ (क्रमशः)**  
**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)**

		चालू वर्ष रुपये Current Year Rupees		गत वर्ष रुपये Previous Year Rupees
<b>अनुसूची - 14</b> <b>विदेशी फिल्म वितरण</b>	<b>SCHEDULE 14</b> <b>FOREIGN FILM DISTRIBUTION</b>			
वितरण	Direct Distribution		2,000	321,137
टीवी प्रसारण	TV Telecast		-	-
वीडियो कैसेटों की बिक्री	Sale of Video Cassettes		950	3,281
			2,950	324,418
<b>अनुसूची - 15</b> <b>निर्यात गतिविधि</b>	<b>SCHEDULE 15</b> <b>EXPORT ACTIVITY</b>			
(विदेशी मुद्रा में आय)	(Income in Foreign Exchange)			
रॉयल्टी (पट्टे पर दी गयी फिल्में)	Royalty(Leased films)	697,719		164,718
घटाइए: पट्टे का भुगतान	Less: Leased Payment	454,436		107,067
			243,283	57,651
रॉयल्टी (स्वकीय फिल्में)	Royalty (Own Films)		4,017,346	1,158,238
घटाइए: संबंधित फिल्म लेखा की अंतरित माना गया निर्यात	Royalty (Co-produced films) Deemed Exports		1,335,961	1,406,551 4,402,000
रॉयल्टी (सहनिर्मित फिल्में) भारत एक खोज	Bharat Ek Khoj	122,938		25,000
घटाइए: संबंधित फिल्म लेखा में अंतरित	Less: Transferred to respective film a/c.	98,351		20,000
			24,587	5,000
प्रायोजक शुल्क / सरकारी अंशदान	Sponsorship Fee/Govt. Contribution			2,426,214
अन्य आय	Other Income		687,064	223,658
विविध	Miscellaneous			205,628
			6,308,241	9,884,940
<b>अनुसूची - 16</b> <b>सहनिर्माण (फिल्में)</b>	<b>SCHEDULE 16</b> <b>CO-PRODUCTION (FILMS)</b>			
विदेशी	Foreign			
लाभ का हिस्सा	share of Profit		5,053,899	4,094,395
भारतीय	Indian			
लाभ का हिस्सा	Share of Profit		4,791,510	889,233
			9,845,409	4,983,628
<b>अनुसूची - 17</b> <b>सेवा परियोजनाएँ</b>	<b>SCHEDULE 17</b> <b>SERVICE PROJECTS</b>			
16 मि. मि. उपकरणों का किराया	Hire of 16mm Equipment		1,275,550	899,405
उपशीर्षांकन प्रभार	Subtitling Charges		7,832,189	9,198,206
वीडियो अंतरण प्रभार	Video Transfer Charges		2,676,728	2,273,968
वीडियो स्टुडियो	Video Studio		48,508,092	18,479,887
			60,292,559	30,851,466



लेखाओं के अंगस्वरूप अनुसूचियाँ (क्रमशः)

		चालू वर्ष रुपये Current Year Rupees	गत वर्ष रुपये Previous Year Rupees
<b>अनुसूची - 18</b> <b>टीवी के माध्यम फिल्मों का वितरण</b>	<b>SCHEDULE 18</b> <b>DISTRIBUTION OF FILMS THROUGH TV</b>		
प्रसारण रॉयल्टी (शुल्क)	Telecast Royalty	207,576,250	155,738,541
अन्य प्राप्तियाँ	Other Receipts	157,452	754,086
		<u>207,733,702</u>	<u>156,492,627</u>
<b>अनुसूची - 19</b> <b>अन्य आय</b>	<b>SCHEDULE 19</b> <b>OTHER INCOME</b>		
ब्याज - बैंको से	Interest:From Banks	17,369,038	3,962,445
(टी डी एस के रुपये 103987/- सहित गत वर्ष के रुपये 168150/-	(Including TDS Rs.1803353/- Previous Year Rs.103987/-		
<b>सहित (टीडीएस के शून्य रुपये सहित गतवर्ष शून्य रुपये) आयकर वापसी भुगतान कर्मचारी अग्रिम पर व्याज</b>	From Others (Including TDS Rs.NIL Previous Year Rs.NIL Interest on Income Tax Refund Interest on Staff Advances	564,448 <u>103,675</u>	48,147 <u>135,322</u>
सेवा प्रभार	Service Charges	668,123	183,469
कार्यालय भवन का किराया	Rent from office premises	18,037,161	4,145,914
पूर्व प्रदर्शन प्रेक्षागार प्रभार	Preview Theatre charges	500,000	500,000
पटकथा कार्यशाला	Script Workshop	9,599,189	9,917,240
विदेशी मुद्रा विनिमय दरों के उच्चवाचनों से लाभ	Profit on Foreign Exchange fluctuations	800,550	656,860
परिसम्पत्तियों को बिक्री पर लाभ	Script Workshop	-	201,000
देयताए दीर्घ अपेक्षित नहीं	Profit on Sale of Assets	85,466	16,493
विविध आय	Liability no longer required Miscellaneous Income	201,567 <u>122,702</u>	- <u>211,867</u>
		<u>30,344,683</u>	<u>15,649,374</u>
<b>अनुसूची - 20</b> <b>विदेशी फिल्म वितरण</b>	<b>SCHEDULE 20</b> <b>FOREIGN FILM DISTRIBUTION</b>		
विज्ञापन प्रचार और अन्य व्यय	Advertisement Publicity and Other Expenditure	6,178	3,161
भाडा और प्रेषण शुल्क	Freight and forwarding charges	-	27,975
वीडियो कैसेटों का विपणन	Video Cassette Marketing	7,668	560
		<u>13,846</u>	<u>31,696</u>
<b>अनुसूची - 21</b> <b>सेवा परियोजनाएँ</b>	<b>SCHEDULE 21</b> <b>SERVICE PROJECTS</b>		
उपशीर्षकांकन	Subtitling:		
पुर्जे, भंडार, रसायन एवं ब्लाक	Spares,Stores,Chemicals & Blocks	562,467	1,204,189
बिजली	Electricity	562,564	454,862
यन्त्रों की मरम्मत	Repairs to Machineries	76,220	631,231
बीमा	Insurance	452,056	392,448
विविध	Miscellaneous	666,115	786,355
		<u>2,319,422</u>	<u>3,469,085</u>

**लेखाओं के अंगस्वरूप अनुसूचियाँ (क्रमशः)**  
**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)**

		चालू वर्ष रुपये Current Year Rupees		गत वर्ष रुपये Previous Year Rupees
एमएम अवस्थापना	16mm Infrastructure:			
पुर्जे, भंडार और उपभोग्यवस्तुएँ	Spares ,Stores and consumables	6,026		9,750
बिजली	Electricity	48,119		61,695
भाडा	Rent	115,314		114,114
यन्त्रों की मरम्मत	Repairs to machineries	51,265		53,811
बीमा	Insurance	20,063		33,567
विविध	Miscellaneous	20,906		438,223
			261,693	711,160
वीडियो कैसेट रिकार्डिंग	Video cassette Recording:			
यन्त्रों की मरम्मत	Spares,Stores and consumables	508,841		77,261
बिजली	Electricity	179,314		281,484
भाडा	Rent	228,279		457,413
यन्त्रों की मरम्मत	Repairs to machineries	88,698		89,703
बीमा	Insurance	134,667		191,801
विविध	Miscellaneous	1,187		117,725
कैमेरा किराये से	Camera Hire	17,550		35,561
			1,158,536	1,250,948
वीडियो स्टूडियो	Video Studio			
यन्त्रों की मरम्मत	Repairs to Machineries	187,833		133,778
पुर्जे और उपभोग्य वस्तुएँ	Spares and Consumables	101,711		207,264
प्रोमा कैप्सुलिंग/डबिंग शुल्क	Promo Capsuling/Dubbing Charges	672,465		4,447,028
ओडियो वीडियो स्पॉट्स	Audio Video Spots	23,820,362		4,988,097
शैक्षिक चैनल	Educational Channel	3,186,271		3,559,714
बीमा	Insurance	-		17,883
टेका कर्मचारियों का वेतन	Salary to Contract Employee	497,836		
विविध	Miscellaneous	73,582		306,310
			28,540,060	13,660,074
			32,279,711	19,091,267
<b>अनुसूची - 22</b>	<b>SCHEDULE 22</b>			
<b>टीवी के माध्यम से फिल्मों/</b>	<b>DISTRIBUTION OF FILMS</b>			
<b>का वितरण</b>	<b>THROUGH TV</b>			
अधिकारो का अधिग्रहण	Acquisition of rights		165,990,887	117,418,519
मेट्रो, नेटवर्क,	Metro/Network/Movie			
मुवी चैनल्स कार्यक्रम	Channel Programme		2,624,217	120,871
उपभोग्य सामग्री	Consumables		417,370	1,103,153
			169,032,474	118,642,543
<b>अनुसूची - 23</b>	<b>SCHEDULE 23</b>			
<b>विदेशी फिल्म समारोह</b>	<b>FOREIGN FILM FESTIVALS</b>			
कान्स फिल्म समारोह	Cannes Film Festival		721,322	281,060
मिपकीम फिल्म समारोह	Mipcom Film Festival		92,473	359,538
मिप टीवी कार्यक्रम	Mip Tv Programme		139,735	
लाओस एन्जल्स फिल्म समारोह	Los Angeles Film Festival		-	175,099
रॉटरडॅम फिल्म समारोह	Rotterdam Film Festival		172,646	302,023
फिल्म समारोह (अन्य)	Film Festival(Others)		48,637	21,396
			1,174,813	1,139,116

**लेखाओं के अंगस्वरूप अनुसूचियाँ (क्रमशः)**  
**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)**

		चालू वर्ष रुपये Current Year Rupees	गत वर्ष रुपये Previous Year Rupees
<b>अनुसूची - 24</b> <b>कार्मिक व्यय</b> वेतन, भत्ते और बोनस स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजना भविष्यनिधि तथा अन्य निधियो में अंशदान उपदान कर्मचारी कल्याण	<b>SCHEDULE 24</b> <b>PERSONNEL EXPENSES</b> Salaries, Allowances & Bonus Voluntary Retirement Scheme Contribution to Provident and Other funds Gratuity Staff Welfare	<b>44,856,427</b> <b>2,143,217</b>  <b>4,676,783</b> <b>4,997,280</b> <b>6,597,258</b> <b>63,270,965</b>	43,021,389 2,143,217  4,405,616 4,985,806 7,360,183 <b>61,916,211</b>
<b>अनुसूची - 25</b> <b>प्रशासनिक व्यय</b> भाड़ा उपकर और कर मरम्मत और अनुरक्षण बिमा डाक, तार, टेलेक्स, और टेलिफोन छपाई और लेखन सामग्री विज्ञापन और प्रचार विधि व्यय बैंक प्रभार व्यावसायिक प्रभार बिजली प्रभार कर्मचारी भर्ती का व्यय कर्मचारी यात्रा तथा स्थानीय यात्रा व्यय निदेशकों का यात्रा व्यय निदेशकों की बैठक शुल्क कार्पोरेट अतिथ्य व्यय पूर्व प्रेक्षागार पटकथा कार्यशाला विविध लेखा परीक्षकों का परिश्रमिक लेखा परीक्षा शुल्क टैक्स लेखा परीक्षा शुल्क अन्य सेवाएँ लेखा परीक्षक का जेब खर्च	<b>SCHEDULE 25</b> <b>ADMINISTRATIVE EXPENSES</b> Rent Rates and Taxes Repairs and Maintenance Insurance Postage, Telegrams, Telex & Telephones Printing and Stationery Advertisement and Publicity Legal Charges Bank Charges Professional Charges Electricity charges Staff Recruitment Expenses Staff Travelling & Local Conveyance Director's Travelling Director's Sitting Fees Corporate Entertainment Preview Theatre Script Workshop Miscellaneous Auditors remunerations: Audit fee Tax Audit Fee Other services Auditors out of pkt. Expenses	<b>5,580,692</b> <b>2,451,129</b> <b>4,419,945</b> <b>12,529</b> <b>1,948,535</b> <b>1,047,029</b> <b>35,327</b> <b>312,543</b> <b>94,609</b> <b>493,489</b> <b>1,634,233</b> <b>-</b> <b>2,504,545</b> <b>888,708</b> <b>-</b> <b>296,183</b> <b>115,363</b> <b>-</b> <b>2,736,309</b> <b>125,000</b> <b>50,000</b> <b>60,000</b> <b>424,627</b> <b>25,230,795</b>	5,780,736 2,929,897 4,533,494 35,022 1,904,760 1,243,267 117,530 3,089,728 308,190 370,779 1,505,661 11,608 2,648,753 482,884  284,604 526,256 318,709 4,136,922 125,000 50,000 35,000 91,110 <b>30,529,910</b>
<b>अनुसूची - 26</b> <b>फीचर फिल्म और प्रिन्टी का मूल्य</b> <b>का परिशोधन</b> भारतीय फिल्म निर्माण लागत (स्वकीय फिल्में) प्रारम्भिक शेष जोड़िए : वर्ष के दौरान अधिगृहीत घटाइए : गत वर्ष का परिशोधन अटाइए : अंतिम शेष	<b>SCHEDULE 26</b> <b>AMORTISATION OF FEATURE</b> <b>FILM AND COST OF PRINTS</b> Indian Films: Cost of Production (Own films) Opening Stock Add: Acquired during the year  Less: Amortisation of Prior Year Less: Closing Stock	   <b>-</b> <b>-</b> <b>-</b> <b>-</b>    <b>-</b> <b>-</b>	                 <b>12,380,423</b> <b>12,380,423</b>      <b>12,380,423</b> <b>12,380,423</b>

**लेखाओं के अंगस्वरूप अनुसूचियाँ (क्रमशः)**  
**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)**

			चालू वर्ष रुपये Current Year Rupees	गत वर्ष रुपये Previous Year Rupees
<b>अनुसूची - 27</b> <b>ब्याज</b>	<b>SCHEDULE 27</b> <b>INTEREST</b>			
भारत सरकार द्वारा ऋण	Loan from Govt. of India		28,428,795	6,916,500
बैंक अधिविकर्ष	Bank Overdraft		227,369	1,294,380
अन्य ऋण			<u>28,656,164</u>	<u>8,210,880</u>
<b>अनुसूची - 28</b> <b>अशीध्य ऋण बट्टे खाते में</b> <b>डाल गये / संदिग्ध ऋणों / ऋण</b> <b>एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान</b>	<b>SCHEDULE 28</b> <b>BAD DEBTS WRITTEN OFF/ PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS/LOANS &amp; ADVANCES</b>			
	Bad debts written off :			
अशीध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गये	Sundry debtors :	17,192,591		-
विविध देनदार	Developmental Loans / Advances	325,695		1,497,756
विकासात्मक ऋण / अग्रिम		<u>17,518,286</u>		<u>1,497,756</u>
घटाइए : संदिग्ध ऋणों	Less : Provision for doubtful debts/ Loans & Advances	<u>17,518,286</u>		<u>1,497,756</u>
ऋणों एवं अग्रिमों के प्रावधान			-	-
वर्ष के दौरान किए गये प्रावधान	Provision made during the year			
विविध देनदार	Sundry debtors :	54,752		381,341
विकासात्मक ऋण / अग्रिम	Developmental Loans / Advances	<u>575,761</u>		<u>777,277</u>
			<u>630,513</u>	<u>1,158,618</u>
			<u>630,513</u>	<u>1,158,618</u>
<b>अनुसूची - 29</b> <b>पिछले वर्ष के समंजन</b> <b>आय</b>	<b>SCHEDULE 29</b> <b>PRIOR YEAR ADJUSTMENT</b> <b>INCOME:</b>			
वित्तपोषण गतिविधि	Financing Activity		6,202,325	843,253
निर्यात गतिविधि	Export Activity		20,459	
सेवा परियोजनाएँ	Service Projects		861,256	
टिवी विपणन से फिल्म वितरण	Distribution of Films Through TV		299,000	
निर्यात गतिविधि	Export Activity		-	330,000
प्रतिवर्तित आस्थगित पर देयताएँ	Reversal of Defferred tax Liability	3,774,350		
परिशोधन	Amortisation			493,257
कुल आय	Total income :		<u>11,157,390</u>	<u>1,666,510</u>

**लेखाओं के अंगस्वरूप अनुसूचियाँ (क्रमशः)**  
**SCHEDULES FORMING PART OF ACCOUNTS (Contd.)**

		चालू वर्ष रुपये Current Year Rupees		गत वर्ष रुपये Previous Year Rupees
घटाइए : व्यय	Less : Expenditure			
अधिक अन्य आय प्रतिधारित	Excess other income reversed		5,367	
वित्तपोषण गतिविधि	Financing Activity		5,055,868	57,820
भारतीय फिल्म वितरण	Indian Film Distribution		12,000	30,228
स्व-निर्माण	Own Production		-	199,883
निर्यात गतिविधि	Export Activity			2,890,000
टीवी के माध्यम फिल्मों का वितरण	Distribution of Films Through TV		4,818,241	73,320
कार्मिक एवं प्रशासन	Personnel & Administration		438,637	425,363
सेवा-परियोजनाएँ	Service Projects			1,051,491
पूर्व वर्ष सम्बन्धित परिसम्पत्तियों की बिक्री में हानि	Loss on sale of Assets related to prior year		566,442	-
प्रतिवर्तित आस्थगित कर देयताएँ.	Reversal of Deferred Tax Assets		4,110,890	-
कुल व्यय	Total Expenditure :		<u>15,007,445</u>	<u>4,728,105</u>
शेष	Balance		<u>(3,850,055)</u>	<u>(3,061,595)</u>

## अनुसूची-30 : 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर टिप्पणियाँ

### क) महत्वपूर्ण लेखानीतियाँ

#### 1. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार :

लेखाओं को भारत में लागू लेखा सिद्धान्तों कम्पनी (लेखा मानकों) नियम 2006 द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखा मानकों तथा तत्सम्बन्धी कम्पनी अधिनियम 1956 तत्सम्बन्धी प्रावधानों के साथ सभी तथ्यों का अनुपालन करते हुए तैयार किया गया है। कम्पनी ने पिछले वर्ष में प्रयुक्त की गई लेखा नीतियों को अपनाया है सिवाय लेखा नीति में परिवर्तन के जो प्रथम से उल्लिखित किया गया है।

#### 2. अनुमानों के प्रयोग

सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के समनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने में यह अपेक्षित है कि प्रबन्धन उस पर अनुमान और कल्पना करे कि रिपोर्ट की गई परिसम्पत्तियाँ तथा देयताएँ और आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, वित्तीय विवरण की तारीख और प्रचालनों के परिणाम रिपोर्टाधीन वर्ष के अन्त में हैं यद्यपि ये अनुमान प्रबन्धन की वर्तमान घटनाओं एवं क्रियाओं के सम्बन्ध में अच्छी जानकारी पर आधारित है फिर भी वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

#### 3. राजस्व मान्यता

##### 3.1 आय एवं व्यय की मद का लेखा एकुल आधार पर किया जाता है।

##### 3.2 फिल्मों और टेलिविजन सीरियलों की लागत का परिशोधन :

- विदेशी वाणिज्यिक फिल्मों /प्रिन्टो और टी.वी. अधिकारों तथा स्वकीय फिल्मों और अधिगृहीत फिल्मों की लागत और निगम का भाग (क) भारतीय सहनिर्माण की फिल्मों में (ख) विदेशी सहनिर्माण की फिल्मों में निगम के भाग का परिशोधन आयकर नियमों में किए गए निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर किया जाता है :
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले कम से कम 90 दिनों की अवधि तक यदि फिल्म वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए रिलीज की जाती है तो उस फिल्म की सम्पूर्ण निर्माण/अधिगृहण लागत को परिशोधित किया जाता है।
- वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पहले यदि 90 दिनों से कम अवधि के लिए फिल्म वाणिज्यिक आधार पर प्रदर्शन के लिए रिलीज की जाती है तो उस फिल्म की लागत/अधिगृहण की आय की सीमा तक और शेष यदि कोई हो तो उसे अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाता है और उसी वर्ष में परिशोधित किया जाता है।
- वर्ष के दौरान जो फिल्म पूरी हो जाती है और वह रिलीज या प्रदर्शित नहीं होती तो उसकी निर्माण/अधिगृहण की सम्पूर्ण लागत को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाया जाता है और उसी वर्ष में पूरा परिशोधन किया जाता है।

##### 3.3 भारतीय टी.वी. धारावाहिकों की निर्माण लागत/अधिगृहीत कार्यक्रमों और फिल्मों के खरीदे गए टी.वी. अधिकारों के पूर्ण रूप से की लागत को उसी वित्तीय वर्ष में चार्ज किया जाता है जिस वर्ष में उन फिल्मों /धारावाहिकों का पहला प्रदर्शन होता है अथवा अधिकार समाप्त होते हैं इनमें जो पहले आए।

##### 3.4 कम्पनी द्वारा खरीदे गए टी.वी. अधिकारों के लिए ऐसी स्थिति में जहाँ टी.वी. पर फिल्में प्रदर्शित नहीं हुई और उनके लिए भुगतान किया जा चुका है तो उस भुगतान राशि को अग्रिम के रूप में माना जाता है। चूँकि वास्तविक देयता तो करार की शर्तों के अनुसार टेलिकास्ट होने पर लागू होती है इसलिए उनके भुगतान न किए अधिगृहीत मूल्य के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाता है।

##### 3.5 गैर - निष्पादन ऋणों से आय :

फिल्म निर्माण/सिनेमा उपकरण खरीद/सिनेमागृह निर्माण आदि के गैर - निष्पादन ऋणों के ब्याज को प्रबन्धन द्वारा वसूली योग्य माना हो, उस सीमा तक आय में लिया जाता है और जब तक वह मूल राशि के बराबर न हो जाय और उसके आगे कोई जमा नही दिखाई जाती जब तक कि वह वास्तविक रूप से वसूल न हो जाए।

#### 4. स्थायी परिसम्पत्तियाँ :

स्थायी परिसम्पत्तियाँ को मूल लागत (सकल ब्लॉक) से संचित मूल्य - ह्रास को घटाकर दर्शायी गई है। परिसम्पत्ति को उपयोग हेतु उनकी कार्यशील स्थिति में लाने के लिए अन्य सभी लागतों को पूँजीगत किया गया है। 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी कम्पनी (लेखा मानक) नियम, 2006 की सूचना के अनुसार आयोजित परिसम्पत्तियों के अधिगृहण से सम्बन्धित देयताओं के बारे में विदेशी मुद्रा विनियम होने वाले अन्तर को लाभ/हानि खाते में दर्शाना अपेक्षित है जबकि इसके बदले इन्हें स्थायी परिसम्पत्तियों की लागतों को अग्रेषित करते हुए समायोजित करने की पूर्व अपेक्षा रही है।

## **SCHEDULE 30 -: NOTES ON ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31<sup>ST</sup> MARCH, 2008.**

### **A. SIGNIFICANT ACCOUNTING**

#### **1. Basis for preparation of financial statements:**

The accounts have been prepared to comply in all material aspects with applicable accounting principles in India, mandatory Accounting Standards notified by the Companies (Accounting Standards) Rule, 2006 and the relevant provisions of the Companies Act, 1956. The financial statements have been prepared under historical cost convention on accrual basis of accounting. The accounting policies followed by the Company are consistent with those used in the previous year, except for changes in accounting policy mentioned separately.

#### **2.. Use of estimates**

The preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles requires management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and disclosures of contingent liabilities at the date of the financial statements and the results of operations during the reported period end. Although these estimates are based upon managements best knowledge of current events and actions, actual results could differ from these estimates

#### **3. Revenue Recognition:**

3.1 Item of income and expenditure are generally accounted for on accrual basis.

3.2 Amortization of cost of films & Television serials:

- Amortization of the cost of Films / Television serials in respect of foreign Commercial films, prints and TV rights and cost of own production of films and taken over films and Corporation's share in-
  - a) Indian co-production films
  - b) Foreign Co-production films is done by the following provision of Income Tax Rules, as under
- Where the film is released for exhibition on Commercial basis, at least for a period of 90 days before the close of the financial year, the entire cost of production/acquisition of the films has been amortized.
- Where the film is released for exhibition on Commercial basis for a period less than 90 days before the close of the financial year, the cost of production/acquisition is amortized to the extent of realization and balance if any carried forward to the next financial year and amortized fully in that year.
- Where the film is complete and not released or exhibited during the year the entire cost of production/acquisition is carried forward to the next financial year and amortized fully in that year.

3.3 Cost of production of Indian Television serials/acquired programmers and films purchased for TV rights are charged off in the financial year in which the first telecast of such films/serials take place or in the Financial Year, in which the rights expired, whichever is earlier.

3.4 Rights in films for distribution through Television acquired by the Corporation wherein no telecast is made are accounted as advance to the extent of the amounts paid thereof. No provision is made for the unpaid acquisition price thereof, since actual liability shall arise only in the event of telecast as per terms of the agreement.

#### **3.5 Income from Non-Performing Loans:**

Interest on loans for Films and Purchase of Equipments/Constructions of Theatres is accrued and accounted in the income only to the extent equal to principal amount and no further credits are recognized thereafter unless the same is actually realized.

#### **4 Fixed Assets**

Fixed Assets are stated at original cost (gross block) less accumulated depreciation. All other costs for bringing the asset to their working condition for their intended use are capitalized. In lieu of notification of the Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, with effect from April 1, 2007, the foreign exchange differences in respect of liabilities for the acquisition of imported assets are required to be recognized in the profit and loss account against earlier requirement of adjusting these to the carrying cost of fixed assets.



5. मूल्य -हास
- 5.1 परिसम्पत्तियों का मूल्य -हास कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची क्रमांक 14 में दरों पर शेष घटाव पद्धति के अनुसार किया जाता है. जबतक कि नीचे कहा न जाए .
- 5.2 पट्टे की भूख का पट्टे की समयावध तक फर शोधित किया जाता है .
- 5.3 वीडियो कॅसेट रिकार्डिंग उपकरण, उपशीर्षकांकन यूनिट और 16 एम एम अव्यस्थापित, इन्फ्रास्ट्रक्चर और लेजर उपशीर्षकांकन पर मूल्य-हास दि 28 जून, 1982 के निदेशक मंडल के पारित संकल्प के अनुसार 10% की दर से सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है ।
- 5.4 एविड एअरप्ले परियोजनाएँ और स्पेशल इफेक्ट स्टूडियो पर मूल्य -हास 25% की दर से सीधी रेखा पद्धति से उपकरण की जीवन अवधि को ध्यान में लेते हुए किया गया है.
- 5.5 पूँजीगत मूल्य के 95% तक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर मूल्य -हास किया गया है .
- 5.6 वर्ष के दौरान जोड़ी गई अन्य परिसम्पत्तियाँ का मूल्य -हास उनके खरीद या जुड़ने की तारीख से तथा अनुपात से किया गया है.
- 5.7 रुपये 5000/- तक की परिसम्पत्ति का मूल्य -हास उसके क्रय होने के वर्ष में पूर्ण रूप से किया गया है .
6. पूर्व वर्ष की मदे  
पूर्व वर्षों के वित्तीय विवरणों में हुई त्रुटि या भूलों की वजह से किए गए समंजन को पूर्व वर्ष समंजन खाते के अन्तर्गत दर्शाया जाता है.
7. विदेशी मुद्रा में किए गए लेन-देन.  
विदेशी मुद्रा के लेन देनों का लेखा रिपोर्टिंग मुद्रा की राशि पर लागू लेन देन की तारीख पर विनिमय दर के आधार पर किया जाता है । सभी मौद्रिक परिसम्पत्तिया और देयताएं तुलन पत्र की तारीख के दिन लागू विनिमय दरों के अनुसार पुनर्व्यक्त की जाती है ।
8. कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ
- 8.1 कंपनी ने कर्मचारियों के लिए सामूहिक उपदान न्यास की स्थापना की जाने के कारण और जीवन बीमा निगम से सामूहिक उपदान एवं जीवन बीमा की पॉलिसी ली है. जीवन बीमा निगम को भुगतान की गयी बीमा किश्त की राशि को व्यय के रूप में चार्ज किया जाता है ।
- 8.2 भुनाई जाने वाली छुट्टी के लिए प्रावधान कर्मचारी लाभ लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार एकुअल मूल्यांकन आधार पर किया गया है ।
- 8.3 स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के खर्चों को 5 वर्ष के दौरान समान रूप से परिशोधित किया जाता है.
9. संदिग्ध ऋणों/अग्रिमों/ऋणों के लिए निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है..
- 9.1 सरकारी देयों के अलावा 3 साल से ज्यादा अवधि के बकाया सभी विविध देनदारों/कर्जदारों के संबंध में
- 9.2 अन्य सभी विविध देनदारों/कर्जदारों के संबंध में उस सीमा तक प्रबन्धन के मतानुसार जहाँ जरूरी लगता है ।
- 9.3 फिल्मों / सिनेमागृह ऋणों / टीवी सीरियल वित्तपोषण और अन्य अग्रिमों के सम्बन्ध में ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान उस सीमा तक किया जाता है जहाँ तक प्रबन्धन से लगता है कि यह वसूली योग्य नहीं है.
10. सहनिर्माण की फिल्मों के वितरण-प्रदर्शन सम्बन्धी व्यय  
सहनिर्माण की फिल्मों के वितरण-प्रदर्शन सम्बन्धी व्ययों की वितरण-प्रदर्शन की तिथि से बारह महीनों की अवधि के प्रदर्शन-वितरण से तुलन पत्र में



## **5 Depreciation:**

- 5.1 Depreciation on assets has been provided on the "Written Down Value" basis at the rates prescribed by Schedule XIV of the Companies Act, 1956 unless otherwise stated below.
- 5.2 Leasehold land is amortized over the period of lease.
- 5.3 Depreciation in respect of video cassettes recording equipment / telecine equipment, subtitling unit, 16mm infrastructure and Laser sub-titling, video studio has been provided @ 10% on Straight line method in accordance with the Board Resolution dated June 28, 1982.
- 5.4 Depreciation on the Avid Airplay and Special Effects Studio has been provided @ 25% on Straight Line Method considering the life span of the equipments
- 5.5 Depreciation is charged on Straight Line method upto 95% of capitalized value.
- 5.6 Depreciation on all additions made during the year has been provided pro-rata from the date of such addition.
- 5.7 Assets costing upto Rs.5000/- are depreciated fully in the year of purchase

## **6 Prior Period Items:**

Adjustments arising due to errors or omissions in the financial statements of earlier years are accounted under "Prior Period Adjustments".

## **7 Transactions in Foreign Exchange**

Foreign currency transactions are recorded in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency at the date of the transaction. All monetary assets and liabilities as at the Balance Sheet date are restated at the applicable exchange rates prevailing on that date.

## **8 Employees' Retirement benefits**

- 8.1 Consequent upon the Corporation's forming a Group Gratuity Trust for the employees and taking a policy under Group Gratuity cum Life Assurance Policy with Life Insurance Corporation Of India. The Premium paid to Life Insurance Corporation Of India is charged as expenses.
- 8.2 Provision for Leave encashment has been made based on actuarial valuation as per Accounting Standard 15 (revised 2005) Employee Benefits.
- 8.3 VRS expenditure is amortized equally over 5 years.

## **9 Provisions for Doubtful Debts/ Advances/ Loans are made as follows:**

- 9.1 In respect of all Sundry Debtors/other Debts outstanding for a period of more than 3 years other than Government dues.
- 9.2 In respect of all other sundry debtors/debts to the extent considered necessary in the opinion of the management
- 9.3 In respect of loans for film/ theatre/ TV serial finance and other advances, the provisions are made for the loans and advances to the extent considered not recoverable by the Management.

## **10. Exploitation expenses in respect of co-production films:**

Exploitation expenses in respect of co-production films are carried forward in the Balance Sheet to be recouped against future revenues earned from the exploitation over the period of twelve months from the date of exploitation.

आगे ले जाया जाता है ताकि भविष्य में होने वाली अर्जित आय से उनकी पूर्ति की जा सके। वितरण-प्रदर्शन के व्ययों राशि जिनकी पूर्ति बारह महीने की अवधि में नहीं हुई उसे लाभ एवं हानि लेखा में डाला जाता है।

## 11. सम्पत्ति सूची

11.1 सम्पत्ति सूची (क) में शामिल है पूर्ण की हुई फिल्मों (ख) आयातित फिल्मों के वितरण प्रदर्शन अधिकारों की अपरिशोधित लागत तथा विदेशी सहनिर्माण की फिल्मों में निगम का भाग और निर्माणाधीन फिल्मों की लागत, खाली वीडियो कैसेटों का स्टॉक तथा स्वर्ण।

11.2 निगम द्वारा अर्जित पटकथाओं को लागत पर आँका गया है।

11.3 वीडियो कैसेटों का स्टॉक तथा निर्माणाधीन फिल्मों को लागत पर आँका गया है।

11.4 सोने को ऐतिहासिक लागत पर आँका गया है।

11.5 टेलिविजन के माध्यम वितरण हेतु खरीद किए गए यूमॅटिक, बीटा तथा वीएचएस कैसेटों की खरीद वाले वर्ष में ही उपभोग में चार्ज दिया जाता है।

## 12. कराधान

12.1 टैक्स व्ययों में दोनों ही आस्थगित एवं चालू कर शामिल है। आस्थगित आय करों का चालू वर्ष में समय अन्तरों का प्रभाव है जो कि कर योग्य आय और वर्ष के लिए लेखा की गई आय एवं पिछले वर्षों के विपरीत समय अन्तरों के पुनरावर्तन को परिलक्षित करता है।

12.2 आस्थगित करों को कर की दरों और कर सम्बन्धी कानूनों के कार्यान्वयन के आधार पर आँका जाता है अथवा तुलन पत्र की तिथि पर वास्तविक रूप से अधिनियमित होती है।

12.3 आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को उसी सीमा तक माना जाता है जहाँ समुचित निश्चितता होती है कि पर्याप्त भावी कर योग्य आय उपलब्ध रहेगी जिनके सामने ऐसी आस्थगित कर सम्पत्तियों रखी गई थीं।

12.4 आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत परिभाषित 'फ्रिन्ज बेनेफिट' के दायरे में आने वाले खर्चों पर लागू दरों के अनुसार 'फ्रिन्ज बेनेफिट' टैक्स निर्धारित किया जाता है।

## 13. परिसम्पत्तियाँ का क्षरण

क्षरण हानि, यदि कोई है तो उसका प्रावधान उस सीमा तक किया जाता है जब तक परिसम्पत्तियों की अग्रेणीत राशि उसकी वसूली योग्य राशि को पार कर जाए। वसूली योग्य राशि सम्पत्ति की शुद्ध बिक्री राशि से ज्यादा होने की वजह से और उसकी मूल्य जो कि अनुमानित भावी रोकड़ प्रवाह का वर्तमान मूल्य है और जिसकी परिसम्पत्ति के निरन्तर उपयोग से तथा परिसम्पत्तियों की उपयोगी जीवन के अन्त में उसके निपटान से बढ़ने की अपेक्षा है।

## 14. प्रतिअंश आय

प्रति ईक्यूटी शेयर की आय (प्रारम्भिक/तनूकृत) को ईक्यूटी अंशधारियों को वर्ष के लिए शुद्ध लाभ एवं हानि (देय करों का घटाकर) में वर्ष के दौरान बकाया ईक्यूटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभक्त करके आकलित किया जाता है।

The amount of exploitation expenses which are not recouped within the period of twelve months are charged to Profit and Loss account.

**11. Inventories:**

- 11.1 Inventories include unamortized cost of – a) completed films, b) exploitations rights in imported films & Corporation's share in foreign co-production films and cost of films under production, stock of blank video cassettes and gold.
- 11.2 Scripts acquired by the Corporation are valued at Cost.
- 11.3 Stocks of video-cassettes and films under production have been valued at cost.
- 11.4 Gold is valued at historical cost.
- 11.5 Purchase of U-matic, BETA and VHS cassettes used for distribution of films through Television are charged to consumption in the year of purchase.

**12 Taxation:**

- 12.1 Tax expense comprises both deferred and current taxes. Deferred income taxes reflect the impact of current year timing differences between taxable income and accounting income for the year and reversal of timing differences of earlier years.
- 12.2 Deferred tax is measured based on tax rates and the tax laws enacted or substantively enacted at the Balance Sheet date.
- 12.3 Deferred tax assets are recognized only to the extent that there is reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized.
- 12.4 Fringe Benefit Tax is determined at current applicable rates on expenses falling within the ambit of 'Fringe Benefit' as defined in under the Income Tax Act, 1961.

**13 Impairment of Assets:**

Impairment loss, if any, is provided to the extent, the carrying amount of assets exceeds their recoverable amount. Recoverable amount being higher than assets net selling price and its value which is the present value of estimated future cash flow expected to arise from the continuing use of the assets and from their disposal at the end of the useful life of the asset.

**14 Earning Per Share**

Earning Per equity share (Basic / Diluted) is calculated by dividing the Net Profit or Loss for the year attributable to Equity Shareholders (after deducting attributable taxes) by the weighted average number of Equity Shares outstanding during the year.

## ख) लेखों पर टिप्पणियाँ

### 15.1 आकस्मिक देयताओं का प्रावधान नहीं किया गया :

क्र.सं.	विवरण	2007-08	2006-07
1.	बैंक गारन्टी	4,95,00.00	4,95,000
2.	फिल्म वितरण व्यवस्था के लिए विक्रीकर प्राधिकारियों द्वारा किए गये दावे जिनकी अपील फाइल की जा चुकी है	19,53,112	18,04,058
3.	निगम के खिलाफ कानूनी मुकदमों	3,81,05,810	3,20,26,810
4.	निगम के विरुद्ध भवन के किरायों में वृद्धि के लिए दावे न्यायालय के विचाराधीन होने के वजह से देय रूप में नहीं स्वीकार किए गये.	26,09,345	24,94,379
5.	आयकर अधिनियम की धारा 271 ख के अन्तर्गत जुर्माना (वर्ष 2002-03)	100000.00	100000
	<b>कुल</b>	<b>4,32,63,267</b>	<b>3,69,20,247</b>

### 15.2 निलम्बन के अधीन वरिष्ठ महाप्रबन्धक को देय शेष वेतन:

वरिष्ठ महाप्रबन्धक को तथ्यों के दुष्प्रस्तुतिकरण एवं निगम के दस्तावेजों को जब्त करने के आरोप में निलम्बित किया गया है. दिनांक 26 अगस्त, 05 से 31 जनवरी, 08 (सेवानिवृत्ति की तारीख) तक उन्हें 75% वेतन दिया गया. यदि उन्हें अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से बरी हो जाने पर तो देय शेष वेतन के रूप में से रुपये 8,46,016/- (गत वर्ष रु.738,158 /-) का एक आकस्मिक देयता बन जाती है।

16. निगम ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को रु.66 करोड़ की वित्तीय सहायता के लिए एक पुनर्संरचना योजना प्रस्तुत की थी। मंत्रालय ने उसके सामने रु. 19.77 करोड़ का ऋण मंजूर किया। निगम द्वारा मंत्रालय से इस ऋण को अंश पूँजी में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में बातचीत की जा रही है ताकि इसकी शुद्ध पूँजी में सुधार करने में सहायता मिल सके। इन जारी गतिविधियों और मंत्रालय द्वारा दिये जा रहे वित्तीय समर्थन को दृष्टिगत रखते हुए कम्पनी के खातों की गतिशील संस्थान के आधार पर तैयार किया गया है।
17. निगम के निदेशकों की संख्या 2.4.2008 तक कम से कम पाँच से कम की गई (जैसा कि निगम की संस्था की नियमावली में व्यक्त किया गया है.) निगम के प्रबन्धन ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निदेशक मंडल में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए लिखा है और अध्यक्ष की नियुक्ति 3-4-2008 को तथा दो कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति 25-6-2008 को हुई।
18. पार्टियों, के व्यक्तिगत खातों सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्त संस्थाएँ, ट्रस्ट, सोसायटीआं, सहकारी सोसायटियों, लोक-संघ, निजी पार्टियों के लेखाओं के शेषों का पुष्टीकरण तथा समजनों के उपरान्त आयी राशि यदि कोई हो और उनका वित्तीय विवरणों पर यदि कोई प्रभाव हो तो इसका अभिनिश्चयन नहीं दिया जा सकता
19. आवश्यकता के अनुसार गत वर्ष के आकड़े पुनर्गठित, पुनर्वर्गीकृत और पुनर्व्यवस्थित किए गये हैं, ताकि उन्हें चालू वर्ष के आकड़ों के साथ तुलनात्मक बनाया जा सके।
20. लेखा नीति में परिवर्तन
- 20.1 निगम ने निम्नांकित परिसम्पत्तियों को 31:3:2007 के लेखों पर टिप्पणियों के अन्तर्गत अमूर्त परिसम्पत्ति माना है। निगम के इनके सम्बन्ध में लेखा व्यवहार/प्रस्तुतिकरण में परिवर्तन किया है।

## B. NOTES ON ACCOUNTS:

### 15.1 Contingent liabilities not provided for:

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Particulars	2007-08	2006-07
1.	Bank Guarantees	4,95,000	4,95,000
2.	Claims from the Sales Tax Authorities for film distribution business for which appeal has been filed.	19,53,112	18,04,058
3.	Legal cases against the Corporation.	3,81,05,810	3,20,26,810
4.	Claim against Corporation for increase in rental for the premises not acknowledge as debts pending in Civil Court.	26,09,345	24,94,379
5.	Penalty U/S 271B of the Income Tax Act (A.Y. 2002-03)	1,00,000	1,00,000
	<b>Total:</b>	<b>4,32,63,267</b>	<b>3,69,20,247</b>

### 15.2 Balance salary payable to Sr. General Manager under suspension:

Sr. General Manager was suspended for charge of mis-representation of facts and impounding of documents of the Corporation. He was paid 75% of salary from 26<sup>th</sup> August'05 till 31<sup>st</sup> January '08. (Date of retirement) There is a contingent liability in respect of balance salary payable of Rs.8,46,016/- (Previous year Rs.738158/-) to him, in case, he is exonerated of all charges leveled against him.

16. The Corporation has submitted a restructuring plan to Ministry of Information & Broadcasting seeking a financial assistance of Rs.66 Crores. The Ministry of Information and Broadcasting has sanctioned a loan of Rs.19.77 crores against the same. The Corporation is in negotiation with the Ministry to convert the loan into equity which will help the Corporation to improve the net worth. In view of these developments and the financial support tendered by the Ministry the accounts of the Company have been prepared on '**Going Concern**' basis.
17. Number of Directors of the Corporation fell below the minimum number of five (as specified in the Articles of Association of the Corporation) till 2.4.2008. The Management of the Corporation had written to Ministry of Information & Broadcasting for filling up the vacancies in the Board and the post of Chairman has been filled up w.e.f. 3/4/2008 and two non-executive Directors have been appointed w.e.f. 25/6/2008.
18. The balances in personnel accounts of parties, government, semi government, autonomous bodies, Trusts, Societies, Co-operative Societies, Association of persons, private party are subject to confirmation and consequential adjustment, if any on reconciliation. The financial impact, if any, is unascertainable.
19. Previous years figures have been re-grouped / re-classified and re-arranged wherever necessary to make them comparable with current years figures.
20. **Change in accounting policy**
- 20.1 The corporation had identified following assets as Intangible Assets as on 31.03.07 in the Notes to Accounts. The corporation has changed the accounting treatment / presentation in respect of the same.

क्र. म.	विवरण	31-3-07 में को तुलन पत्र में प्रकट किया गया	31-3-08 को तुलन पत्र में प्रकट किया गया
1.	सहनिर्माण में निवेश	अनुसूची 9 में ऋण एवं अग्रिमों में दर्शाया गया	वित्तीय विवरण की अनुसूची 7 देनदारों में दर्शाया गया
2.	सहनिर्माण के सम्बन्ध में वितरण व्यय	अनुसूची 9 में ऋण एवं अग्रिमों में दर्शाया गया	टिप्पणी सं. 20.2 संन्दर्भित करें
3.	अन्य	अनुसूची 9 में ऋण एवं अग्रिमों में दर्शाया गया	टिप्पणी सं. 20.2 संन्दर्भित करें

20.2 निगम ने वितरण प्रदर्शन सम्बन्धी व्ययों के बारे में लेखा नीतियों में परिवर्तन किया है। चालू वर्ष के दौरान वितरण प्रदर्शन सम्बन्धी व्यय जिन्हें वितरण-प्रदर्शन की तिथि से बारह महीने की अवधि तक भावी आय के समक्ष वसूल नहीं हो सका उन्हें लाभ एवं हानि लेखा में डेबिट किया जाता है। पिछले वर्ष तक निगम द्वारा वितरण प्रदर्शन सम्बन्धी व्ययों को आगे ले जाया जाता था और किसी विशिष्ट अवधि के समंजन के बिना उन्हें भावी आय में से वसूला जाता था। इस तरह वितरण प्रदर्शन सम्बन्धी व्यय जो लाभ एवं हानि लेखे में डेबिट किए हैं उनसे वर्ष की हानि रु. 24.34 लाख से बढ़ाकर दर्शायी गई है। उसी प्रकार मानी गई अन्यो में आगे ले जायी गई राशियाँ तथा भावी आय के समक्ष वसूल की गई। वर्ष के दौरान यह रु. 3.23 लाख लाभ एवं हानि लेखे में चार्ज किए गये। इस तरह लेखा व्यवहार में बदलाव के कारण वर्ष की हानि रु. 3.23 लाख से ज्यादा दर्शायी गयी है।

21.1 (क) अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान  
वर्ष के दौरान अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए रुपये 6.30 लाख (गत वर्ष के रु. 11.59 लाख) के विविध देनदारों तथा ऋण एवं अग्रिमों का प्रावधान किया गया है।

21.2 बट्टे खाते में डाले गये संदिग्ध ऋण  
प्रबन्धन ने संदिग्ध ऋण के ऐसे मामलों को जहाँ वसूली के अवसर नगण्य हैं और जिनका पूरा प्रावधान लेखा पुस्तकों में किया गया है, उन्हें बट्टे खाते में डालने का निर्णय लिया है। तदनुसार वर्ष के दौरान रु. 175.18 लाख की राशि का (विगत वर्ष रु. 14.98 लाख) बट्टे खाते में डाली गई। परिणाम स्वरूप रु. 175.18 लाख की राशि का संदिग्ध एवं संदेहास्पद ऋणों (गत वर्ष रु. 14.98 लाख) के प्रावधान को बट्टे खाते से वापस किया गया।

22. उपदान (ग्रेच्युटी) के सम्बन्ध में 31.3.2008 को कुल देयताएं रुपये 254.93 लाख रुपये की है जोकि जीवन बीमा निगम द्वारा एक्जुअल मूल्यांकन आधार पर की गई है। निगम के एल आई सी ग्रेच्युटी खाते में उपर्युक्त देयताओं से संबन्धित रुपये 52.24 लाख का शेष है। अतः 31.3.2008 तक रु. 202.69 लाख रुपये की देयताओं के लिए भुगतान नहीं किया गया है।

23. कर्मचारियों को दिया जाने वाला छुट्टियों के नकदी करण का प्रावधान तुलन पत्र की तारीख को एक्जुअल मूल्यांकन आधार पर किया जाता है।

- मूल्यांकन के लिए छूट की दर 8% वार्षिक है जो कि अनुमानित देयताओं के लिए मूल्यांकन की तारीख को सरकारी प्रतिभूतियों की बाजार में चल रहे उत्पन्न मुनाफा पर आधारित है।
- उपदान तथा छुट्टियों के नकदीकरण के मूल्यांकन के लिए वेतन में बढ़ोतरी की दर 7% वार्षिक है जिसे भविष्य में मंहगाई, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य सम्बन्धित कारकों को ध्यान में रखते हुए वेतन में बढ़ोतरी को अनुमानित किया गया है।
- कम्पनी के कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की उम्र 60 वर्ष मानी गई है।

उपर्युक्त के आधार पर छुट्टियों के नकदीकरण का प्रावधान 31.3.2008 को रुपये 202.78 लाख (गत वर्ष 187.63 लाख रुपये) है।

Sr. No.	Particulars	Disclosed in the Balance Sheet as on 31.03.07	Disclosed in the Balance Sheet as on 31.03.08
1.	Investment in co-production	Shown under 'Loans and Advances' in schedule 9	Shown as 'Debtors' in schedule 7 of financial statement
2.	Exploitation expenses in respect of co-production	Shown under 'Loans and Advances' in schedule 9	Refer Note No 20.2
3.	Others	Shown under 'Loans and Advances' in schedule 9	Refer Note No. 20.2

20.2 The Corporation has changed its accounting policy in respect of Exploitation expenses. During the current year the exploitation expenses which are not recouped against future income within a period of twelve months from the date of exploitation are debited to Profit and loss account. Till the previous year the Corporation was carrying forward the exploitation expenses and recouping the future income without any specified period for adjustment. Thus the loss for the year has been overstated by Rs. 24.31 lakhs on account of exploitation expenses being debited to the Profit and Loss account. Similarly the amounts considered in Others were carried forward and recouped against future income. During the current year the same has been charged to Profit and Loss account to Rs. 3.23 lakhs. Thus the loss for the year has been overstated by Rs. 3.23 lakhs on account of change in the treatment.

21.1 Provision for Bad and Doubtful Debts  
During the year provision for bad and doubtful debts of Rs. 6.30 Lakhs (Previous year Rs. 11.59 Lakhs) has been made towards sundry debtors and Loans and Advances.

21.2 Bad Debts Written off  
The management of the Corporation has decided to write off bad debts in cases where the chances of recovery are minimal and which have been completely provided for in the books of accounts. Accordingly during the year Bad Debts amounting to Rs. 175.18 Lakhs (Previous Year Rs. 14.98 Lakhs) have been written off. Consequently the provision for bad and doubtful debts amounting to Rs. 175.18 Lakhs (Previous Year Rs. 14.98 Lakhs) has been written back.

22. The total liability on account of gratuity is Rs.254.93 lakhs as on 31.03.08 on the basis of actuarial valuation done by Life Insurance Corporation of India. The balance in LIC Gratuity Trust Account of the corporation towards above liability is Rs. 52.24 Lakhs. Thus liability of Rs. 202.69 Lakhs is not funded as on 31.03.08.

23. Provision for leave encashment benefits payable to staff is made on the basis of actuarial valuations as at the balance sheet date.

- The Leave encashment Valuation has been carried out using the Projected Accrued Benefit Method. The discount rate used for valuation is 8.00% P.a. which is based on prevailing market yield of government securities as on the valuation date for the estimated terms of obligation.
- The salary escalation rate used for Gratuity and Leave Encashment valuation is 7% P.a which is the estimate of the future salary increases taking into the account the inflation, seniority promotion and other relevant factors.
- The employees of the company are assumed to retire at the age of 60 Years.

Based on the above the Provision of liability on account of Leave Encashment is Rs.202.78 Lakhs as on 31.03.08 (Previous year Rs.187.63 Lakhs). The difference has been charged to Profit and Loss account.

24. निदेशक मंडल की राय में, चालू परिसम्पत्तियों, ऋणों, एवं अग्रिमों की व्यक्त राशियाँ सामान्य व्यवसाय के अन्तर्गत वसूल हो जाएगी। मूल्य ह्रास और सभी ज्ञात देयतायें का प्रावधान पर्याप्त है और आवश्यकतानुसार राशि से ज्यादा नहीं समझा जायेगा।
25. कम्पनी के पास उपलब्ध लघु उद्योग मान्यता वाले आपूर्ति कर्ताओं की सूचना के आधार पर लघु उद्योग की श्रेणी वाले प्रतिष्ठानों को देय राशियाँ सम्बन्धित लेखा शीर्ष के अन्तर्गत दी गई है। कम्पनी को अति लघु, लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आनेवाले आपूर्तिकर्ताओं से उनकी श्रेणी के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है। अतः वर्ष के अन्त में भुगतान न की गई राशि ब्याज सहित अथवा देय से सम्बन्धित प्रकटीकरण यदि कोई है जो कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपेक्षित है, नहीं दिया गया है। वर्ष के अन्त में विविध लेनदार सम्बन्धित पाटियों से पुष्टि करण के अधीन है। कम्पनी ने तुलन पत्र की तारीख को सभी ज्ञात देयताओं का प्रावधान किया है।
26. निगम द्वारा परिसम्पत्तियों का क्षति करण का अभिनिश्चयन करने के लिए एक अध्ययन कार्य की शुरुआत करवाई है जो कि ईन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा परिसम्पत्तियों के क्षति करण के सम्बन्ध में जारी ए एस -28 के प्रावधानों के सम्बन्ध में है। निगम की ओर से यह अध्ययन कार्य एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट फर्म को दिया गया है और उसकी रिपोर्ट प्रबन्धन को दी जा चुकी है। प्रबन्धन इस रिपोर्ट के अवलोकनों पर पुनरीक्षण/पुष्टिकरण की प्रक्रिया में है। इस दृष्टि से परिसम्पत्तियों के क्षतिकरण के अभिनिश्चयन का अध्ययन अभी तक पूरी तरह सम्पन्न नहीं हुआ है।  
परिणामतः लेखा प्रविष्टियाँ, और लेखा पुस्तकों में प्रकटीकरण यदि कोई होगा तो वे प्रबन्धन तथा निगम के निदेशक मंडल द्वारा रिपोर्ट के स्वीकार करने के बाद किये जाएंगे।
27. प्रबन्धन ने कुछ परिसम्पत्तियों बिक्री के लिए पहचान कर ली है 31.3.2008 को उन परिसम्पत्तियों का सकल मूल्य रु.107.91 लाख तथा मूल्यह्रासित कीमत रु.7.67 लाख है। प्रबन्धन ने इस परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन करवा लिया है और वसूली योग्य मूल्य रु. 2.52 लाख रुपये माना गया है। स्थाई सम्पत्तियों के लेखा के सम्बन्ध में ईन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी ए एस- 10 के प्रावधानों के अनुसार परिसम्पत्तियों की वसूली योग्य मूल्य एवं मूल्यह्रासित मूल्य के अन्तर की राशि रु.5.15 लाख का प्रावधान लेखा पुस्तकों में किया गया है। इस आशय की एक टिप्पणी द्वारा परिसम्पत्तियों की अनुसूची - 5 में प्रकटीकरण किया गया है।
28. वर्ष के दौरान कुछ पुराने फर्नीचर एवं फिक्चर रु.2.02 लाख का बेचा गया। निगम द्वारा स्थायी सम्पत्ति रजिस्टर में उनका ठीक ठीक विवरण ज्ञात नहीं किया जा सका और इसलिए बिक्री राशि को अन्य आय के रूप में दर्ज किया गया है।
29. कम्प्यूटर आइटमों को 31.3.2007 को त्रुटिवश कार्यालय उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया गया। इन आइटमों के 31.3.08 को सही रूप में वर्गीकृत किया गया तथापि इन परिसम्पत्तियों का मूल्य ह्रास का आकलन परिणामतः 1.4.07 को घटे हुए मूल्य पर ही किया गया। मूल्य ह्रास की दर में हुए परिवर्तन के अन्तर का आकलन पूर्व प्रभावी नहीं किया गया इसलिए वित्तीय विवरणों पर उसके प्रभाव का अभिनिश्चयन नहीं किया जा सकता।
30. निगम द्वारा 2003-04 में वाशी में पड़ी कुछ परिसम्पत्तियों का निपटान कर दिया। इन परिसम्पत्तियों की बिक्री से रु.60000 वसूल हुए जिसे अन्य आय के रूप में दर्शाया गया। इन परिसम्पत्तियों की बिक्री को 2003-2004 में दर्ज नहीं किया गया बल्कि चालू वित्तीय वर्ष में दर्ज किया गया। इसका प्रभाव रु. 56,6442 की परिसम्पत्तियों की हानि के रूप में पड़ा जिसे वित्तीय विवरण की अनुसूची 29 में पूर्व वर्ष समंजन के रूप में दर्शाया गया है।
31. ऋण एवं अग्रिमों  
ऋण एवं अग्रिमों के रुपये 1038.34 (गत वर्ष रु.770.94 लाख) में अर्जित ब्याज तथा बकाया राशि रु.72.04 लाख (गत वर्ष रु.78.11 लाख) तथा अग्रिम कर अदायगी के रुपये 626.38 लाख (गत वर्ष रु.500.84 लाख) जो कि पिछले कई कर निर्धारण वर्षों से सम्बन्धित है।



24. In the opinion of the Board, the current assets, loans and advances have been stated at amounts that would be realized in the ordinary course of business. The provision of depreciation and for all known liabilities is adequate and not in excess of amounts considered reasonably necessary.
25. The amount due to small-scale undertakings is furnished under the relevant head, on the basis of information available with the Company regarding small-scale industry status of suppliers.  
The Company has not received any intimation from "suppliers" regarding their status under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid or payable as required under the said Act have not been given. Sundry creditors at the year end are subject to confirmation from the respective parties. The Company has provided for all known liabilities as on the Balance Sheet Date.
26. The Corporation has undertaken a study to ascertain the Impairment of assets with regards to the provisions of AS – 28 Impairment of Assets issued by the Institute of Chartered Accountants of India.  
The study has been undertaken by an Independent Firm of Chartered Accountants on behalf of corporation and the report has been submitted to the management. The management is in the process of reviewing / confirming the observations arising out of the report. In view of the same the entire study of determining the impairment of assets is not yet complete.  
The resulting accounting entries, if any and disclosures would be made in the books of accounts after the report is accepted by the management and the Board of Directors of the Corporation.
27. The management has identified certain assets as being held for sale. The Gross Block of such assets is Rs. 107.91 Lakhs and the written down value of the same is Rs. 7.67 Lakhs as on 31.03.2007. The management has obtained valuation of these assets and the net realizable value is determined at Rs. 2.52 Lakhs.  
As per the provisions of AS – 10 Accounting for Fixed Assets issued by the Institute of Chartered Accountants of India the difference in the written down value and net realizable value amounting to Rs.5.15 lakhs has been provided for in the books of accounts.  
The note to that effect has been disclosed under 'Schedule 5' Fixed Assets.
28. During the year certain old furniture and fixtures has been sold for Rs. 2.02 Lakhs. The corporation is unable to identify the exact details of such assets in the Fixed Asset Register and thus the sale proceeds have been recorded as Other Income.
29. Certain items of Computers were wrongly classified as Office Equipment as on 31.03.07. These items have been correctly classified as on 31.03.08. However the resulting depreciation of the same has been calculated on written down value of these assets as on 01.04.07. The difference on account of change in the rate of depreciation has not been calculated with retrospective effect. Thus, the impact of the same on the financial statement can not be ascertained.
30. The Corporation had disposed certain assets lying at Vashi in 2003-04. An amount of Rs. 60000 had been recovered against the sale of these assets and the same was shown as other income in 2003-04. Entry for the sale of assets had not been recorded in 2003-04 and the same is recorded in the current year. This has resulted in loss of assets amounting to Rs.566442. The same is shown in Schedule 29 of the financial statement as Prior Year Adjustment.
31. **Loans and Advances**  
Loans and Advances of Rs.1038.34 Lakhs (Previous year Rs. 770.94 Lakhs) include interest accrued and outstanding of Rs. 72.04 Lakhs (Previous year Rs. 78.11 Lakhs) and advance tax paid amounting to Rs. 626.38 Lakhs (Previous year Rs. 500.84 Lakhs) pertains to various assessment years.

32. 1991 में रुपये 30 लाख के अमानतों की बंधक अचल सम्पत्तियों के प्रति तीन पार्टियों के से निक्षेपित है। पार्टिने अमानतों को नही लौटाया है, तथा निक्षेपों को भी नहीं भुनाया है। निगम ने पार्टियों के खिलाफ अमानतों की वसूली के लिए पंचनिर्णय की कार्यवाही की है। रु.18 लाख की अमानत राशि को वसूली करने के लिए दो पार्टियों के सामने निगम के पक्ष में निर्णय दिया गया रु.12 22. लाख की शेष राशि के लिए पंचनिर्णय की कार्यवाही अभी जारी है। लेखा पुस्तिका में इसका कोई प्रावधान नहीं किया है।
33. पिछले वर्षों में निगम ने 33 लघु फिल्मों फिल्म प्रभाग को आपूर्ति की थी। वर्ष के दौरान निगम को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से आवश्यक मंजूरी प्राप्त हुई। निगम की प्राप्त मंजूरी के अनुसार फिल्म प्रभाग को आपूर्ति किए हुए 33 लघु फिल्मों के लिए अपने अंश की आय के रु 62.77 लाख तथा अपने अंश व्यय रु.30.55 लाख निगम को प्राप्त हुए आय और व्यय को लेखा पुस्तकों में रिकार्ड किया गया है तथा इन्हें अनुसूची 29 ' में पूर्व वर्ष के आय और व्यय में प्रकट किया है।
34. फिल्म 'गांधी' के मामले में लाभ और वितरण फीस के लेखे मर्केन्टाइल आधार पर किये जाते हैं सिवाय इसके कि ये वित्तीय वर्ष के आधार पर न होकर कलेन्डर वर्ष के आधार पर हैं। फीस और वितरण फीस के लेखे एग्रीमेन्ट के अनुसार नियुक्त एजेंट से प्राप्त कलेन्डर वर्ष आधारित वित्तीय विवरणों के अनुसार किये जाते हैं। निगम ने सुनिश्चित किया है कि प्राप्य फीस को वित्तीय वर्ष के आधार के बजाय कलेन्डर वर्ष आधार पर सम्पूर्ण वर्ष की समझी जाय।
35. निगम ने जुलाई 2004 में चार्टर्ड अकाउन्टन्ट की एक स्वतंत्र फर्म की टीवी मार्केटिंग डिवीजन के 31.3.2004 को विविध देनदारों से सम्बन्धित एक विशिष्ट लेखापरीक्षा के लिए नियुक्ति की। विशिष्ट लेखा परीक्षा की जाँच परिणामों के आधार पर निगम ने लेखा पुस्तकों में आवश्यक सुधार की प्रविष्टियाँ की और निदेशक मंडल ने पूर्व वर्षों में उसे मंजूर कर लिया। विशिष्ट लेखा परीक्षा का जाँच परिणामों के फलस्वरूप निगम ने विशिष्ट लेखा परीक्षा में उल्लिखित कुछ देनदारों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू की है। कानूनी कार्रवाई का परिणाम और उसका वित्तीय विवरणों पर प्रभाव ज्ञात नहीं हुआ है अतः उसका अभिनिश्चयन नहीं किया जा सकता।
36. सम्बन्धित पार्टी का प्रकटीकरण  
रिपोर्टिंग उद्घम :- राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि.

प्रमुख प्रबन्धन कार्मिक :

(क) श्रीमती. नीना लाठ गुप्ता

(ख) श्री. पी. सत्यनारायणन

सम्बन्धित पार्टी के लेन देन के बारे में मानक लेखा ए एस - 18 की अपेक्षित सूचना नीचे दी जा रही है।

निदेशक का नाम	लेन देन का स्वरूप	राशि (रुपये लाख में)
श्रीमती नीना लाठ गुप्ता प्रबन्ध निदेशक	पारिश्रमिक	547,329 /-
श्री पी. सत्यनारायणन निदेशक (वित्त)	पारिश्रमिक	589,439 /-

### 37. खण्डीय सूचना :

व्यापारिक खण्ड :

निगम ने तीन व्यापारिक खण्डों को माना है जैसे फिल्म वित्त, फिल्मों का वितरण और सेवा परियोजनाएं। निगम सिर्फ एक भौगोलिक खण्ड में प्रचालित होता है।

खण्ड आय और व्यय :

खण्डीय आय और व्ययों में सभी मर्दे सम्बन्धित खण्ड में प्रत्यक्ष आरोग्य शामिल है। प्रशासनिक व्यय, कार्मिक लागत और स्थायी परिसम्पत्तियों पर मूल्य-ह्रास किसी विशेष खण्ड के साथ जोड़ा नहीं जा सकता और इसलिए इन्हें अविभाजनीय समझा गया है।

खण्डीय परिसम्पत्तियाँ और दायित्व :

खण्डीय परिसम्पत्तियाँ और दायित्वों में सभी प्रत्यक्ष आरोग्य सम्बन्धित खण्ड में शामिल है। सभी अन्य परिसम्पत्तियाँ और दायित्व किसी विशेष खण्ड के लिए आरोग्य नहीं है उनका अविभक्त परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों के अन्तर्गत समूह बनाया गया है।

32. Deposits of Rs. 30.00 Lakhs placed with three parties in 1991 are secured against mortgage of immovable properties. The parties have not refunded the deposits and securities are also not liquidated. The Corporation has initiated arbitration proceedings against the parties for recovery of the deposits. Awards have been issued in favour of the Corporation against two parties for recovery of the deposit amounting to Rs. 18 Lakhs. The balance amount of Rs. 12 Lakhs the arbitration proceedings are still continuing. No provision has been made for the same in the books of accounts.
33. The Corporation had supplied 33 short films to the Films Division in the earlier years. During the year the Corporation has received the necessary sanction in respect of these films from the Ministry of Information and Broadcasting. As per the sanction received the Corporation has received its share of income Rs. 62.77 Lakhs and the share of expense Rs. 50.55 Lakhs in respect of the 33 short films supplied to the Films Division.

The income and expenditure has been recorded in the books of accounts and the same has been disclosed as Prior period income and expenditure in 'Schedule 29'.

34. In case of Film 'Gandhi' the accounting of profits and distribution fee has been done on mercantile basis except that these are accounted on calendar year basis instead of financial year basis. The fees and distribution fees are accounted based on statement of accounts received from the agents appointed under the agreement which are submitted on calendar year basis. The Corporation has ensured that the fees receivable are considered for the entire year on calendar year basis instead of financial year basis
35. The Corporation had appointed an independent firm of Chartered Accountant in July 2004 for conducting a special audit relating to Sundry Debtors of TV Marketing Division as on 31.03.2004. Based on the findings of the audit the Corporation initiated the necessary rectification in the books of accounts and the same was duly approved by the Board of Directors in the earlier years. Resulting out of the findings of the Special Audit the Corporation has initiated legal proceedings against some of the debtors mentioned in the Special Audit Report. The outcome of the legal cases and their impact on the financial statements is not known and thus cannot be ascertained.
36. **Related Party Disclosures:**  
Reporting Enterprise : National Film Development Corporation Ltd.

Key Management Personnel :

- a. Ms. Nina Lath Gupta
- b. Mr. P. Sathyanarayanan

Transactions with the Related Parties as required by AS-18 is given below:

**Key Management Personnel**

Name of the Director	Nature of Transaction	Amount (Rs.)
Ms. Nina Lath Gupta Managing Director	Remuneration	547,329/-
Shri. P. Sathyanarayanan Director (Finance)	Remuneration	589,439/-

37. **Segment Reporting:**  
i Business Segment:  
The Corporation has identified three business segments viz. Film Finance, Distribution of films & service projects. The Corporation operates in only one geographical segment.

Segment Revenues and Expenses:

The segmental revenues and expenses include all items directly attributable to the respective segment. Administrative expenses, personnel costs and depreciation on fixed assets cannot be identified with any particular segment and are considered as unallocated.

Segment Assets and Liabilities:

The segmental assets and liabilities include all items directly attributable to the respective segment. All other assets and liabilities not attributable to any particular segment have been grouped under unallocated Assets and liabilities.

## खण्डीय सूचना :

(रूपये लाख में)

विवरण	वित्तीय गतिविधि	फिल्म वितरण	सेवा परियोजना	अन्य	कुल	वित्तीय गतिविधि	फिल्म वितरण	सेवा परियोजना	अन्य	कुल
	<b>2007-08</b>					<b>2006-07</b>				
खण्ड आय										
विदेशी बिक्री	66.58	2360.07	602.94	81.01	3110.60	20.39	1949.90	306.59	172.21	2449.09
अंतर खण्ड बिक्री						-	-	-		
<b>कुल आय</b>	<b>66.58</b>	<b>2360.07</b>	<b>602.94</b>	<b>81.01</b>	<b>3110.60</b>	<b>20.39</b>	<b>1949.90</b>	<b>306.59</b>	<b>172.21</b>	<b>2449.09</b>
खण्ड व्यय	(55.91)	(1942.97)	387.33)	(884.26)	(3270.47)	(1.05)	(1603.95)	(323.09)	(997.13)	2925.22
परिचालन लाभ / (हानि)	<b>10.67</b>	<b>417.10</b>	<b>215.61</b>	<b>(803.25)</b>	<b>(159.87)</b>	<b>19.34</b>	<b>345.95</b>	<b>(16.50)</b>	<b>(824.92)</b>	<b>(476.13)</b>
ब्याज व्यय	-	-	-		(286.56)	-	-	-		(82.11)
ब्याज आय	-	-	-		180.37	-	-	-		41.46
आयकर	-	-	-		( 10.00)					(10.00)
<b>शुद्ध लाभ (हानि)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>(276.06)</b>					<b>(526.78)</b>
<b>अन्य जानकारी</b>										
खण्ड परिसम्पतियाँ	4.20	1056.28	431.09		1491.57	16.60	1044.79	551.95		1613.34
अनआबंटित कारपोरेट परिसम्पतियाँ	-	-	-		3220.93					1634.41
कुल परिसम्पतियाँ	-	-	-		4712.50					3247.75
खण्ड देयताएँ	3.63	1517.99	248.77		1770.39	3.63	1204.61	131.32		1339.56
अनआबंटित कारपोरेट देयताएँ-	-	-	-		1143.26	-	-			918.51
कुल देयताएँ -	-	-	-		2913.65	-	-			2258.07
पूँजी गत व्यय -	-	-	11.19		11.19	-	-	12.75		12.75
अन्य -	-	-	-		8.94	-	-			37.26
कुल पूँजी गत व्यय -	-	-	-		20.13	-	-			50.01
मूल्य हास--	-	-	72.59		72.59	-	--	120.92		120.92
अन्य-	-	-	-		27.85	-	-			29.78
कुल मूल्य-हास	-	-	-		100.44	-	-			150.70
मूल्य-हास के अलावा अन्य गैर रोकड व्यय	-	-	-		-	-	-	-		

अनुसूची '29' में पूर्व वर्ष की मदे सम्बन्धित शीर्षों में दर्शायी गई है.

# Segment Reporting:

(Rs. in Lakhs)

Particulars	Financial Activity	Film Distribution	Service Project	Other	Total	Financial Activity	Film Distribution	Service Project	Other	Total
	2007-08					2006-07				
Segment Revenue										
External Sales	66.58	2360.07	602.94	81.01	3110.60	20.39	1949.90	306.59	172.21	2449.09
Inter Segment Sales						-	-	-		
<b>Total Revenue</b>	<b>66.58</b>	<b>2360.07</b>	<b>602.94</b>	<b>81.01</b>	<b>3110.60</b>	<b>20.39</b>	<b>1949.90</b>	<b>306.59</b>	<b>172.21</b>	<b>2449.09</b>
Segment Expenses	(55.91)	(1942.97)	387.33)	(884.26)	(3270.47)	(1.05)	(1603.95)	(323.09)	(997.13)	2925.22
Operating Profit/(Loss)	<b>10.67</b>	<b>417.10</b>	<b>215.61</b>	<b>(803.25)</b>	<b>(159.87)</b>	<b>19.34</b>	<b>345.95</b>	<b>(16.50)</b>	<b>(824.92)</b>	<b>(476.13)</b>
Interest Expenses	-	-	-		(286.56)	-	-	-		(82.11)
Interest Income	-	-	-		180.37	-	-	-		41.46
Income Taxes	-	-	-		( 10.00)					(10.00)
<b>Net Profit/(Loss)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>(276.06)</b>					<b>(526.78)</b>
<b>Other Information</b>										
Segment Assets	4.20	1056.28	431.09		1491.57	16.60	1044.79	551.95		1613.34
Unallocated Corporate Assets	-	-	-		3220.93					1634.41
Total Assets	-	-	-		4712.50					3247.75
Segment Liabilities	3.63	1517.99	248.77		1770.39	3.63	1204.61	131.32		1339.56
Unallocated Corporate Liabilities	-	-	-		1143.26	-	-			918.51
Total Liabilities	-	-	-		2913.65	-	-			2258.07
Capital Expenditure	-	-	11.19		11.19	-	-	12.75		12.75
Other	-	-	-		8.94	-	-			37.26
Total Capital Expenditure	-	-	-		20.13	-	-			50.01
Depreciation	-	-	72.59		72.59	-	-	120.92		120.92
Other	-	-	-		27.85	-	-			29.78
Total Depreciation	-	-	-		100.44	-	-			150.70
Non Cash Expenses other than Depreciation	-	-	-		-	-	-	-		

The items shown in Schedule '29' Prior Period had been shown in respective heads above.

### 38. आय पर करों के लिए लेखा

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट औफ इंडिया द्वारा जारी लेखा मानक (ए.एस-22) 'आय पर करों के लिए लेखा' के अनुसार निगम ने आस्थगित कर परिसम्पत्तियों और आस्थगित कर देयताएँ मानी हैं।

निगम ने पिछले वर्ष की तरह चालू वर्ष में हानि हुई है। वर्ष के अंत में भावी लाभ के बारे में अनिश्चितता की दृष्टि से तथा विवेकानुसार निगम ने आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ पहचानी नहीं हैं तदनुसार 31.03.2007 को मानी गई आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ रु.41.11 लाख और आस्थगित कर देयताएँ रु. 37.74 को चालू वर्ष में चार्ज की गई तथा उन्हें अनुसूची 29 में दर्शायी गयी है।

39. वर्ष के दौरान निगम ने विविध फिल्म पटकथाओं का प्रारूप तैयार करने के लिए कार्यशाला आयोजित की। निगम ने इनमें से 8 पटकथाएँ अधिगृहीत की परिणामस्वरूप रु. 27.58 लाख का व्यय अनुसूची 6 ' में सम्पत्ति सूची के रूप में दर्शाया गया है। प्रबन्धन को विश्वास है कि आनेवाली वर्षों में वे इन पटकथाओं को फिल्मों का स्वरूप दिया जाएगा।

### 40. इक्विटी प्रति शेयर

विवरण	चालू वर्ष	गत वर्ष
इक्विटी अंशधारकों की गुणयोग्य शुद्ध लाभ / (हानि)	(2,76,06,673)	(5,26,77,419)
इक्विटी शेयरों की संख्या	13,99,985	13,99,985
इक्विटी शेयरों की भारकृत औसत संख्या	13,99,985	13,99,985
शेयरों का अंकित मूल्य	रु. 100	रु. 100
प्रतिशेयर इक्विटी-मूल	रु. (19.72)	रु. (37.63)
प्रति शेयर पर अर्जन-(डायल्यूटेड)	रु. (19.72)	रु. (37.63)

### 41. निदेशकों के मानदेय का विवरण

(रुपये राशि में)

विवरण	2007-08	2006-07
प्रबन्ध निदेशक का मानदेय	4,89,072	4,28,501
भविष्य निधि और परिवार पेन्शन के लिए अंशदान	58,257	50,629
निदेशक वित्त का मानदेय	5,35,046	4,95,713
भविष्य निधि और परिवार पेन्शन के लिए अंशदान	54,393	49,890

38. **Accounting for Taxes On Income**

In accordance with Accounting Standard (AS-22) – “Accounting for Taxes on Income” issued by the Institute of Chartered Accountants of India the Corporation has recognized Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability. The Corporation has incurred losses in the current year as well as the previous year. The Corporation has not recognized Deferred Tax Asset as at the year end in view of the uncertainty in respect of future profits and on account of prudence

Accordingly, the Deferred tax Asset of Rs. 41.11 lakhs and Deferred tax Liability of Rs. 37.74 lakhs recognized as on 31.03.07 is reversed in the current year and the same is shown in Schedule 29.

39. During the year the Corporation had conducted a workshop for drafting of various film scripts. The Corporation acquired 8 scripts from the same. The resulting expenditure of Rs.27.58 lakhs has been shown in Schedule '6' as Inventory. The management is confident of converting the said Scripts in Films in the subsequent years.

40. **Earning Per Share**

<b>Particulars</b>	<b>Current Year Rs. P.</b>	<b>Previous Year Rs. P.</b>
Net Profit/(Loss) attributable to equity shareholders	(2,76,06,673)	(5,26,77,419)
No. of Equity Shares	13,99,985	13,99,985
Weighted Average No. of Equity Shares	13,99,985	13,99,985
Nominal Value of Share	Rs. 100	Rs. 100
Equity Per Share – Basic	Rs. (19.72)	Rs. (37.63)
Earning Per Share – Diluted	Rs. (19.72)	Rs. (37.63)

41. **Particulars of Directors Remuneration**

<b>Particulars</b>	<b>2007-08</b>	<b>2006-07</b>
Managing Directors Remuneration	4,89,072	4,28,501
Contribution of PF and FPF	58,257	50,629
Remuneration of Director Finance	5,35,046	4,95,713
Contribution of PF and FPF	54,393	49,890

42. **Additional information pursuant to the provisions of paragraphs 3, 4C and 4D of the part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956 to the extent applicable**

i) Expenditure on employees in the receipt of aggregate remuneration of:

42. कंपनी अधिनियम 1956 की अनुसूची 6 के भाग दो के पैराग्राफ 3, और 4 ग और 4 घ के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त सूचना.

i) संपूर्ण मानदेय की प्राप्ति पर कर्मचारियों पर खर्च

क) वर्ष में रुपये 24,000/- से कम नहीं यदि वर्ष भर सेवारत थे

(राशि रुपये में)

विवरण	2007-08	2006-07
कर्मचारियों की संख्या	Nil	Nil
वेतन तथा बोनस	Nil	Nil

ख) प्रतिमाह रुपये 2,00,000/- से कम नहीं, यदि वर्ष के एक भाग के दौरान सेवारत थे

(राशि रुपये में)

विवरण	2007-08	2006-07
कर्मचारियों की संख्या	Nil	Nil
वेतन तथा बोनस	Nil	Nil

II) कच्चा माल उपभोग किया गया :

कच्चे माल, कल पुर्जे और संघटक के उपभोग का विवरण

(राशि रुपये में)

विवरण	2007-08		2006-07	
	राशि रुपये में	प्रतिशत (%)	राशि रुपये में	प्रतिशत (%)
कच्चा माल			—	—
आयातित	-	-	—	—
देशी	1,13,541	20	59,650	4
कल पुर्जे एवं संघटव			—	—
आयातित	4,39,355	77	11,26,732	71
देशी	18,470	3	4,03,363	25
कुल	5,71,366	100	15,89,745	100



**42. Additional information pursuant to the provisions of paragraphs 3, 4C and 4D of the part II of Schedule VI to the Companies Act, 1956 to the extent applicable**

i) Expenditure on employees in the receipt of aggregate remuneration of:

a) Not less than Rs.24,00,000/- for the year, if employed through out the year:-

(Amt. in Rs.)

Particulars	2007-08	2006-07
No. of employees	Nil	Nil
Salaries & Bonus.	Nil	Nil

b) Not less than Rs.2,00,000/- per month, if employed for a part of the year:-

(Amt. in Rs.)

Particulars	2007-08	2006-07
No. of employees.	Nil	Nil
Salaries & Bonus	Nil	Nil

**II) Raw Material Consumed:**

Details of raw materials, spare parts and components consumed.

(Amt. in Rs.)

Particulars	2007-08		2006-07	
	Value in Rs.	Percentage (%)	Value in Rs.	Percentage (%)
Raw Materials			—	—
Imported	-	-	—	—
Indigenous	1,13,541	20	59,650	4
Spare Parts and Components			—	---
Imported	4,39,355	77	11,26,732	71
Indigenous	18,470	3	4,03,363	25
<b>Total</b>	<b>5,71,366</b>	<b>100</b>	<b>15,89,745</b>	<b>100</b>

iii) विदेशी मुद्रा में प्राप्तियाँ

(राशि रुपये में)

विवरण	2007-08	2006-07
पोतपर्यन्त मूल्य के आधार पर आकलित माल का निर्यात		
रॉयल्टी (स्वकीय फिल्मों)	40,17,346	11,58,238
रॉयल्टी (सह-निर्मित फिल्मों)	13,35,961	14,06,551
रॉयल्टी (पट्टे पर दी गई फिल्मों)	6,97,719	1,64,718
अन्य (माल की बिक्री तथा अन्य चार्ज)	-	-
सहनिर्मित फिल्मों के मामले में अधिशेष	50,53,899	40,94,395
कुल	1,11,04,925	68,23,902

iv) आयात के लागत-बीमा-वहन

(राशि रुपये में)

विवरण	2007-08	2006-07
घटक एवं पूर्जों	-	-
पूँजीगत माल	-	-
विदेशी फिल्मों/प्रिन्टों के प्रदर्शनाधिकार	-	-
कुल	-	-

v) विदेशी मुद्रा में व्यय

(राशि रुपये में)

विवरण	2007-08	2006-07
विदेशी यात्रा / प्रतिभागिता व्यय	32,74,084	16,23,794

vi) लेखापरीक्षकों को भुगतान

(राशि रुपये में)

विवरण	2007-08	2006-07
लेखापरीक्षा शुल्क	1,25,000	1,25,000
कर लेखापरीक्षा शुल्क	50,000	50,000
अन्य सेवाएँ	60,000	35,000
लेखापरीक्षकों का जेब खर्च (पूर्व लेखापरीक्षा का भुगतान)	4,24,628	91,110

iii) Earnings in Foreign Exchange

(Amt. in Rs.)

Particulars	2007-08	2006-07
Export on goods calculated on FOB basis		
Royalty (own films)	40,17,346	11,58,238
Royalty (Co-Produce films)	13,35,961	14,06,551
Royalty (leased films)	6,97,719	1,64,718
Others (Sale of Materials and other charges)	-	-
Surplus in case of co-production films	50,53,899	40,94,395
<b>Total:</b>	<b>1,11,04,925</b>	<b>68,23,902</b>

iv) CIF value of imports

(Amt. in Rs.)

Particulars	2007-08	2006-07
Components and Spare Parts	-	-
Capital goods	-	-
Exploitation rights in foreign film prints	-	-
<b>Total:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

v) Expenditure in Foreign Currency:

(Amt. in Rs.)

Particulars	2007-08	2006-07
Foreign Tours/ Participation Expenses	32,74,084	16,23,794

vi) Payment to Auditors:

(Amt. in Rs.)

Particulars	2007-08	2006-07
Audit Fees	1,25,000	1,25,000
Tax Audit Fees	50,000	50,000
Other Services	60,000	35,000
Auditors out of pocket expenses (paid to earlier auditor)	4,24,628	91,110

की ओर से

**मुकुन्द एम्. च्यतले एन्ड कंपनी**

सनदी लेखाकार

**एम्. एम्. च्यतले**

साक्षेदार

सदस्य क्र. 14054

निदेशक मंडल की ओर से

**नीना लाठ गुप्ता**

(प्रबन्ध निदेशक)

**पी. सत्यनारायणन**

(निदेशक वित्त)

**इ. जे. पॉल**

(कम्पनी सचिव / प्रबन्धक वित्त एवं लेखा)

स्थान : मुंबई

दिनांक : 19.09.2008

For and on behalf of  
**MUKUND M. CHITALE & CO.**  
**CHARTERED ACCOUNTANTS**

**M.M CHITALE**  
Partner  
Membership No. 1405

**P. SATHYANARAYANAN**  
(DIRECTOR—FINANCE)

Place: Mumbai  
Dated: 19.09.2008

For and on behalf of  
**BOARD OF DIRECTORS**

**MS. NINA LATH GUPTA**  
(MANAGING DIRECTOR)

**E. J. PAUL**  
(COMPANY SECRETARY / MANAGER F&A)

कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची छह: के भाग चार के अधीन सूचना

तुलना पत्र सारांश और निगम के सामान्य व्यवसाय का विवरण

i) कंपनियों के पंजीकरण विवरण

पंजीकरण क्रमांक	7750
स्टेट कोड	11
तुलन पत्र तारीख	31.03.2008

ii) वर्ष के दौरान पूँजी वृद्धि

(राशि हजार रुपयों में)

विवरण	2007-08
पब्लिक इश्यू	शून्य
राइट इश्यू	शून्य
बोनस इश्यू	शून्य
निजी अमानतें	शून्य

iii) निधियों के संग्रहण एवं विनियोजन की स्थिति

(राशि हजार रुपयों में)

विवरण	2007-08
कुल देयताएँ	3,44,848
कुल परिसम्पतियाँ	3,44,848

निधियों का स्रोत

(राशि हजार रुपयों में)

विवरण	2007-08
प्रदत्त पूँजी	1,39,998
संचय और अधिशेष	233
प्रतिभूत ऋण	-
अप्रतिभूत ऋण	2,04,617
कुल	3,44,848

## Information under Part IV of Schedule VI to the Companies Act, 1956.

### BALANCE SHEET ABSTRACT AND CORPORATION'S GENERAL BUSINESS PROFILE

i) Companies Registration Details:

Registration No.	7750
State Code No.	11
Balance Sheet Date	31.03.2008

ii) Capital raised during the year:

(Amt. In Rs.Thousands)

Particulars	2007-08
Public Issue	NIL
Rights Issue	NIL
Bonus Issue	NIL
Private Placement	NIL

iii) Position of Mobilization and Deployment of Funds

(Amt. In Rs.Thousands)

Particulars	2007-08
Total Liabilities	3,44,848
Total Assets	3,44,848

Sources of Funds:

(Amt. In Rs.Thousands)

Particulars	2007-08
Paid-up Capital	1,39,998
Reserves & Surplus	233
Secured Loans	-
Unsecured Loans	2,04,617
<b>Total</b>	<b>3,44,848</b>

निधियों के उपयोग

(राशि हजार रुपयों में)

विवरण	2007-08
सकल स्थायी परिसम्पतियाँ	43,942
शुद्ध चालू परिसम्पतियाँ	1,33,238
लाभ एवं हानि लेख	1,64,963
आस्थगित राजस्व आय	2,705
कुल	3,44,848

iv) निगम का निष्पादन

(राशि हजार रुपयों में)

विवरण	2007-08
टर्नओवर/आय	3,31,899
कुल व्यय	3,54,655
कर पूर्व (हानि)/लाभ	(22,757)
कर पश्चात (हानि) लाभ	(23,757)
प्रति शेयर आय	रु. (19.72)
लाभांश प्रतिशत	-

v) निगम के तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं के सामान्य नाम (मौद्रिक रुप में)

क्र.	मद कुट	सेवा विवरण
क)	लागू नहीं	फिल्मों का वितरण
ख)	लागू नहीं	उपकरण भाडा और तकनीकी सेवाएँ
ग)	लागू नहीं	फिल्म निर्माण और वित्त पोषण

निदेशक मंडल की ओर से

**नीना लाठ गुप्ता**  
(प्रबन्ध निदेशक)

**पी. सत्यनारायणन**  
(वित्त निदेशक)

**इ. जे. पॉल**  
(कम्पनी सचिव / प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा))

स्थान : मुंबई  
दिनांक : 19.09.2008



Application of Funds:

(Amt. In Rs.Thousands)

Particulars	2007-08
Net Fixed Assets	43,942
Net Current Assets	1,33,238
Profit & Loss Account	1,64,963
Deferred Revenue Expenditure	2,705
<b>Total:</b>	<b>3,44,848</b>

iv) Performance of the Corporation:

(Amt. In Rs.Thousands)

Particulars	2007-08
Turn-over/Income	3,31,899
Total Expenditure	3,54,655
Profit (Loss) Before Tax	(22,757)
Profit (Loss) After Tax	(23,757)
Earning per share	Rs.(19.72)
Dividend Rate %	-

v) Generic Names of three principal products/services of the Corporation ( as per monetary terms):

Sr. No.	Item Code No.	Service Description
a)	N.A.	Distribution of Films
b)	N.A.	Equipment Rental and Technical Services
c)	N.A.	Film Production and Financing

For and on behalf of

BOARD OF DIRECTORS

**MS. NINA LATH GUPTA**  
(MANAGING DIRECTOR)

**P. SATHYANARAYANAN**  
(DIRECTOR – FINANCE)

**E. J. PAUL**  
(COMPANY SECRETARY /  
MANAGER F&A)

Place: Mumbai

Dated: 19.09.2008

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्टें।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के अनुसार तैयार करना कंपनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (2) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा अधिकारी द्वारा वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया है जो कि इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित लेखा परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत अपनी स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है, यह उनको दिनांक 19 सितम्बर 2008 की लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा किए गए काम को बताया गया है।

मैंने, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि. के 31 मार्च, 2008 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (3) (B) के अधीन पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाज पत्रजात की पड़ताल किए बिना ही स्वतंत्र रूप से पूरी की गयी और यह मूलतः वैधानिक लेखा परीक्षकों तथा कंपनी के कार्मिकों से प्रारम्भिक पूछताछ और कुछ लेखा रिकार्ड के चुने गये परीक्षण तक सीमित रही। अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर एसी कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य मेरी जानकारी में आयी नहीं जिससे कोई टिप्पणी की जा सके या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अन्तर्गत वैधानिक लेखा परीक्षा की पूरक बने।

भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की ओर से

( ए डब्लू के लेंगस्टीह )

प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षक

पदेन सदस्य लेखा परीक्षण मंडल 1

मुम्बई

स्थान : मुम्बई

दिनांक 17 नवम्बर 2008

**COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF NATIONAL FILM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2008.**

The preparation of financial statements of National Film Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2008 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 619(2) of the Companies Act, 1956 is responsible for expressing opinion on these financial statements under section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the auditing and assurance standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 19 September 2008.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under section 619(3)(b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of National Film Development Corporation Limited for the year ended 31 March 2008. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under section 619 (4) of the Companies Act, 1956.

For and on the behalf of the  
Comptroller and Auditor General of India

**(A.W.K.Langstieh)**  
Principal Director of Commercial Audit and  
Ex-officio Member, Audit Board-1, Mumbai.

Place: Mumbai  
Date: 17 November 2008.

**NOTE 'ट'**